खण्ड-327, अंक-2
मंगलवार, 29 भाद्रपद, शक संवत् 1899
(20 सितम्बर, 1977 ई0)

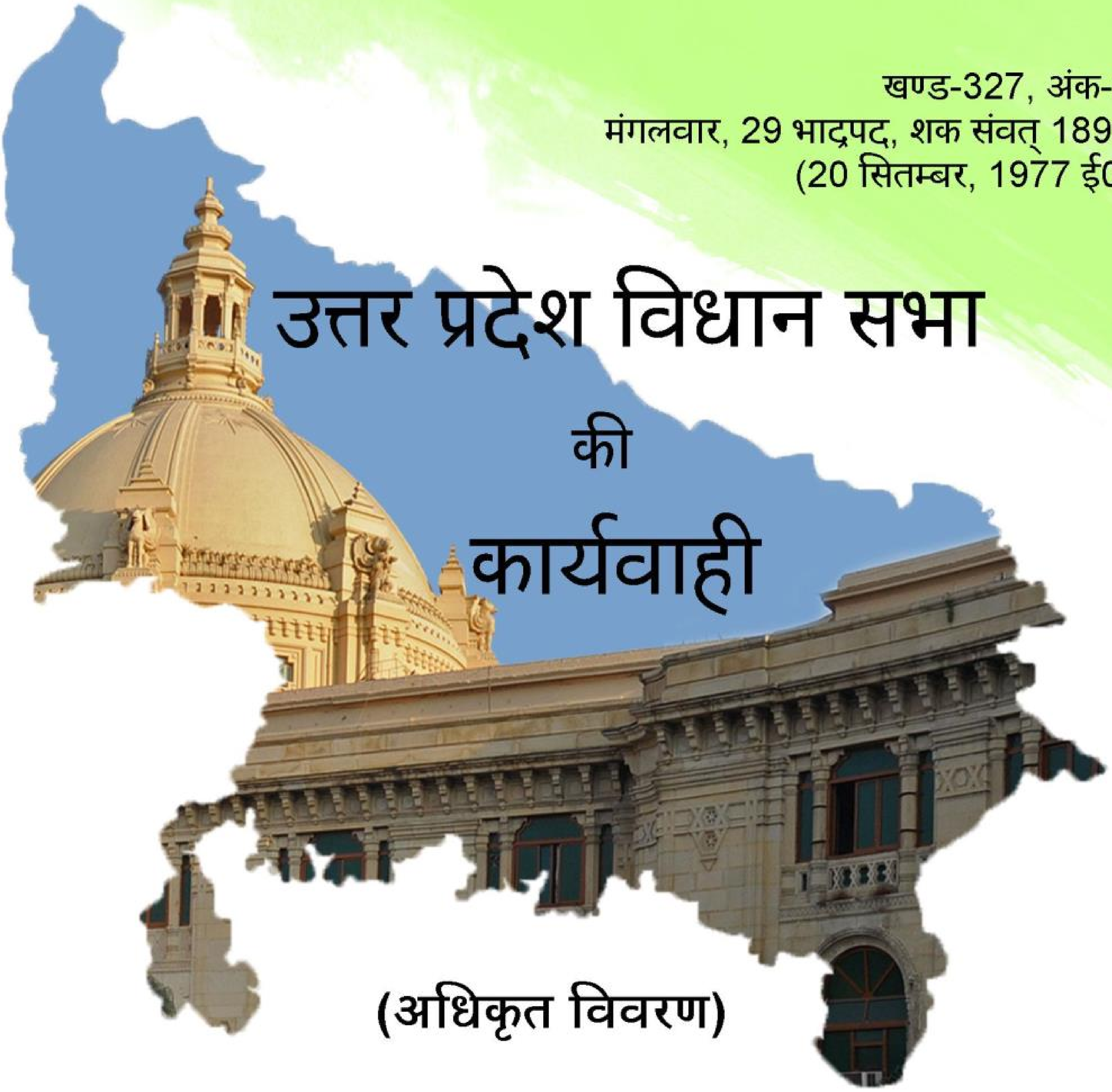

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 327 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1977

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 20 सितम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—344

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार, अहमद चौधरी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नारायण, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बडौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राईस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्रा, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर

कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोण्डा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
धरम राम, श्री
धर्म गज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगाराम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बरफिया लाल जुवांठा, श्री 'अरविन्द'
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भामी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिवे, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मोहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री

मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह जूदेव, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राजकिशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रज राज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शरन सिंह, कुंवर
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्य मुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव, तथा गन्ना विकास मन्त्री श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 20 सितम्बर, 1977

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

देवरिया जिले के जटहा बाजार में हरिजनों एवं सवर्णों के बीच संघर्ष

*1—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद के पडरौना तहसील के नेबुआ थाना के अन्तर्गत जटहा बाजार में दिनांक 14 अगस्त, 1977 को दिन में 10 बजे सवर्णों तथा हरिजनों में जमकर संघर्ष हुआ और दोनों पक्षों के एक दर्जन व्यक्ति सांघातिक रूप से घायल होकर मरणासन्न अवस्था में हैं जिसकी प्रथम सूचना रपट सम्बन्धित थाने में दर्ज है ? यदि हां, तो घटना क्या है और जिला प्रशासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम जटहा बाजार, थाना नेबुआ, जिला देवरिया, निवासी श्री सिंहासन पुत्र भलई ने थाना नेबुआ नौरंगिया में दिनांक 14 अगस्त, 1977 को अपने ग्राम के आठ सवर्णों के विरुद्ध वादी तथा अन्य हरिजनों पर दिन में 3 बजे शंकर के खेत में धान काटते समय लाठी, बल्लम से हमला कर देने की रिपोर्ट लिखाई थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा 147/148/307 भारतीय दण्ड विधान का मुकदमा दर्ज करके विवेचना प्रारम्भ की गयी और आठों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया जो बाद में न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़े गए। घटना में तीन हरिजनों को चोटें आई थीं।

सवर्णों की ओर से उक्त रिपोर्ट के लगभग एक घंटे पूर्व ही हरिजनों के विरुद्ध सवर्णों की धान की फसल काटने मना करने पर मारने पीटने तथा मार पीट में तीन सवर्णों को चोटें आने की रिपोर्ट लिखाई गयी थी जो विवेचना से असत्य पाई गई।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी, बताने की कृपा करेंगे कि इस भूमि सम्बन्धी विवाद में, रेवेन्यू रिकार्ड के अनुसार असल खाने में नाम किसका दर्ज है, कब से दर्ज है, लगान कौन देता है, पड़ताल किसके नाम से होती है, सवर्णों के नाम से या हरिजनों के नाम से ?

श्री अध्यक्ष—

यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, आप दूसरा कोई प्रश्न पूछें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, धान की फसल काटने पर दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह विवाद, जो फसल काटने के सम्बन्ध में हुआ, उस भूमि का स्वामित्व किसका है, असली खाते में रेवेन्यू रिकार्ड में किसका नाम दर्ज है ?

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, पहले यह भूमि नं0 465 (क्षेत्रफल 44 डेसीमल) छेदी हरिजन की सीरदारी थी। 1369 फसली से केदार पुत्र लोचन का नाम वर्ग 9 के अन्तर्गत बतौर शिकमी काश्तकार दर्ज था। छेदी हरिजन का देहान्त हो चुका है और केदार की भी मृत्यु हो चुकी है। 1378 फसली में, छेदी के वारिस के बतौर श्रीमती कुन्ती का नाम दर्ज किया गया। दिनांक 1 नवम्बर, 1975 को ग्राम में चकबन्दी शुरू हुई और 15 दिसम्बर, 1976 को चकबन्दी अधिनियम की धारा 9 का प्रकाशन कर दिया गया है। चकबन्दी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों में किसी ने भी अर्थात् श्रीमती कुन्ती एवं श्याम किशोर व ब्रह्मदेव पुत्रगण केदार ने इस भूमि के सम्बन्ध में विवाद प्रस्तुत नहीं किया है किन्तु दोनों ही इस भूमि पर कब्जे का प्रयास कर रहे हैं। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार श्री शंकर हरिजन ने खेत जिसमें फसल धान कुल पक कर तैयार हो गयी थी, को बोया था। उसी खेत पर मेवा लाल ने वर्ग 9 दर्ज करा लिया था। शंकर हरिजन आदि कहते हैं कि हमारी बोई हुई फसल थी और हमारा कब्जा था।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो दोनों पक्षों के लोग घायल हुए, उनमें सवर्णों की मेडिकल रिपोर्ट क्या है, क्या उनका डाक्टरी मुआयना हुआ था ? यदि हां, तो जो संवर्ण घायल हुए थे, उनकी मेडिकल रिपोर्ट क्या है ?

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, यह जो सवर्ण के घायल होने की बात है, जी0 डी0 में, उसके सम्बन्ध में कुछ चोटों का इन्दराज है, लेकिन उनका डाक्टरी मुआयना कराना नहीं बताया जाता है।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, जिस जमीन का झगड़ा है, वह जमीन कागज में किसके नाम से दर्ज है और कब से है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी बतला चुके हैं, आप तो इसको दोहरा रहे हैं।

श्री कृष्णा राय—

अध्यक्ष जी, चराई का झगड़ा है।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि उनकी पूरी घटना की विवेचना क्यों नहीं दर्ज की गयी, जब कि सीआर0पी0सी0 में है कि मेडिकल रिपोर्ट पुलिस द्वारा कराई जाय, एफ0आई0आर0 में लाज की जाय, क्यों नहीं की गयी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उत्तर दे चुके और उसकी विवेचना की जा रही है मेडिकल रिपोर्ट के बारे म भी बतला चुके हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अध्यक्ष जी, जिस फसल के काटने के ऊपर यह झगड़ा हुआ, वह फसल बोई किसने थी, क्या बोते वक्त कोई डिस्प्यूट खड़ा हुआ था? यदि खड़ा हुआ था, तो उसका निपटारा शासन ने किस प्रकार से किया?

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न भी जब तफतीश चल रही है, इसलिए तफतीश के समाप्त होने के बाद सूचित किया जा सकेगा।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, इसमें तफतीश की कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है, इसकी सूचना नहीं है। इसकी जांच चल रही है।

श्री रियासत हुसैन—

अध्यक्ष महोदय, झगड़ा तो काटने पर हुआ काटने और बोने में अन्तर होगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, . . .

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नकर्ता को दो अनुपूरक प्रश्न करने का अवसर दिया जाता है अन्य लोगों को एक।

श्री रफी उल्लाह (जिला बलिया)—

मान्यवर, क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि कितने लोग दोनों तरफ के एफ0 आई0 आर0 में दर्ज हैं? एक पक्ष की डाक्टरी जांच न होने का क्या कारण है? दूसरी बात यह है कि हरिजनों का मामला है और गलत रिपोर्ट आती है तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री सदन के लोगों की कोई कमेटी बनायेंगे जो इसकी जांच करके बताए कि सत्य बात क्या है?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपका सुझाव है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, एक सवाल करने की अनुमति देने की कृपा करें?

श्री अध्यक्ष—

मैं फिर निवेदन करूंगा कि आज 34 प्रश्न हैं। जो प्रश्नकर्ता हैं, उनको केवल दो अनुपूरक प्रश्न पूछने चाहिए।

पुलिस लाईन गाजीपुर में प्रशिक्षार्थी श्री बाल किशुन, हरिजन की मृत्यु

*2—श्री देव राम (जिला गाजीपुर) तथा श्री अवधेश नारायन (जिला गाजीपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24 अगस्त, 1977 को पुलिस लाईन, गाजीपुर में श्री बालकृष्ण नामक हरिजन कांस्टेबुल प्रशिक्षार्थी की मृत्यु किसी

इन्सट्रक्टर के मारने से हो गई ? यदि हां, तो एफ0 आई0 आर0 किसने दर्ज कराई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है तथा दोषी व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव---

प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस लाईन, गाजीपुर में प्रशिक्षण पा रहे हरिजन प्रशिक्षार्थी, श्री बाल किशुन की मृत्यु दिनांक 24 अगस्त, 1977 को सदर अस्पताल में हुई। उक्त श्री बाल किशुन की मृत्यु होने के सम्बन्ध में मृतक के पिता श्री राम रूप द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 1977 को थाना कोतवाली, गाजीपुर पर दी गयी सूचना के आधार पर धारा 304 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करके विवेचना प्रारम्भ की गयी। पोस्ट मार्टम से मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। अब तक की विवेचना से ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उक्त श्री बाल किशुन की मृत्यु किसी प्रशिक्षक के मारने-पीटने से हुई थी। मजिस्टीरियल जांच के आदेश भी पारित कर दिए गए हैं। जांच पूर्ण होने पर ही तथ्यों का पता चल सकेगा और यदि कोई दोषी पाया जायगा तो उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री देवराम---

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मृतक के पिता ने एफ0आई0 आर0 में किन बातों का उल्लेख किया है और उस पोस्ट-मार्टम से मृत्यु का कारण जानने के लिए उसके किसी अंश को विशेषज्ञ के पास जांच करने के लिए भेजा गया है ?

श्री राम नरेश यादव---

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मृत्यु के कारणों का प्रश्न है, पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट में कोई स्पष्ट कारण नहीं है। लेकिन फिर भी जो विसरा रखा गया है, वह जांच के लिए भेजा गया है।

अध्यक्ष महोदय, एफ0 आई0 आर0 इस केस की जो है, जो दरख्वास्त दी गई है, वह यह है कि परेड के समय 5 मिनट लेट पहुंचा जिस पर उसे मारा गया. जिससे वह मर गया। इसकी जांच कराई जाय। इसके बाद दस्तखत हैं। उसके पिता ने रिपोर्ट किया है।

श्री देवराम---

अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्य मन्त्री जी मृतक की विधवा को फैमिली पेंशन देने पर विचार करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव---

अध्यक्ष महोदय, इस पर विचार किया जायगा।

श्री अवधेश नरायन ---

माननीय मुख्य मन्त्री जी, मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जायगी और रिपोर्ट प्राप्त होने पर क्या उस रिपोर्ट से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव---

अध्यक्ष महोदय, मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आ जाने के बाद यदि सदन चाहेगा, तो उस समय वह रिपोर्ट रखी जा सकती है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। उत्तर में कहा गया है और उसकी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आई है, जिससे काज सरटेन नहीं हो पाया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या विसरा एक्सपर्ट के पास भेजा गया और उसकी रिपोर्ट कोई आई है कि नहीं ?

श्री राम नरेश यादव--

अध्यक्ष महोदय, अभी तक रिपोर्ट नहीं प्राप्त हो सकी है।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मुख्य मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट है उसमें किस कारण से मृत्यु हुई है, इसके बारे में क्या लिखा है ?

श्री अध्यक्ष--

पूरी रिपोर्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य कारण बतायें कि क्या चोटें लगी हैं।

श्री राम नरेश यादव--

अध्यक्ष महोदय, इसमें यह लिखा है--"दि इंजरीज आर नाट सफीशिएण्ट टू काज दि डेथ विसरा प्रेजर्व्ड"। जो चोटें बताई जाती हैं वह पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए विसरा प्रेजर्व कर लिया गया है जांच के लिए कि क्या कारण है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस जांच में जो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट है, उसके अनुसार शरीर पर कितनी चोटें आयीं थीं ? पोस्ट मार्टम से जाहिर नहीं हो रहा है कि उसके शरीर पर कितनी चोटें आई थीं ?

श्री राम नरेश यादव--

अध्यक्ष महोदय, केवल दो चोटों का जिक्र है पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट में और वह भी एबरेजन (खरोंच) हैं।

फतेहपुर जिले के ग्राम प्रतापपुर में हरिजनों एवं मुसलमानों के बीच मारपीट की घटना

*3--श्री धर्मराज सिंह (जिला हरदोई)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर ग्राम प्रतापपुर में अगस्त, 1977 महीने में नागपंचमी के दिन हरिजनों पर सामूहिक अत्याचार किया गया ? यदि हां, तो घटना का पूरा विवरण क्या है और इस वाकया में कितने हरिजनों को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया और कितनी हरिजन औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया गया ? क्या यह भी सही है कि हरिजन परिवार में से कुछ पर डकैती का अभियोग लगाकर जेल में भेज दिया गया ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 19 अगस्त, 1977 को नागपंचमी के दिन जिला फतेहपुर के थाना बिन्दकी पर 54 नामजद एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध घर में घुस कर मारने-पीटने, औरतों को अपमानित करने तथा बर्तन, कपड़ा एवं जेवरात उठा ले जाने आदि के सम्बन्ध में प्रतापपुर निवासी एक हरिजन द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर मुकदमा धारा 395/397/354/295/153-ए भारतीय दण्ड विधान अंकित किया गया। उक्त दिन प्रतापपुर निवासी एक मुसलमान व्यक्ति ने उस थाने पर 16 व्यक्तियों व सौ डेढ़

सौ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मारपीट, तोड़-फोड़ व लूटमार करने आदि की सूचना दी जिसके आधार पर एक क्रास केस धारा 395/397/427/295 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दर्ज किया गया। दोनों पक्षों के बीच उक्त घटना उसी दिन प्रातः हुई एक गोवध की घटना को लेकर होना बताया गया है। अस्पताल में भर्ती किए गए घायल व्यक्तियों में से 4 हरिजन, एक कुम्हार व एक ठाकुर थे। हरिजन द्वारा की गयी प्रथम रिपोर्ट सूचना रिपोर्ट के अनुसार औरतों को अपमानित किया गया। उपलब्ध सूचना के अनुसार घटना के दूसरे दिन बलात्कार के सम्बन्ध में केवल एक 50 वर्षीय हरिजन महिला ने डाक्टरी मुआइना कराया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से तीन हरिजन थे जो जमानत पर छो दिए गए। घटना से सम्बन्धित मुकदमों की विवेचना सी0आई0डी0 के सुपुर्द कर दी गयी है। उनकी जांच पूर्ण हो जाने के पश्चात् ही तथ्यों का पता लग सकेगा।

श्री धर्म गज सिंह--

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय हरिजनों के घर में मारपीट हो रही थी और उनकी औरतों के साथ बलात्कार किया जा रहा था उस समय वहां पुलिस मौजूद थी और पुलिस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया ?

श्री राम नरेश यादव--

अध्यक्ष महोदय, घटना के समय पुलिस की उपस्थिति का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री गुलाब सेहरा--

क्या मुख्य मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो हरिजनों की तरफ से एफ0आई0 आर0 दर्ज हुई उसमें कितने लोग पकड़े गए और दूसरे पक्ष की एफ0आई0 आर0 24 घंटे के बाद दर्ज की गयी और उसमें उन दो हरिजनों को पकड़ कर बन्द किया गया, जिनके घर तबाह हुए थे और जिनकी औरतों के साथ बलात्कार किया गया था ? क्या यह सही है ?

श्री राम नरेश यादव--

अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट में जिन लोगों का नाम था वह पकड़े गए और कुछ लोगों को पकड़ने की कार्यवाही चल रही है। तीन रिपोर्ट हुई थीं और तीनों में तफतीश चल रही है। सी0आई0डी0 को यह सुपुर्द कर दिया गया है।

श्री धर्म गज सिंह--

क्या इस मामले की न्यायिक जांच मुख्य मन्त्री जी करायेंगे ?

श्री राम नरेश यादव--

सी0आई0डी0 की जांच चल रही है। उसके बाद ही कोई बात सोची जा सकती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि यह साम्प्रदायिक मामला तो नहीं है ? मुसलमान या हरिजनों के बीच का मामला तो नहीं है ?

श्री राम नरेश यादव--

अध्यक्ष महोदय, यह साम्प्रदायिक मामला नहीं है। छुट-पुट घटना हुई इस लिए कि पुलिस के हाथ में न रहे सी0आई0डी0 द्वारा जांच कराई जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)---

शासन की घोषणा के अनुसार हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के लिए जो स्पेशल सेल खुला है उसको यह मामला न देकर सी0आई0डी0 को देने का क्या कारण है, मुख्य मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव---

सी0आई0डी0 जांच करके जो रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर कार्यवाही की जायगी। एक बात और बताना चाहता हूं। जो घायल हुए थे और जिनके सामान को नुकसान हुआ था, उनको 5 हजार रुपया भी दिया गया है।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)---

मैं मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह गांव किस थाने के अन्दर है, वहां जो इंचार्ज हैं वह किस जाति के हैं ?

श्री राम नरेश यादव---

जहां तक थाने का सवाल है वह तहसील बिन्दकी में है। जहां तक जाति का सवाल है मैं समझता हूं इसको जातिगत आधार नहीं बनाना चाहिए। मेरा माननीय सदस्य से आग्रह है कि यदि इस तरह का प्रश्न न हो, तो अच्छा है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

बहराइच जिले के रेंज मोतीपुर कतरनिया घाट तथा धर्मापुर में लीज पर दी गयी भूमि

*1---श्री कमला प्रसाद वर्मा---

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के रेंज मोतीपुर व धर्मापुर में लीज पर क्या उप अरण्यपाल, बहराइच ने जून, 1975 में कृषि कार्य हेतु वन भूमि का नीलाम किया था जिसमें प्लाट नं0 759 व 760, 751 व 782 थे ? यदि हां, तो क्या नीलाम किए गए पूरे रकबे काश्तकारों को नहीं दिए जिस पर श्री नरेश व रामनरायन व श्री भोलानाथ आदि ने कई शिकायती प्रार्थना-पत्र अप्रैल, 1977 में अरण्यपाल पूर्वी वृत्त, गोरखपुर को दिए ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

वन मन्त्री (श्री श्रीचन्द्र)---

जनपद बहराइच के रेंज मोतीपुर, कतरनिया घाट व धर्मापुर में कृषि हेतु लीज लाट संख्या 759, 760, 751 व 782 का नीलाम 29 मई, 1975 को हुआ था न कि जून, 1975 में। इन लीज प्लाटों के क्रेताओं, क्रमशः सर्वश्री भोलानाथ, राम नरायन, पल्टूराम एवं राम नरेश को नीलाम के बाद भूमि सौंप दी गयी थी। सर्वश्री भोलानाथ, राम नरायन एवं राम नरेश ने विक्रय मूल्य में छूट व क्षेत्रफल में कमी के सम्बन्ध में दिनांक 29 जनवरी, 1977 को अरण्यपाल, पूर्वी वृत्त, गोरखपुर को शिकायती-पत्र दिए। चूंकि ये शिकायती-पत्र कालबाधित थे, अतः इन्हें अस्वीकृत करके शिकायत कर्त्ताओं को सूचित कर दिया गया। लाट सं0 751 के क्रेता श्री पल्टूराम ने इस सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि लीज लाट नं0 759, 760 व 782 का कुल अलग-अलग रकबा क्या था, कितनी लीज हुई थी और प्रति हेक्टर किस हिसाब से उनको लीज पर दी गयी थी ? साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि लीज के देने के बाद, उस जंगल को कब साफ कराया गया था ?

श्री श्रीचन्द्र—

मान्यवर, 759 प्लाट 22 हेक्टर क्षेत्रफल का था, 760 प्लाट 27 हेक्टर क्षेत्रफल का और 782 प्लाट 30 हेक्टर का था और लीज की दर प्रति हेक्टर के हिसाब से 141 रु0 थी इसमें जो शिकायतकर्ता थे, उन्होंने डेढ़ साल के बाद शिकायत की थी। इस सम्बन्ध में जो क्रय मूल्य की शर्तें थीं, उसकी धारा 30 में यह दिया गया है कि जो क्षेत्रफल को दुबारा नपवाना चाहता है, तो उसके लिए 45 दिन के अन्दर,उसको आवेदन-पत्र, उप अरण्यपाल को देना होगा। अगर कोई प्लाट को फिर से दुबारा नपवाना चाहता है, तो पचास रुपया प्रति प्लाट बन्धक धन जमा करना प ेगा। इसमें अगर दुबारा नाप होने पर पांच प्रतिशत या उससे कम होता है, तो उसमें कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। यदि पांच प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्रफल होता है तो उसके बन्धक को वापस किया जाता है और क्षेत्रफल में उचित परिवर्तन करके पूरी धनराशि में अनुपातिक सुधार किया जाता है। तो इसमें भोलानाथ और राम नरायन ने डेढ़ वर्ष के बाद यह शिकायती-पत्र दिया, जिसमें 45 दिन के अन्दर उनका आब्जेक्शन न आने की वजह से कोई कानूनी राहत उनको नहीं दी जा सकी है और उसे अस्वीकार किया गया। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से उसमें जांच हो रही है और जांच होने के बाद, जो अधिकारी इस में दोषी पाया जायगा, उस पर समुचित कार्यवाही की जायगी।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

माननीय मन्त्री जी का उत्तर सुन कर मुझे ब ी निराशा हो रही है।

(हंसी)

(व्यवधान)

इसमें मामला यह है कि 759, 760, 782 नम्बर लीज किए गए थे मौके पर उनका कब्जा नहीं दिया गया। 759 प्लाट 22 हेक्टर का था जो केवल 15 हेक्टर का मौके पर है, 760 प्लाट 27 हेक्टर का था जो मौके पर 20 हेक्टर का है और इसी प्रकार इनका रेट भी यह है—760 का 2,550 रुपए प्रति हेक्टर, 759 का 2,900 रुपए प्रति हेक्टर और 782 का 1,260 रु0 प्रति हेक्टर। तो यह लाखों-लाखों रुपए का इसमें टोटल होता है। इसे लीज पर दिया गया, लेकिन मौके पर उनको नहीं मिला। वह रुपया जमा किया, तो जानना मैं यह चाहता हूं कि आखिर वह जांच कराई या वे चीजें हुयीं, तो क्या यह ज्ञात हो सका कि मौके पर कितना-कितना रकबा दिया गया था ?

श्री श्रीचन्द्र—

जैसा मैंने माननीय सदस्य को बतलाया था 759 में 22 हेक्टर, 760 में 27 हेक्टर तथा 782 में 30 हेक्टर जमीन दी गई थी और जब यह लीज की गई थी तो उनको आब्जेक्शन के लिए समय दिया गया था यानी धारा 10 के अन्तर्गत 45 दिन के अन्दर अपना आब्जेक्शन पेश करना था, लेकिन वह पेश नहीं कर सके।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी यह ठीक है आपने कहा कि समय पर एतराज नहीं किया गया लेकिन जो आपसे प्रश्न किया गया है, वह यह है कि मौके पर जमीन कितनी पाई गई, इसका उत्तर आप दें ।

श्री श्रीचन्द्र—

यह जो शिकायतकर्ता हैं उन्होंने डेढ़ साल के बाद यह बतलाया कि जितना प्लाट उनको मिला था, उसमें क्षेत्रफल कम था उसकी जांच हो रही है और जांच होने पर हम उसमें समुचित कार्यवाही कर सकेंगे ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

जब जमीन लीज पर ली गयी, तो उसमें कुछ उस विभाग की जिम्मेदारी भी है, जितनी जमीन लीज पर देनी थी वह दी गई या नहीं दी गई ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, यह प्रश्न दो अगस्त को किया गया था इसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी। इस प्रश्न को पहले भी स्थगित किया जा चुका है तो यह विभाग की गैर-जिम्मेदारी है कि स्थगन करने पर भी सही उत्तर नहीं दिया गया। कृपया इस सम्बन्ध में आप फिर से पूरी सूचना प्राप्त करें, कितने पट्टे की स्वीकृति की गयी और कितनी जमीन दी गयी और इस सबकी पूरी रिपोर्ट पुनः आप माननीय सदस्य को दें ।

बस्ती जिले के थाना उस्का बाजार के विरुद्ध श्रीमती फूलमती, निवासिनी ग्राम महनी का प्रार्थना-पत्र

*2—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि थाना उस्का बाजार, जनपद बस्ती के थाना इंचार्ज कुछ कांस्टेबुलों के साथ दिनांक 28 जून, 1977 को ग्राम महनी, थाना उस्का बाजार, जनपद बस्ती में जाकर उसी ग्राम की श्रीमती फूलमती को डराया-धमकाया तथा उसका घर जबरदस्ती उजड़वा दिया जिसकी रिपोर्ट श्रीमती फूलमती ने जिलाधीश बस्ती, पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा शासन को हाल ही में भेज दी है ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण तथ्य क्या है तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव—

उल्लिखित मामले के सम्बन्ध में श्रीमती फूलमती, निवासिनी ग्राम महनी, थाना उस्का बाजार, जिला बस्ती ने जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती को दिनांक 29 जून, 1977 को एक प्रार्थना-पत्र दिया था जिसमें यह आरोप लगाए गए थे कि थाना उस्का बाजार के ब दरोगा ने कई सिपाहियों के साथ प्रार्थिनी के घर में घुसकर प्रार्थिनी का सारा सामान लूट लिया, घर गिरवा दिया और दबाव देकर सुलहनामा लिखवा लिया ।

उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी, नौगढ़ बांसी द्वारा की गयी। जांच से ज्ञात हुआ कि प्रार्थिनी के चचा-जात ससुर ने अपने हिस्से की आबादी की भूमि का बैनामा गोमती बरई के पक्ष में किया था जबकि प्रार्थिनी इस जमीन का प्रयोग पशुओं को रखने के लिए करती

थी। गोमती बरई ने दिनांक 21 जून, 1977 को जिला मैजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक, बस्ती को प्रार्थना-पत्र दिया था कि प्रार्थिनी तथा उसके समर्थक जानमाल की धमकी दे रहे हैं इस प्रार्थना-पत्र की जांच के लिए थानाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ दिनांक 28 जून, 1977 को ग्राम महनी गए थे। उस समय दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया और एक सुलहनामा पर हस्ताक्षर किए। क्षेत्राधिकारी को प्रार्थिनी ने बताया कि उसका कोई भी सामान पुलिस वाले अथवा अन्य लोग लूट कर नहीं ले गए। क्षेत्राधिकारी की जांच से थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थिनी का सामान लूटे जाने तथा जबरदस्ती सुलहनामा लिखवाए जाने की बात सही नहीं पाई गई।

मन्त्रि परिषद् की मंडलीय समिति की मथुरा में हुई बैठक में स्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन

*3—श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि मन्त्रि मण्डलीय उप समिति, उत्तर प्रदेश की बैठक जो 1976 में मथुरा में हुई थी और उसमें आगरा रीजन के लिए जो योजनाएं स्वीकृत की गयीं, उन योजनाओं के अधीन अब तक क्या कार्य हुआ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम नरेश यादव—

22 दिसम्बर, 1976 को आगरा मण्डल से सम्बन्धित मन्त्रि परिषद् की मण्डलीय समिति की मथुरा में हुई बैठक में स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन का विवरण संलग्नक में दिया गया है। शेष योजनाओं तथा शेष कार्य के विषय में यथा आवश्यकता वर्तमान शासन द्वारा पुनः परीक्षण किए जाने का निर्णय लिया गया है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 271–279 पर)

श्री हुक्म सिंह परिहार—

इस योजना के सम्बन्ध में जो संलग्नक है, वह अस्पष्ट है। मुख्य मन्त्री जी कृपया बतलायेंगे कि संलग्नक में क्या है?

श्री अध्यक्ष—

इसमें तफसील के साथ आपको उत्तर दिया गया है। उस तफसील के बारे में अगर आप कोई प्रश्न करना चाहें, तो आप कर सकते हैं इसको पढ़ने की इजाजत मैं नहीं दे सकता।

श्री हुक्म सिंह परिहार—

क्या मुख्य मन्त्री बतलायेंगे कि आगरा जनपद में जैसा कि संलग्नक में उत्तर दिया गया है, निर्माण विभाग के अन्तर्गत कुछ सड़कों का निर्माण हो रहा है, लेकिन मुझे यह मालूम हुआ है कि कोई भी काम वहां शुरू नहीं किया गया है, तो यह जो निर्माण विभाग के अन्तर्गत निर्माण सम्बन्धी योजना बनी है, यह कब तक कार्यान्वित हो सकेगी?

श्री अध्यक्ष—

उत्तर से माननीय सदस्य को ज्ञात हो सकेगा कि अलग-अलग उत्तर दिए गए हैं जैसे नवीनीकरण के बारे में क्या किया गया, सड़कों के बारे में क्या किया गया तो उस सम्बन्ध में आप कोई विशेष सवाल करें, तब तो मैं उत्तर के लिए माननीय मुख्य मन्त्री को बुला सकूंगा।

श्री हुक्म सिंह परिहार--

मान्यवर, नरीगांव, जलेसर, अलीगंज, ऊंचागांव ये चार मार्गों का उल्लेख है और उप समिति ने निर्णय किया है उनमें अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। क्या माननीय मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इनमें कब तक काम शुरू हो जायेगा ?

श्री राम नरेश यादव--

अध्यक्ष जी, जिन सड़कों की बात आई है उनके सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को स्वीकृति जारी हुई थी और उस सम्बन्ध में हम व्यवस्था करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने मूल उत्तर में कहा है कि "शेष योजनाएं तथा शेष कार्य के विषय में यथा आवश्यकता वर्तमान शासन द्वारा पुनः परीक्षण किए जाने का निर्णय लिया गया है"। मैं जानना चाहता हूं कि शेष योजनाएं और शेष कार्य कौन हैं ?

श्री राम नरेश यादव--

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जिन योजनाओं को लिया गया था और जिसकी चर्चा इस सम्बन्ध में है, इसमें कुछ मामले हैं जिनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति निर्भर करती है। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी लिखा-पढ़ी हो रही है। अगर स्वीकृति मिल जायगी, तो उस पर काम आरम्भ किया जा सकेगा। कुछ ऐसी भी हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है और पुनरीक्षण हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आपने 25 ऐसी योजनाएं इसमें लिखी हैं जिनके बारे में कार्यवाही से सूचित किया गया है। आपका प्रश्न यह है कि 25 के अतिरिक्त शेष योजनाएं कौन सी हैं जिन पर मन्त्रि-मण्डल विचार कर रहा है ?

श्री राम नरेश यादव--

अध्यक्ष महोदय, उनकी कोई सूची तो इस समय नहीं है, लेकिन वे सारी योजनाएं, जो हैं, शासन के सामने विचाराधीन हैं।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जिन सड़कों के बारे में,उत्तर में कहा है, उनमें से वह कौन सी सड़कें हैं जिनमें 10 प्रतिशत से कम काम होने के कारण आपके नए आदेश से रोक दी गयी हैं ?

श्री राम नरेश यादव--

अध्यक्ष महोदय, जहां तक शतप्रतिशत काम होने का सवाल है मैंने स्पष्ट कहा कि इस सम्बन्ध में मद 12 में दिया हुआ है सरकार ने अस्वीकार नहीं किया है, हम उसकी व्यवस्था करेंगे, काम होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह स्वीकार किया है कि जिन सड़कों की स्वीकृति हो गई है, उन पर काम किया जायगा और व्यवस्था की जायेगी। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अलीगढ़ नगर, अलीगढ़ जिला, मैनपुरी नगर और मैनपुरी जिला,

अलीगंज-घटीकरा और आगरा जिले में 7 सड़कें हैं जिन पर निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है। उनके लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है ?

श्री राम नरेश यादव--

बजट में वैसे प्राविधान नहीं रखा गया है लेकिन उसकी व्यवस्था शासन करेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

बाद में आ सकता है।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)--

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं मन्त्रि परिषद् का निर्णय 1976 में हुआ, लेकिन इससे भी पूर्व एक योजना के अन्तर्गत आगरा में अछनेरा मार्ग अभी भी अधूरा पड़ा है। तो क्या वह पूरा होगा ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

मद 15 पृष्ठ 3 में जो मार्ग दिए गए हैं उनका निर्माण कब तक प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री राम नरेश यादव--

यह जो 14 उद्योग से सम्बन्धित हैं ?

श्री अध्यक्ष--

इन्होंने ऊनी कालीनों के बारे में पूछा है।

श्री राम नरेश यादव--

यह योजना वर्तमान शासन के समक्ष विचाराधीन है। निर्णय होने पर ही कोई बात कही जा सकती है।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)--

उन्होंने बताया कि बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है, लेकिन वह व्यवस्था करेंगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह किस प्रकार से व्यवस्था करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव--

आप सब जानते हैं कि पूरक-बजट जब आता है, तब उसमें उसकी व्यवस्था कर दी जाती है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जो चार मार्गों के बारे में आपने कहा है कि इस पर निर्माण कार्य आपके आदेशानुसार रोक दिया गया है,तो अब आप इसे कब शुरू करा रहे हैं ?

श्री राम नरेश यादव--

जो भी योजनाएं चालू करनी हैं, उन पर कार्य शुरू हो जायगा, जिन पर नहीं हुआ है उन पर भी।

गोरखपुर जिले के अन्तर्गत छात्रों पर चलाए गए मुकदमें

*4—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या गृह मन्त्री को यह ज्ञात है कि गोरखपुर में आपात-स्थिति के पूर्व आन्दोलनों के चलते एवं आपात-स्थिति के दौरान आज भी छात्रों पर मुकदमें चल रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इन पर चलने वाले मुकदमें वापस लेने की कृपा करेगी?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां।

जनपद गोरखपुर में आपात-स्थिति के पूर्व छात्रों पर विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत चल रहे 32 मुकदमें अभी भी न्यायालय में विचाराधीन हैं।

जहां तक आपात-स्थिति के दौरान चल रहे मुकदमों का सम्बन्ध है, डी0आई0 एस0 आई0आर0 के अन्तर्गत छात्रों पर 26 मुकदमें कायम किए गए थे, जिनको न्यायालय से वापस लिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त चार मुकदमें भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत कायम हुए थे जिनमें से दो में पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट लगाई जा चुकी है, एक अभियोग अदम-तफ्तीश रखा गया है तथा केवल एक ही अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है। यह मुकदमा छात्रों के आपसी झगड़े से सम्बन्धित है तथा इसका कोई सम्बन्ध आन्दोलन या आपात-स्थिति से नहीं है। क्रिमिनल ला एमेंडमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत कोई मुकदमा नहीं कायम हुआ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार आपात-स्थिति के पूर्व विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत चल रहे 32 मुकदमें किसी आन्दोलन से सम्बन्धित नहीं हैं। इन मुकदमों का निर्णय गुणावगुण के आधार पर न्यायालय द्वारा होगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो 32 मुकदमें अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं, दो में फाइनल रिपोर्ट लगी है और एक दौरे-तफ्तीश पड़ा है, इस प्रकार कुल 36 मुकदमें हैं, किन्तु अगर ये राजनैतिक मुकदमें नहीं हैं तो इन मुकदमों में छात्रों को फंसाने का क्या कारण है? क्या मुख्य मन्त्री जी को मालूम है?

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, ये जो मुकदमें हैं, सभी आपात-स्थिति के पहले के हैं और ये आपसी वाद-विवाद को लेकर दाखिल हुए, इसलिए उनपर आन्दोलन या आपात-स्थिति से सम्बन्धित न होने के कारण विचार नहीं किया गया।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इस प्रश्न में ही मैंने निवेदन किया है कि—'आपात-स्थिति के पूर्व', तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का आन्दोलन इस प्रदेश में चल रहा था और उसके चलते बहुत से मुकदमें छात्रों पर कायम हुए, तो जो 32 मुकदमें कायम हैं, उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ और गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष और इस सदन के सदस्य श्री रवीन्द्र सिंह का नाम भी क्या उसमें शामिल है?

श्री राम नरेश यादव—

मुकदमों की जो सूची है, 32 की, जो चल रहे हैं, उसमें एक मुकदमा अवश्य है, जिसकी चर्चा पहले आई है, वह 21 अगस्त, 1976 का है और जिसमें रवीन्द्र सिंह मुलजिम हैं, लेकिन वह भी जयप्रकाश जी के आन्दोलन से या उसके पूर्व के आन्दोलन से सम्बन्धित नहीं है।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि आपातकाल के पूर्व छात्र संघों, छात्र संगठनों, छात्र युवा संघर्ष समितियों ने विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की व्यवस्था के विरुद्ध जो तत्कालीन सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किए हैं, उनको वह उस आन्दोलन की परिधि में मानते हैं या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि इन 32 मुकदमों में, वह भी मुकदमा है, जो दिसम्बर, 1974 में यशपाल कपूर जी के विरुद्ध छात्रों ने प्रदर्शन किया था और उन्हें गिरफ्तार किया गया था?

श्री अध्यक्ष—

माननीय रवीन्द्र सिंह जी, ब ा लम्बा प्रश्न है। माननीय मुख्य मन्त्री जी केवल उत्तर सिर्फ इतना दीजिए कि क्या यह जे0 पी0 आन्दोलन से सम्बन्धित है या नहीं, जो श्री रविन्द्र सिंह ने प्रश्न किया है।

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैंने पहले स्पष्ट किया कि जानकारी है। यह सामूहिक रूप से आन्दोलन जो किसी मामले को लेकर चलते हैं उनसे सम्बन्धित नहीं है। फिर भी माननीय सदस्य कह देंगे कि उससे सम्बन्धित है तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मान कर, जो भी मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन हैं, उनका सम्बन्ध छात्रों के संघर्ष से है, उस संघर्ष से सम्बन्धित है जो तत्कालीन सत्ता के भ्रष्टाचार के विरुद्ध थे, उन मुकदमों को वापस लेने का आश्वासन देंगे?

श्री अध्यक्ष—

यह सुझाव है। माननीय मुख्य मन्त्री कृपया इस पर विचार कर लें। इसका मतलब यह हुआ कि वह सदन में इसके सम्बन्ध में अभी आश्वासन दें। माननीय मुख्य मन्त्री यदि इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन देना चाहते हैं कि वापस लिया जाय, तो आप दे सकते हैं।

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, इस समय आश्वासन देने का कोई प्रश्न मेरे सामने नहीं है। इसलिए कि जहां तक सूचना है उससे लगता है कि आन्दोलन से सम्बन्धित नहीं है। लेकिन मैं पहले कह चुका हूं कि अगर इस तरह की जानकारी माननीय सदस्य से आयगी तो उस सम ा शासन सोच सकता है।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जो सूचनाएं, आपके पास उपलब्ध हैं, वे उन अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत हैं, जिन अधिकारियों ने आपके नेताओं को ट्रांस्फार्मर खोलने के झूठे मुकदमें में फंसा कर जेल में भेजा था आपातकाल में, वही अधिकारी मौजूद हैं, इस बात को मद्देनजर रखते हुए गोरखपुर से जो मन्त्रि परिषद् के सदस्य हैं, उनसे आप छानबीन करायेंगे कि गोरखपुर और पूर्वी जिलों में छात्र आन्दोलन के सिलसिले में कितने मुकदमें आज कल चल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आपका मतलब है कि सदन की कोई कमेटी बनाई जाय ?

श्री मैनेजर सिंह—

मन्त्रि परिषद् के एक माननीय सदस्य हैं गोरखपुर से दिघे जी हैं, उनके सुपुर्द करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह कहते हैं कि गोरखपुर के माननीय सदस्य दिघे या अन्य हैं, उनसे जांच करायेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, यह मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अगर माननीय सदस्य कोई इस तरह की जानकारी लायेंगे, शासन के पास कि इस आन्दोलन से सम्बन्धित है, तो माननीय सदस्य की बातों पर उस समय शासन की ओर से विचार करेंगे। अगर आन्दोलन से सम्बन्धित है, तो अवश्य शासन विचार करेगा।

श्री अध्यक्ष— (श्री मैनेजर सिंह के उठने पर)—

माननीय मैनेजर सिंह, आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर दे दिया।

श्री मैनेजर सिंह—

नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—

यह कहा कि मैं जांच करा रहा हूं। उसके बाद अगर माननीय सदस्य कोई बात कहेंगे तो मैं विचार करूंगा।

श्री मैनेजर सिंह—

मैंने प्रश्न किया था कि वही अधिकारी हैं, जिन्होंने फर्जी मुकदमें कायम किए थे, उससे इनकार नहीं कर रहे हैं। अपने सहयोगी दिघे साहब, जो वित्त मन्त्री हैं उनसे जांच कराने में, उनको क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर वह दे चुके।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय मुख्य मन्त्री जी कह दें कि उन पर विश्वास नहीं है, नहीं जांच करवायेंगे। कोई उत्तर 'हां' या 'न' में दिलवाइए, उनसे जांच करवाना चाहते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह कहते हैं कि आप अपने किसी कैबिनेट स्तर के मन्त्री से जांच करायेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

ये शासन के एक अंग हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर उनको कोई आपत्ति है, तो मुझे जानकारी देंगे तो मैं उस पर विचार करूंगा और उचित कदम उठाए जायेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार—

मान्यवर, बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। प्रथम बैठक में मैंने ध्यान आकृष्ट किया था कि यह गलत आरोप और एफ0आई0आर0 माननीय राजेन्द्र सिंह के बारे में है, वे संघर्ष करते रहे हैं तो यह सब पुलिस अधिकारियों ने फर्जी आरोप लगाए हैं। जब सदन में ध्यान आकृष्ट किया जाता है, तो उत्तर मिलता है कि जांच करवा ली जायेगी। जांच उन्हीं के द्वारा कराई जाती है जो आरोप लगाते हैं ? मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी एक ऐसी कमेटी बनायेंगे चाहे वह अधिकारियों की हो या यहां के माननीय सदस्यों की हो, जिससे यह जाना जा सके कि राजनैतिक मुकदमों की परिभाषा क्या है और उसके अधीन वह कमेटी जिला स्तर पर जाकर मामलों की छानबीन करे और कार्यवाही करे ? मान्यवर, वर्षों लग जायेंगे और शासन के स्पष्ट घोषणा के बाद भी उनका कार्यान्वियन नहीं हो पायेगा।

श्री अध्यक्ष—

यह कहते हैं कि कोई विशेष जांच कमेटी आप बनायेंगे, किसी अधिकारी की या जज की ?

श्री राम नरेश यादव—

डी0आई0आर0 या अन्य राजनैतिक मुकदमें थे, वे सारे मुकदमें उठाए जा चुके हैं। कुछ मुकदमें अदालतों में चल रहे हैं, उनके बारे में भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। मैंने कह दिया है कि माननीय सदस्य मुझे बतायेंगे, तो मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि. . . .

श्री अध्यक्ष—

इस पर बहुत वाद विवाद हो चुका है।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इमरजेंसी के पहले जितने छात्रों द्वारा आन्दोलन चलाए गए थे, वह राजनैतिक परिधि में आते हैं या नहीं आते हैं, इस पर इंक्वायरी कराने की बात मेरी समझ में नहीं आती है. . .

श्री अध्यक्ष—

आप तो तर्क कर रहे हैं। इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि आपात स्थिति के पहले जो मुकदमें चल रहे थे वह राजनैतिक नहीं हैं, तो इंडियन पेनल कोड की किस धारा के अन्तर्गत मुकदमें चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

32 केसेज जो हैं, इनका मतलब है कि किन-किन धाराओं में चल रहे हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

यह जितने मुकदमें हैं कुछ 147, 148, 436, 307 आदि कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनके अन्तर्गत ये मुकदमें चल रहे हैं। विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत मुकदमें चल रहे हैं।

[दिनांक 20 सितम्बर, 1977 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

स्वदेशी काटन मिल, कानपुर के ऋण की सरकार द्वारा ली गयी गारन्टी तथा मिल पर बकाया धनराशि का विवरण

*1—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि स्वदेशी काटन मिल, कानपुर को वर्ष 1976–77 में उत्तर प्रदेश सरकार की गारन्टी पर डेढ़ करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

उद्योग मन्त्री (श्री राम प्रकाश)—

यह ऋण मिल को फरवरी-मार्च, 1976 में प्राप्त हुआ था। उस समय वस्त्र उद्योग में मन्दी तथा माल की निकासी न होने के कारण आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दिलाने तथा मिल के श्रमिकों के देयों का भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु शासन द्वारा गारन्टी दी गयी थी।

*2—श्री शम्भूनाथ चौधरी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह भी कृपया बताएगी कि उक्त मिल पर दिसम्बर, सन् 1976 तक वेतन, प्रावीडेंट फण्ड, कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा अनिवार्य बोनस की मदों में अलग-अलग कितनी-कितनी धनराशि बकाया है ?

श्री राम प्रकाश—

उक्त मिल पर दिसम्बर, 1976 तक निम्न धनराशि बकाया थी :—

1—मजदूरी	..	..	28 लाख रु0
2—वेतन	..	..	3 लाख रु0
3—प्राविडेण्ट फण्ड	..	..	14 लाख रु0
4—राज्य बीमा योजना	..	..	12 लाख रु0
5—बोनस	..	..	10 लाख रु0

सिविल कोर्ट में डेपूटेशन पर कार्यरत कलेक्टरेट के कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग

*3—श्री राजेन्द्र कुमार—

क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथकीकरण के समय कलेक्ट्रेट के जो कर्मचारी सिविल कोर्टों में डेपूटेशन पर काम कर रहे थे उन्हें अब सिविल कोर्ट स्टाफ में रेगुलर करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा अन्तिम निर्णय कब तक हो जायगा ?

न्याय मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथकीकरण के समय कलेक्ट्रेट के जो कर्मचारी सिविल कोर्ट में डेपूटेशन पर कार्य कर रहे थे, उनके सिविल कोर्ट स्टाफ में विलीनीकरण पर विचार किया जा रहा है। किन्तु इसकी रूपरेखा अभी अन्तिम रूप से निश्चित नहीं की जा सकी है। राजस्व विभाग एवं न्याय विभाग के बीच विचार हो रहा है। आशा है कि इस विषय में शीघ्र निर्णय ले लिया जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार—

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय न्याय मन्त्री जी ने कहा कि आशा है कि इस विषय में शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायगा, मैं यह जानना चाहता हूं कि दिनांक 17 जून, 1972 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें नियुक्ति सचिव, संयुक्त सचिव (न्याय); उप सचिव (न्याय), अतिरिक्त निबन्धक उच्च न्यायालय तथा सहायक भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद ने भी भाग लिया और यह निर्णय लिया कि उनका विलीनीकरण कर दिया जायगा। मान्यवर, इस सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश भी जारी हो गया। जिलाधिकारी, सीतापुर ने अपने पत्र संख्या 80/नौ0 16/1972–73 संख्या 9 लि0, दिनांक 2 नवम्बर, 1972 को जिला न्यायाधीश से यह निवेदन किया था कि श्री मुरली धर, श्री श्रीराम, श्री रहीम बक्स, श्री शिव दत्त मिश्र एवं श्री कपिलनाथ सेठ आदि कर्मचारियों को दीवानी अदालतों के लिपिक वर्ग कैडर में खपाए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें, लेकिन ऐसा आज तक नहीं किया गया। इसका कारण क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जहां तक विलीनीकरण का सवाल है, सिद्धान्त रूप में तो यह स्वीकार कर लिया गया है लेकिन उसकी शर्तें क्या होंगी, इस पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यह सही है कि दिनांक 17 जून, 1972 को एक मीटिंग हुई थी, लेकिन सभी मुद्दों पर निर्णय नहीं हो पाया था। अतः इन सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राजस्व सचिव एवं न्याय तथा हाई कोर्ट के अधिकारियों की एक बैठक शीघ्र ही की जा रही है जिससे अनिर्णीत मुद्दों को हल किया जा सके।

श्री राजेन्द्र कुमार—

श्रीमन, 1972 से चले आ रहे विवाद पर यह सरकार आज तक निर्णय नहीं ले पाई है, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सिद्धान्त रूप में स्वीकार किए गए निर्णय को सरकार कब तक कार्यान्वित करा देगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, यह बड़े खेद का विषय है कि जो प्रक्रिया 1967 में शुरू हुई, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। लेकिन इससे भी ज्यादा खेद की बात है कि 17 जून, 1972 के बाद कोई भी मीटिंग नहीं की जा सकी। अतः इस सम्बन्ध में, मैं माननीय सदस्य को स्पष्ट आश्वासन देना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर 1—2 माह के अन्दर अवश्य निर्णय ले लिया जायेगा।

मन्त्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में पत्रकारों को प्रवेश न मिलना

* 4—श्री राजेन्द्र कुमार—

क्या मुख्य मन्त्री को इसकी जानकारी है कि 9 जुलाई, 1977 को मन्त्रियों के शपथ-ग्रहण समारोह में पत्रकारगण इसलिए प्रवेश न पा सके क्योंकि ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी ने पत्रकारों के पास प्रवेश-पत्र होते हुए भी जाने की अनुमति नहीं दी ? यदि हां, तो वास्तविकता क्या है तथा दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

समय कम होने के कारण पत्रकारों को बांटे गए निमन्त्रण पत्रों में आमंत्रित व्यक्तियों के नाम लिखना सम्भव नहीं हो पाया जिसके कारण कुछ पत्रकारों को प्रवेश करने में असुविधा हुई।

इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन एवं सूचना निदेशक ने सम्बन्धित पत्रकारों को खेद प्रकट कर दिया है। मामले में जानबूझ कर पत्रकारों को परेशान किया जाना नहीं पाया गया। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हमने निदेश कर दिए हैं कि इस प्रकार की यदि फिर कोई भी अशोभनीय घटना होगी, तो किसी तरह से भी किसी को नहीं छोड़ा जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार—

माननीय मुख्य मन्त्री जी का कथन तो स्वागत योग्य है लेकिन जो निमन्त्रण-पत्र पत्रकारों को मिले थे, वे ही माननीय सदस्यों और विशिष्ट अतिथियों को मिले थे। लिफाफों पर नाम पड़ा हुआ था अन्दर निमन्त्रण-पत्रों पर नाम नहीं था। उन सादे कार्डों को लेकर माननीय सदस्य और विशिष्ट जन अन्दर गए। पत्रकारों ने कहा कि "हम तो पत्रकार हैं" लेकिन फिर भी वहां के अधिकारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। बाद में वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सूचना अधिकारी आदि थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जिस अधिकारी ने ऐसा किया है, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी, लेकिन अभी तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। क्या उसके विरुद्ध, जैसा कि आश्वासन दिया गया है, कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने खेद प्रकट किया है। उन्होंने इसको नोट भी कर लिया है।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी प्रतिनिधि मण्डल द्वारा मुख्य मन्त्री को दिया गया ज्ञापन

* 5—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 3 अगस्त, 1977 को स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का एक प्रतिनिधि मण्डल पूर्व निश्चित किए समय पर उनसे मिला था और एक ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में कौन सी बातें थीं और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

राजनैतिक पेंशन उप मन्त्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)—

जी हां। ज्ञापन में मुख्य बातें यह थीं कि चिकित्सा अनुदान स्वीकृत करने के पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र आदि न मांगा जाय, वयस्क पुत्रों को भी चिकित्सा

सुविधा उपलब्ध कराई जाय, टी0बी0 सेनिटोरियम, भुवाली में निःशुल्क भोजन आदि की व्यवस्था हो, पेंशन की न्यूनतम राशि में वृद्धि, शासन द्वारा स्वीकृत सुविधाओं को सेनानियों को उपलब्ध कराने के लिए जिला समितियों का गठन करना आदि। शासन द्वारा ज्ञापन का विस्तार से परीक्षण किया जा रहा है।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी--

आज लगभग 1 1/2 महीना हो गया है, तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक उसके परीक्षण न होने के क्या कारण हैं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

इसमें चिकित्सा विभाग और वित्त विभाग सम्बन्धित हैं, इसलिए कुछ और समय लगेगा।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

25 वर्ष से अधिक जो पोलिटिकल पेंशन सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, भविष्य में उनकी पेंशन बन्द कर दी जाय, क्या सरकार इस पर विचार कर रही है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

इस प्रकार का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रतिनिधि मण्डल को कौन सा समय दिया गया था और वे उनसे कब मिले ? सुना है कि इस प्रतिनिधि मण्डल को घंटों तक इन्तजार करना पड़ा था ?

श्री राम नरेश यादव--

मैंने पहले भी कहा कि समय तो याद नहीं है, लेकिन जिस तरह से बात हुई थी, अगर उन्हें कोई उससे ठेस पहुंची थी तो मैंने उनसे खेद प्रकट कर दिया है, पहले भी। तो इस तरह का कोई और प्रश्न नहीं था।

सहारनपुर जिले के ग्राम रुहालकी किशनपुर की ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा करने के सम्बन्ध में मारपीट की घटना तथा दिया गया प्रतिवेदन

*6--श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री को इसकी जानकारी है कि दिनांक 7 अगस्त, 1977 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से ग्राम रूहालकी किशनपुर, थाना ज्वालापुर, जिला सहारनपुर में स्थित ग्राम सभा की भूमि पर जबरन हिंसात्मक ढंग से कब्जा करने के लिए हमला किया गया ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा उस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7 अगस्त, 1977 को श्री ब्रह्मनन्द प्रधान ग्राम रावली महदूदपुर जो हरिद्वार की क्षेत्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के मन्त्री भी हैं, द्वारा थाना ज्वालापुर, जिला सहारनपुर पर इस आशय की रिपोर्ट अंकित करवाई गई कि कई दिन से ग्राम रुहालकी किशनपुर में चौहानों द्वारा हरिजनों पर अत्याचार किए जाने के समाचार मिल रहे थे

जिसके सम्बन्ध में वे तथा अन्य लोग श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग भू0 पू0 विधायक, हरिद्वार क्षेत्र, के नेतृत्व में ग्राम रुहालकी गए। ग्राम के बाहर ही उन्हें कुछ चौहान मिले जिन्होंने उन्हें गांव में जाने से रोक दिया और गांव में खबर कर दी जिससे गांव से एक बड़ी भीड़, जिसमें अधिकांश चौहान थे, लाठी, चाकू, डन्डे, पत्थर लेकर वादी व उनके साथियों पर हमलावर हुए जिससे वे घायल हुए। उक्त रिपोर्ट में चार अभियुक्तों को नामजद किया गया था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा 147/323/324 भारतीय दण्ड विधान का अभियोग कायम किया गया। चारों नामजद अभियुक्त एवं 7 अन्य अभियुक्तगण गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

उक्त घटना के सम्बन्ध में दूसरे पक्ष की ओर से श्री मेघ सिंह प्रधान तथा अन्य सदस्य-गण भूमि प्रबन्धक समिति, रुहालकी द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 1977 को ही थाना ज्वालापुर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गई कि ग्राम रुहालकी किशनपुर की ग्राम सभा की भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग आदि 13 नामजद व्यक्तियों ने लाठी, बल्लम से लैस होकर हमला कर दिया जिससे 4 व्यक्तियों को चोटें आयीं। उक्त सूचना के आधार पर धारा 147/323 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत क्रास केस कायम किया गया। इस केस में 10 अभियुक्त बन्दी बनाए जा चुके हैं, 3 की गिरफ्तारी शेष हैं।

उपरोक्त दोनों मुकदमें विवेचनाधीन हैं।

*7—श्री राज कुमार शर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रश्न में उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा कोई प्रतिवेदन उक्त घटना के सम्बन्ध में शासन को मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां। प्रश्नगत प्रतिवेदन में दी गयी बातों के सम्बन्ध में आवश्यक जांच करवाई जा रही है।

वाराणसी जिले के दशाश्वमेघ थानान्तर्गत डकैत श्री गणेश दुबे की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु

*8—श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जनपद के थाना दशाश्वमेघ के अन्तर्गत दिनांक 17/18 मार्च, 1976 की रात को गणेश दुबे नामक व्यक्ति के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और वह पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान गोली से मार दिया गया? यदि हां, तो एफ0आई0आर0 तथा डाक्टरी रिपोर्ट क्या है तथा घटना का पूरा विवरण क्या है?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 17/18 मार्च, 1976 की रात में नहीं बल्कि दिनांक 18/19 मार्च, 1976 की रात में वाराणसी जिले के थाना क्षेत्र दशाश्वमेघ में हुई पुलिस मुठभेड़ में गणेश दुबे नामक डकैत मारा गया।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

उक्त घटना के बारे में थाना दशाश्वमेध पर की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट (जिसमें घटना का विवरण दिया गया है) संलग्न है।

पोस्टमार्टम परीक्षण से गणेश दुबे की मृत्यु का कारण "शाक तथा हेमरेज" पाया गया।

उक्त घटना की मजिस्टीरियल जांच की गयी और मजिस्ट्रेट ने जांच से पुलिस कार्यवाही को न्यायोचित पाया।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 280–281 पर)

मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की न्यायालय को तहसील मुख्यालयों पर स्थापित किए जाने का निर्णय तथा तहसील बागपत, मेरठ में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की न्यायालय की स्थापना

*9—श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या न्याय मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि क्या सरकार ने मुन्सिफ मजिस्ट्रेट्स के कुछ न्यायालयों को 2 जुलाई, 1977 से जिला मुख्यालय से हटाकर तहसील मुख्यालय पर स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

राज्य सरकार ने यह निर्णय तो लिया था कि जहां आवश्यकता तथा कार्यभार व भवनों की उपलब्धता की दृष्टि से उचित हो वहां मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों के न्यायालय क्रमबद्ध योजना के अनुसार तहसील मुख्यालयों पर स्थापित किए जायं। पर ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया कि वे 2 जुलाई, 1977 से जिला मुख्यालयों से हटाकर तहसील मुख्यालयों पर स्थानान्तरित किए जायं।

बागपत तहसील में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा 3 नवम्बर, 1976 को प्रसारित किए जा चुके थे। परन्तु उपयुक्त न्यायालय भवन के अभाव में वहां पर न्यायालय 2 जुलाई, 1977 के पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता। अब वहां उक्त तिथि से न्यायालय स्थापित किया जा चुका है।

*10—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मेरठ जिले में केवल एक ही मुन्सिफ न्यायालय को तहसील बागपत के मुख्यालय पर स्थानान्तरित किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मेरठ जिले में केवल बागपत तहसील में ही मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित किया गया है। मवाना तहसील में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित करने की मांग वहां की जनता की ओर से प्राप्त हुई थी। उस पर उच्च न्यायालय की संस्तुति मांगी गई। लेकिन वहां पर उपयुक्त न्यायालय भवन के अभाव में तथा मवाना मेरठ से केवल 19 मील की दूरी पर स्थित होने के कारण न्यायालय स्थापित करना उचित नहीं समझा गया। सरधना तहसील में न्यायालय स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव वहां की जनता की ओर से प्राप्त नहीं हुआ जिस पर कि विचार किया जाता।

सचिवालय के विशेष कार्याधिकारी श्री फर्खुन्द अली सिद्दीकी को अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त किए जाने की मांग

*11—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि विशेष कार्याधिकारी (उर्दू) उत्तर प्रदेश सचिवालय को जिनका नाम अनुभाग अधिकारी के पद हेतु चयन समिति द्वारा "बी" लिस्ट में रखा गया है, अभी तक उक्त पद पर कार्य करने का अवसर नहीं दिया गया और उन्हें पुनः संवर्गीय पद पर ही चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

यह सही है कि श्री फर्खुन्द अली सिद्दीकी वर्ष 1974 में अनुभाग अधिकारी के पद के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए चयन में "बी" लिस्ट के लिए अनुमोदित हुए हैं, परन्तु वे विशेष कार्याधिकारी के निःसंवर्गीय पद पर जो अनुभाग अधिकारी के पद के समकक्ष वेतन-मान में है वर्ष 1968 में विभागीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने के उपरान्त नियुक्त किए गए थे और उसी पद पर अभी भी कार्यरत हैं। यदि वे स्वेच्छा से अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त होना चाहेंगे तो उस पर यथा सम्भव विचार किया जायगा।

*12—श्री खान मोहम्मद आतिफ खां—

[3रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतिरिक्त कारागार महानिरीक्षक के पद का सृजन

*13—श्री मोहन सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त कारागार महानिरीक्षक का पद आपात्-कालीन स्थिति के समय सृजित किया गया है ? यदि हां, तो इस पद के सृजन की क्या आवश्यकता थी ? इससे क्या कारागार विभाग के कार्यभार में कोई सुधार हुआ है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां, शासनादेश दिनांक 28 अगस्त, 1976 के द्वारा कारागार उप महानिरीक्षक के एक स्थाई पद को आस्थगित रखकर अतिरिक्त कारागार महानिरीक्षक का एक अस्थायी पद सृजित किया गया था। कारागार विभाग को सुदृढ़ बनाने एवं इसकी कार्य-कुशलता में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस पद को सृजित किया गया था। जी हां।

*14—श्री सियाराम सागर—

[4थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

शाहजहांपुर जिला थाना कांठ के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत तथा उसका निलम्बन

*15—श्री सियाराम सागर (जिला बरेली)—

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि शाहजहांपुर के थाना कांठ के इंचार्ज व अन्य पुलिस कर्मचारी, जिला अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा जुलाई, 1977 में गलत कार्य करने व रिपोर्ट दर्ज न करने के गम्भीर आरोपों में निलम्बित किए गए ? क्या यह सही है कि

निलम्बित थानाध्यक्ष के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें उप महानिरीक्षक, बरेली को संसद सदस्य (श्री सुरेन्द्र विक्रम) ने लिखित भेजी थीं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई और जांच किसने की ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 26 जुलाई, 1977 को पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधिकारी, शाहजहांपुर एक हत्या की घटना के सम्बन्ध में ग्राम मल्लपुर, थाना कांठ गए एवं उनकी जांच से ज्ञात हुआ कि थाना कांठ की पुलिस द्वारा उक्त हत्या तथा एक अन्य घटना से सम्बन्धित अभियोग सही धाराओं के अन्तर्गत अंकित नहीं किए गए थे। उक्त अनियमितताओं के लिए थानाध्यक्ष, एक हेड कान्सटेबुल तथा दो कान्सटेबुलों को लाइन हाजिर किया गया। इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी को जांच करने के आदेश दिए गए हैं। जांच के उपरान्त तदनुसार कार्यवाही की जायगी।

यह सही है कि उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतों के सम्बन्ध में माननीय संसद सदस्य, श्री सुरेन्द्र विक्रम का एक पत्र दिनांक 16 जुलाई, 1977 पुलिस उप महानिरीक्षक, बरेली को प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र में लगाए गए आरोपों की जांच भ्रष्टाचार निवारण, अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा कराए जाने के आदेश दिए गए हैं।

*16—श्री मकबूल हुसैन खां तथा श्री कल्पनाथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

*17–18—श्री राजकुमार शर्मा—

[5वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 75–76 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

शाहजहांपुर की नगरपालिका तिलहर के भूतपूर्व चेयरमैन द्वारा कुमारी आशा देवी का अपहरण किए जाने सम्बन्धी मुकदमा

*19—श्री मकबूल हुसैन खां (जिला सुल्तानपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि शाहजहांपुर की नगरपालिका तिलहर में एक नगरपालिका सदस्य द्वारा दो माह पूर्व कुमारी आशा का अपहरण किया गया और किसी प्रकार जुलाई, 1977 में जब वह मुक्त होकर आई तब उन्होंने एक बयान हल्फी भी दिया व रिपोर्ट लिखाई, फिर भी आज तक मुलजिमान के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? नगरपालिका, तिलहर में साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखने हेतु शासन ने तत्काल क्या कदम उठाए ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 26 जुलाई, 1977 को कुमारी आशा देवी पुत्री श्री सुखनन्दन प्रसाद, निवासी बहादुरगंज, तिलहर, जिला शाहजहांपुर ने स्वयं तिलहर थाने पर आकर एक लिखित तहरीर दी कि वह अपनी मर्जी से बम्बई गयी थी तथा अब वह अपने माता-पिता के साथ रहना चाहती है। कु0 आशा देवी को स्वेच्छा से अपने पिता के साथ जाने दिया गया।

दिनांक 28 जुलाई, 1977 को कु0 आशा देवी द्वारा भेजा गया एक शपथपत्र पुलिस को प्राप्त हुआ, जिसमें अमुक व्यक्तियों, जिसमें एक भूतपूर्व चेयरमैन, तिलहर भी सम्मिलित

थे, के द्वारा उसको अपहरण कर बम्बई ले जाने, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने, बलात्कार करने आदि के आरोप लगाए गए थे ।

स्थानीय पुलिस को कु0 आशा देवी दिनांक 27 अगस्त, 1977 को उपलब्ध हो सकीं। दिनांक 27 अगस्त, 1977 को ही अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 366/368/376 भारतीय दण्ड विधान का मुकदमा कायम किया गया। दिनांक 29 अगस्त, 1977 को उसका बयान धारा 164 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत मैजिस्ट्रेट के सम्मुख कलमबन्द कराया गया। अभियोग की विवेचना प्रचलित है तथा अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं।

इस घटना से किसी प्रकार का साम्प्रदायिक तनाव नहीं है ।

भिनगा रेन्ज की पकड़ी गयी सागवन की लकड़ी

*20—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या वन मन्त्री को जानकारी है कि जुलाई, 1977 के प्रारम्भ में भिनगा रेन्ज का 33 बोटा अवैध सागवन की लकड़ी पकड़ी गयी और जिसकी लिखित सूचना डी0 एफ0 ओ0, बहराइच को तत्काल दी गयी ? साथ ही साथ पेड़ों के नाजायज कटान की भी सूचना दी गई ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीचन्द्र—

जी हां। पहली सूचना पर जांच कराई गई जिसमें यह पाया गया कि कथित लकड़ी अवैध कटान की नहीं थी ।

2—दूसरी सूचना की जांच हो रही है ?

रामपुर जिले के कतिपय ग्रामों में वन भूमि पर अनधिकृत कब्जा सम्बन्धी कथित शिकायतें

*21—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या वन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके पास इस प्रकार की कोई शिकायत माह अगस्त, 1977 में आई है कि जिला रामपुर के अन्तर्गत तहसील स्वार के ग्राम नया गांव गुल्लू टांडा, कलाथानपुर, नूरपुर, तेजपुर आदि पर किन्हीं लोगों ने वन विभाग की भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया है तथा कुछ लोग जाली पट्टे जारी करके वहां के किसानों से धन भी वसूल कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री श्रीचन्द्र—

जी नहीं। किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

आपात्कालीन स्थिति में बन्दी व निष्कासित छात्रों को आयु सीमा की छूट दिए जाने की मांग

*22—श्री रामजी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन युवकों की आपात्कालीन स्थिति में राजनीतिक कारणों से बन्दी या फरार रहने या शिक्षण संस्थाओं से निष्कासन के कारण शासकीय सेवा या प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की आयु सीमा पार कर गई है उनको सरकार आयु सीमा में कोई छूट देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

जी नहीं।

पुलिस के कब्जे में लिया गया इलाहाबाद जिले का क्रान्ति प्रेस

*23—श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत की क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी (मार्क्स लेनिनवादी) का प्रेस (क्रान्ति प्रेस) जो शाही मण्डी, इलाहाबाद में स्थित था, दिनांक 23/24 मार्च, 1976 को भगत सिंह दिवस के अवसर पर छापा मार कर कोतवाली पुलिस, इलाहाबाद ने जब्त कर लिया है ? यदि हां, तो क्यों और उसे वापस करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां। घटना 23 मार्च, 1976 की है। दिनांक 23 मार्च, 1976 को आर0एस0पी0आई0 के कार्यकर्ता श्री कृष्ण प्रसाद मिश्र आपातस्थिति के विरोध में भाषण करते, जनता को हिंसात्मक कार्यवाही हेतु उत्प्रेरित करते व आपत्तिजनक पर्चे वितरित करते हुए गिरफ्तार किए गए थे। उनकी इस सूचना पर कि उक्त पर्चे क्रान्ति प्रेस से छपे थे और क्रान्ति प्रेस में अब भी उक्त पर्चे मौजूद हैं क्रान्ति प्रेस की तलाशी ली गई।

तलाशी के समय एवं विवेचना के दौरान प्रेस का रजिस्टर्ड शुदा होना नहीं पाया गया। अतः अपराधियों पर प्रेस ऐक्ट का मुकदमा चलाया गया। मुकदमें के विवेचनाधीन होने के कारण प्रेस सम्बन्धी जो सामग्री कब्जा पुलिस में ली गई थी वह वापस नहीं की गई। अब इस मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई है। अगली कार्यवाही न्यायालय के आदेशानुसार होगी।

श्री अवध नारायण त्रिपाठी, वकील (प्रतापगढ़) के सामान की कुर्की तथा वापसी

*24—श्री विद्या शंकर—

क्या गृह मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि श्री अवध नारायण त्रिपाठी, वकील, प्रतापगढ़ के घर व कार्यालय का सामान मीसा के अन्तर्गत फरार घोषित कर कोतवाली पुलिस, प्रतापगढ़ ने दिनांक 19 अगस्त 1975 को कुर्क किया था ? यदि हां, तो पूरा सामान आज तक न लौटाए जाने का कारण क्या है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां, श्री अवध नारायण त्रिपाठी, वकील, प्रतापगढ़ के सामान को 18-19 अगस्त, 1975 को कोतवाली पुलिस द्वारा कुर्की की कार्यवाही करायी गई। श्री त्रिपाठी का कुर्क किया गया कुछ सामान वापस कर दिया गया है और कुछ सामान अभी वापस नहीं किया है जिसकी जांच की जा रही है।

*25—श्री बाबू राम वर्मा—

[5वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 33 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

हरदोई जिले के थाना मझला के थानाध्यक्ष द्वारा थाने की भूमि पर कराई गई खेती के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*26—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रधान, गांव सेमरावां, थाना मझला, जिला हरदोई (श्री बाबर अली) ने जनवरी, 1977 में डी0 आई0 जी0 पुलिस, लखनऊ रेन्ज को नया थाना बनाने के लिए ली गई जमीन पर एस0ओ0 द्वारा धान की काश्त करने और उस फसल को बेचकर उसका रुपया खजाने में न जमा करने के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र दिया था? यदि हां, तो उक्त थाना इन्चार्ज के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां। प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना-पत्र डी0 आई0 जी0 लखनऊ को प्राप्त हुआ था।

शिकायती-पत्र की जांच उप पुलिस अधीक्षक, हरदोई द्वारा की गई। जांच से पाया गया कि थानाध्यक्ष ने चौकीदार को धान बोने की इजाजत दे दी थी किन्तु स्वयं उससे कोई निजी लाभ नहीं उठाया।

थानाध्यक्ष द्वारा चौकीदार को सरकारी भूमि काश्त हेतु अनिधकृत रूप से देने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, हरदोई द्वारा थानाध्यक्ष के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

शाहजहांपुर जिले के कतिपय थानों के अन्तर्गत लोक सभा व विधान सभा के चुनाव के दौरान घटित मार पीट की घटनाएं

*27—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर जिले के थाना कांट, थाना तिलहर, थाना कोतवाली व थाना जलालाबाद में लोक सभा चुनाव (मार्च, 1977 में) व विधान सभा चुनाव (जून, 1977) के दौरान जनता पार्टी के वर्करों, एनाउन्सरों तथा रिक्शा वालों को मारने पीटने, चाकू लगने की कितनी घटनायें हुई जिनकी रिपोर्ट इन थानों में मौजूद है और इस सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही की गई?

श्री राम नरेश यादव—

विगत लोक सभा चुनाव (मार्च, 1977) के दौरान एक घटना थाना जलालाबाद व दो घटनायें थाना कोतवाली में मारपीट की घटित हुईं तथा विगत विधान सभा चुनाव (जून, 1977) के दौरान चार घटनायें थाना कोतवाली में मारपीट की घटित हुईं। इन घटनाओं में से एक घटना चाकूबाजी की है।

उक्त सभी सातों मामलों में से दो मामलों में विवेचना हो रही है, तीन मामलों में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई तथा दो अहस्तक्षेपीय मामलों में विवेचना हेतु न्यायालय से अनुज्ञा नहीं मिली।

थाना कांट तथा थाना तिलहर में कोई घटना घटित नहीं हुई।

आर०टी०ओ० एवं सहायक आर०टी०ओ० के पदों पर नियुक्त पी०सी०एस० अधिकारी तथा उनके विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

*28—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पी० सी० एस० सेवा के कौन-कौन अधिकारी आर० टी० ओ० या स० आर० टी० ओ० के पदों पर नियुक्त किए गए और उनमें से कितनों के विरुद्ध सतर्कता विभाग की जांच चल रही है तथा कितनों की सत्य निष्ठा के प्रमाण-पत्र रोके गए हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

पी० सी० एस० सेवा के निम्नलिखित अधिकारी परिवहन विभाग में आर० टी० ओ० एवं स० आर० टी० ओ० के पदों पर नियुक्त किए गए :—

क्रम सं०	नाम	पदनाम	कब से कब तक
1	2	3	4
1	श्री बृजभूषण चतुर्वेदी	संभागीय परिवहन अधिकारी	6 फरवरी, 1973 से
2	श्री मानवेन्द्र बहादुर सिंह	,, ,,	14 मई, 1975 से
3	श्री महावीर यादव	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी	18 नवम्बर, 1974 से
4	श्री जगन्नाथ सिंह ..	,, ,,	7 नवम्बर, 1974 से
5	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	,, ,,	29 अक्तूबर, 1974 से
6	श्री धर्म सिंह ..	,, ,,	(11 नवम्बर, 974 से जुलाई, 1977 तक)
7	श्री राम बचन शर्मा ..	,, ,,	7 नवम्बर, 1974 से
8	श्री हरनाम सिंह कुशवाहा	,, ,,	18 अक्तूबर, 1974 से
9	श्री शीतला प्रसाद ..	,, ,,	16 अक्तूबर, 1974
10	श्री बाबू लाल ..	,, ,,	16 अक्तूबर, 1974 से
11	श्री लक्ष्मी नरायन कुरील	,, ,,	(16 अक्तूबर, 1974 से 14 जुलाई, 1977 तक)
12	श्री गुलाब सिंह ..	,, ,,	(16 अक्तूबर 1974 से जुलाई, 1977 तक)
13	श्री ब्रह्म सिंह चौधरी	,, ,,	16 अक्तूबर, 1974 से
14	श्री जीतेन्द्र बिहारी सिन्हा	,, ,,	जुलाई, 1977 से
15	श्री वीरेन्द्र पाल गुप्त	,, ,,	अगस्त, 1977 से

उक्त अधिकारियों में से एक अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता जांच चल रही है और 3 अधिकारियों की उनकी वर्ष 1975–76 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट्स में उनके प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाणित नहीं की गयी।

शाहजहांपुर के थाना खुदागंज के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*29—श्री मुनीन्द्र पाल सिंह (जिला पीलीभीत)—

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के थाना खुदागंज के इन्चार्ज के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर को कितने शिकायती-पत्र 25 मई, 1977 से 30 जून, 1977 तक प्राप्त हुए हैं और उसकी जांच किस अधिकारी ने की? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त इन्चार्ज की चरित्र पंजिका में गलत काम करने तथा झूठे चालान करने आदि की टिप्पणी दर्ज है?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां, दिनांक 25 मई, 1977 से दिनांक 30 जून, 1977 तक की अवधि में शाहजहांपुर के थाना खुदागंज के इन्चार्ज के विरुद्ध दो शिकायती-पत्र प्राप्त हुए थे जिनकी जांच क्षेत्राधिकारी, तिलहर ने की।

उक्त थाना के इन्चार्ज की चरित्र पंजी में उनके द्वारा गलत काम किए जाने तथा झूठे चालान करने आदि की टिप्पणी पिछले 10 वर्ष में अंकित नहीं है। लेकिन सन् 1964 में इनको एक दुश्चरित्र लेख इनके चरित्र पंजी में किया गया था कि इन्होंने एक मामला न्यायालय को भेजा था जो बाद में असत्य पाया गया था।

वन विभाग के प्रभागीय वन अधिकारी व रेन्ज अधिकारियों की चरित्र पंजिका में सन्दिग्ध सत्य निष्ठा की प्रविष्टि

*30—श्री मुनीन्द्र पाल सिंह—

क्या वन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश वन विभाग में कितने वन प्रभाग अधिकारी व रेन्ज अधिकारी ऐसे हैं जिनकी सत्यनिष्ठा उनकी चरित्र पंजिका में संदिग्ध है और अब भी प्रभाग व रेन्ज के चार्ज में हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री श्रीचन्द—

एक प्रभागीय वन अधिकारी तथा 17 रेन्ज अधिकारियों की उनकी चरित्र पंजिका में दी हुई प्रविष्टि के आधार पर सत्यनिष्ठा विभिन्न वर्षों में संदिग्ध रही है।

2—प्रश्नगत प्रभागीय बनाधिकारी की सत्यनिष्ठा 1974-75 में रोकी गयी थी। तब से वे लगातार रेगुलर वन प्रभाग के चार्ज में नहीं हैं। उन्हें स्पेशल ड्यूटी चार्ज तथा अन्य non sensitive पदों पर रक्खा गया है। शुरू में वे ट्रेनिंग के चार्ज में थे, बाद में वे अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल के सहायक के पद पर तैनात रहे और अब लगभग पिछले 5 महीनों से एक अनुसन्धान वन प्रभाग के चार्ज में हैं 1975-76 व 1976-77 दोनों वर्षों में इन्होंने सत्यनष्ठिा का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है।

3—17 में से 14 रेन्ज अधिकारी, रेन्ज के चार्ज में हैं। 2 रेन्ज अधिकारियों को निलम्बित किया गया है तथा एक को सेवा निवृत्त किया जा चुका है।

4—वर्तमान नियमों में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है जिसके अनुसार ऐसे वनाधिकारियों व रेन्ज अधिकारियों को जिनकी सत्यनिष्ठा किसी वर्ष में संदिग्ध रही हो उन्हें प्रभाग व रेन्ज का चार्ज न दिया जाय।

*31—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[माननीय सदस्य ने प्रश्न वापस लिया।]

*32—श्री मकबूल अहमद—

[4थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जीप फ्लैश लाइट इंडस्ट्रीज लि० इलाहाबाद के कर्मचारी, श्री शारदा प्रसाद को मारे पीटे जाने की घटना

*33—श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या गृह मन्त्री को इसकी जानकारी है कि इलाहाबाद स्थित थाना पूरा मुफ्ती में 12 जुलाई, 1977 को इस आशय की रपट लिखाई गई है कि जीप फ्लैश लाइट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, इलाहाबाद के एक कर्मचारी (श्री शारदा प्रसाद) को कुछ मजदूरों ने बुरी तरह से घायल कर के नाले में फेंक दिया था? यदि हां, तो उस बारे में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार जीप फ्लैश लाइट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, इलाहाबाद के एक कर्मचारी, श्री शारदा प्रसाद पुत्र, श्री सुद्धू हरिजन ने दिनांक 12 जुलाई, 1977 को सायंकाल 5 बजे थाना पूरामुफ्ती जिला इलाहाबाद, पर इस आशय की एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 11 जुलाई, 1977 को लगभग 8.30 बजे रात्रि में जब वह फैक्टरी से वापस आ रहा था तब रास्ते में मन्दर मोड़ पर उसे 6 अज्ञात व्यक्ति मिले। वे लोग अपने चेहरा ढके हुए थे तथा उन्होंने उसे रोक कर पकड़ लिया और उक्त फैक्टरी के एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर, श्री एस0 पी0 मिश्रा के लखनऊ जाने आदि के बारे में उससे पूछताछ किया।

इस पूछताछ के बारे में अपनी अनभिज्ञता प्रकट करने पर उपरोक्त सभी लोगों ने उसे लात घूसों से मारा। फलस्वरूप उसे चोंटें आई और वह गिर पड़ा तथा वे लोग उसे सड़क के किनारे नाली में फेंककर चले गए जहां कि वह 1 बजे तक बेहोश पड़ा रहा।

वादी के उपरोक्त सूचना पर उक्त थाने में 6 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध संख्या 154 धारा 147/323/504/508 भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत कायम करके वादी की चोटों का डाक्टरी परीक्षण कराया गया। डाक्टरी परीक्षण से उसके शरीर पर कुल एक साधारण चोट पाई गई। विवेचना के उपरान्त साक्ष्य के अभाव में मुकदमें में दिनांक 31 जुलाई, 1977 को प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय के विचाराधीन है।

दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग तथा उत्तर गोण्डा वन प्रभाग की रायल्टी दर का विवरण

*34—श्री बिन्दू लाल (जिला गोण्डा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 में वन निगम ने दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग को किस-किस दर से रायल्टी दी और इन्हीं वर्षों में उत्तर गोण्डा वन प्रभाग में सार्वजनिक नीलाम से क्या-क्या रायल्टी प्राप्त हुई?

श्री श्रीचन्द--

वर्ष 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 में दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग, जिस में मुख्यत : साखू के वन हैं, को उत्तर प्रदेश वन निगम ने निम्न दर से रायल्टी दी है :--

वर्ष	रायल्टी प्रति घ0मी0 (गोल लकड़ी)
1974-75	202
1975-76	238
1976-77	238

यह रायल्टी अनन्तिम है। अन्तिम रूप से रायल्टी तय की जानी है। अन्तिम रूप से तय किए जाने पर वन निगम द्वारा देय दर कुछ बढ़ ही जाएगी, घटने की कोई सम्भावना नहीं है । उत्तर गोण्डा वन प्रभाग के साखू के वनों से सार्वजनिक नीलाम में प्राप्त रायल्टी उपरोक्त तीन वर्षों की निम्नानुसार है :--

वर्ष	रायल्टी प्रति घ0 मी0 (गोल लकड़ी)
1974-75	365
1975-76	344
1976-77	443

अतारांकित प्रश्न

एटा जिले के कतिपय थानों के अन्तर्गत आपातस्थिति के दौरान जमा कराए गए बन्दूक के लाइसेन्स

1--श्री प्यारे लाल (जिला एटा)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जिला एटा में 1975 में आपात स्थिति के दौरान थाना, सिढ़पुरा व जैथरा व सकीट व अलीगंज व गंजडुंडवारा के अन्तर्गत कितने बन्दूक वा लाइसेन्स जमा कराए गए? क्या सरकार जमा कराए गए बन्दूक व लाइसेन्स वापस देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव--

सूचना संलग्न है ।

जी हां, वापसी के बारे में नियमानुसार विचार किया जा सकता है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 282 पर।)

अल्मोड़ा मैगनेसाइट लि० अल्मोड़ा द्वारा टाटा नगर को आपूर्ति किया गया मैगनेसाइट

2--श्री भगवती चरण निर्मोही (जिला गढ़वाल)--

क्या उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मैगनेसाइट लि0, अल्मोड़ा से दिनांक 31 जुलाई, 1977 तक कितना कच्चा मैगनटसाइट टाटा नगर ले जाया गया और उत्तर प्रदेश

शासन से इस सम्बन्ध में जो शर्तनामा हुआ था क्या, काम उसी के अनुसार हुआ ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री राम प्रकाश—

अल्मोड़ा मैंगनेसाइट लि0, अल्मोड़ा से 31 जुलाई, 1977 तक 6,260 टन कच्चा मैंगनेसाइट टाटा नगर ले जाया गया। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से कोई शर्तनामा नहीं हुआ था। इसलिए शर्तनामें के अनुसार कार्य करने का प्रश्न नहीं उठता।

बहराइच जिले के सहायक वासिल बाकी नवीसों की सेवा समाप्ति

3—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को जानकारी है कि दिनांक 8 मई, 1976 को जिला चयन समिति, बहराइच ने सहायक वासिल वाकी नबीस (लिपिक) पद हेतु 16 व्यक्तियों का चयन किया और उन्हें दिनांक 28 फरवरी, 1977 को अवैधानिक ढंग से सेवा से अलग करके शासनादेश संख्या 8/30/1975-कार्मिक-2, दिनांक 27 जनवरी, 1977 का उल्लंघन किया है जिसके विरुद्ध जिलाधिकारी, बहराइच को मार्च, 1977 में श्री केशवराम आदि 12 व्यक्तियों ने प्रार्थनापत्र दिया ? यदि हां, तो इस घटना का पूर्ण विवरण क्या है और इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के आधार पर जिला चयन समिति बहराइच ने अपनी बैठक दिनांक 8 मई, 1976 में सीजनल सहायक वासिल वाकी नबीस के पद के लिए 17 व्यक्तियों को न्युक्त किया। उनमें से 16 व्यक्तियों ने अपने पद का भार ग्रहण किया और चार व्यक्तियों चयनित ने कुछ काल के बाद अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया। शेष 12 व्यक्तियों के पदों की स्वीकृति दिनांक 28 फरवरी 1977 के पश्चात् प्राप्त न होने के कारण उन्हें सेवा में न रखा जा सका। इन व्यक्तियों की नियुक्तियां सीजनल पदों पर ही हुई थीं, इसलिए उन पदों की स्वीकृति समाप्त होने के पश्चात् इनकी सेवायें स्वत: समाप्त हो गईं। इस मामले में शासनादेश संख्या 8/30-1975 कार्मिक-2, दिनांक 27 जनवरी, 1977 का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं हुआ है। इन व्यक्तियों में से कुछ ने अपनी नियुक्तियों की समाप्ति के विरुद्ध प्रत्यावेदन दिया था जिसकी विस्तृत जांच कराई गई, उसमें कोई तथ्य नहीं पाया गया। इस तथ्य से आवेदकों को सूचित भी कर दिया गया।

नैनीताल जिले के कालाडुंगी कस्बा स्थित राजकीय हाई स्कूल के भवन निर्माण की मांग

4—श्री रामदत्त जोशी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला नैनीताल के कालाडूंगी नामक कस्बे में राजकीय हाई स्कूल के लिए सरकार ने अभी तक कोई स्कूल भवन का निर्माण नहीं कराया है ? यदि हां, तो उपरोक्त हाई स्कूल का भवन निर्माण कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है ?

पर्वतीय विकास मन्त्री (श्री शोबन सिंह जीना)—

जी हां। इस विद्यालय के भवन निर्माणार्थ स्थानीय शिक्षा अधिकारियों द्वारा कालाडूंगी के पास ही वन विभाग की 5 एकड़ भूमि चयन की गयी थी। परन्तु चूंकि वह भूमि बहुमूल्य धन सम्पदा से आच्छादित है, जिसका निपातन शासन की नीति के विरुद्ध है, अत : वन विभाग उस भूमि को शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित करने को उद्यत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा निदेशक को प्रश्नगत कार्य हेतु अन्य उपयुक्त भूमि चयन करने के आदेश दिए गए हैं।

5—श्री नेतराम सिंह—

[4थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

वाराणसी जिले के कतिपय थानों के अन्तर्गत चोरी, डकैती, राहजनी और कत्ल की घटनाएं

6—श्री राम नारायण वर्मा (जिला सीतापुर), श्री सन्त बक्श रावत (जिला लखनऊ,) तथा श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती) तथा श्री ऊदल—

क्या पुलिस मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के थाना, मिजरजामुराद, औराई, भदोही, गोपीगंज, ज्ञानपुर, सुरियांवां, रोहनियां के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1977 से 1 अगस्त, 1977 तक कितनी डकैती, चोरी, राहजनी व कत्ल की घटना घटी ?

श्री राम नरेश यादव—

दिनांक 1 जनवरी, 1977 से दिनांक 1 अगस्त, 1977 की अवधि में वाराणसी जिले के थाना मिरजामुराद औराई, भदोही, गोपीगंज, ज्ञानपुर, सुरियावां तथा रोहनियां पर डकैती की 19, चोरी 153, राहजनी की 9 तथा हत्या की 13 घटनाओं की रिपोर्टें प्राप्त हुईं।

वन्य जन्तु परिरक्षण संगठन तथा प्रोजेक्ट टाइगर के कर्मचारियों की संख्या तथा व्यय की गयी धनराशि

7—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आज कल जंगली जानवरों को बचाने के लिए (वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन) क्या प्रबन्ध है ? इस कार्य में कितने वैतनिक कर्मचारी और कितने अवैतनिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। और उनकी तैनाती कहां-कहां पर है और इन पर सरकार का कितना धन व्यय होता है ?

श्री श्रीचन्द—

जी हां।

जंगली जानवरों को बचाने के लिए प्रदेश के वन विभाग के वन्य जन्तु परिरक्षण संगठन तथा प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा प्रबन्ध किया जा रहा है।

इन संगठनों में निम्नलिखित वैतनिक व अवैतनिक कर्मचारी कार्यरत हैं :—

(1) फील्ड में कार्यरत वैतनिक कर्मचारी—416,
(2) कार्यालय में कार्यरत वैतनिक कर्मचारी—166,
(3) फील्ड में कार्यरत अवैतनिक वाइल्ड लाइफ वार्डेन—14।

फील्ड में कार्यरत वैतनिक कर्मचारियों की तैनाती निम्नलिखित स्थानों पर है :—

वन्य जन्तु रीजन		मुख्यालय
(1) देहरादून रीजन	..	.. देहरादून
(2) कोटद्वार रीजन	..	.. कोटद्वार (गढ़वाल)
(3) पश्चिमी रीजन	..	.. रामनगर, नैनीताल
(4) रुहेलखंड रीजन	..	.. पीलीभीत
(5) खीरी रीजन	..	.. लखीमपुर-खीरी
(6) केन्द्रीय रीजन	..	.. लखनऊ
(7) पूर्वी रीजन	..	.. गोण्डा
(8) मध्य विन्ध्य रीजन	..	.. इलाहाबाद
(9) आगरा मेरठ रीजन	..	.. मेरठ
(10) कार्बेट नेशनल पार्क	..	.. रामनगर, नैनीताल
(11) दुधवा नेशनल पार्क	..	.. लखीमपुर-खीरी

अवैतनिक वाइल्ड लाइफ वार्डेनों की तैनाती निम्नलिखित जिलों में है :—

अल्मोड़ा, आगरा, इलाहाबाद, इटावा, उन्नाव, गोण्डा, झांसी, मिर्जापुर, रामपुर, लखीमपुर-खीरी, सीतापुर, सहारनपुर और शाहजहांपुर।

वैतनिक कर्मचारियों (फील्ड व कार्यालय) पर सरकार का वर्ष 1976-77 में रुपया 23,56,113 व्यय हुआ था।

अवैतनिक वन्य जन्तु प्रतिपालकों पर कोई व्यय नहीं हुआ है।

8—श्री विष्णु प्रताप सिंह—

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

9—श्री विष्णु प्रताप सिंह—

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

श्री हरनाम सिंह कपूर, आफिस सुपरिंटेंडेंट, के०एम०ओ०यू० लि०, काठगोदाम द्वारा थाने में लिखाई गई रिपोर्ट

10—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 28 सितम्बर, 1972 को क्राइम नं० 642/72 तहत सेक्शन 408/409 आई०पी०सी० जो के०एम०ओ०यू० लि०, काठगोदाम, जिला नैनीताल ने दर्ज कराई थी उसका मुकदमा कब दायर किया गया और उसका निर्णय क्या हुआ ?

श्री राम नरेश यादव—

श्री हरनाम सिंह कपूर, आफिस सुपरिन्टेडेन्ट, के०एम० ओ० यू० लि०, काठगोदाम, जिला नैनीताल द्वारा प्रेषित एक प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना हल्द्वानी पर दिनांक 27 सितम्बर, 1972 को एक अभियोग अन्तर्गत धारा 408 भा०दं० वि० पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग विवेचनाधीन है। शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि अभियोग की विवेचना शीघ्र पूर्ण की जाय।

सीतापुर जिले के ग्राम इन्दोरा निवासी, श्री श्याम नारायन की हत्या

11—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या पुलिस मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4 जुलाई, 1977, थाना महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में एक लड़के की लाश कुयें में पाई गई थी ? यदि हां, तो क्या उस सम्बन्ध में पुलिस को कोई जानकारी मिली है ? यदि नहीं, तो इस मामले में अब क्या कार्यवाही चल रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां। इस घटना के सम्बन्ध में थाना महमूदाबाद, जिला सीतापुर पर एक अभियोग अन्तर्गत धारा 302/201 भा0दं0वि0 का कायम हुआ और विवेचना थानाध्यक्ष द्वारा प्रारम्भ की गई ।

अब तक की विवेचना से ज्ञात हुआ कि मृत्यु के पूर्व मृतक श्याम नारायन व महबूब, निवासी इन्दोरा, साथ-साथ थे। उक्त महबूब की तलाश की जा रही है।

बाराबंकी जिले के थाना रामनगर के अन्तर्गत कत्ल, डकैती एवं राहजनी की घटनाएं

12—श्री अशरफी लाल यादव (जिला बाराबंकी) तथा श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के थाना रामनगर क्षेत्र में 1 जुलाई, 1977 से 10 अगस्त, 1977 तक कुल कितनी कत्ल, डकैती एवं राहजनी की घटनायें घटीं और उनके सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला बाराबंकी के थाना, राम नगर क्षेत्र में 1 जुलाई, 1977 से 10 अगस्त, 1977 तक कत्ल की 2, डकैती की 2 तथा राहजनी की एक घटना घटी। सम्बन्धित मुकदमों में विवेचना जारी है।

बाराबंकी स्पिनिंग मिल द्वारा उत्पादित सूत की मात्रा

13—श्री अशरफी लाल यादव तथा श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी स्पिनिंग मिल में प्रति माह कितना सूत तैयार होता है और उसे कहां-कहां सप्लाई किया जाता है ?

श्री राम प्रकाश—

इस मिल में लगभग औसतन 76,800 कि0ग्रा0 सूत का प्रति माह उत्पादन हुआ है, जिसमें से 64,027 कि0ग्रा0 धागा निर्गत किया गया। कुल निर्गत किए गए धागे में से गत महीनों में 78.7 प्रतिशत के अन्दर तथा 1.6 प्रतिशत प्रदेश के बाहर और लगभग 19.7 प्रतिशत विदेशों को निर्यात होता रहा है। अब भारत सरकार द्वारा निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के फलस्वरूप निर्यात होने वाला सूत भी स्थानीय मन्डियों में बेचा जा रहा है।

14—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

सीतापुर जिले के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन की धनराशि

15—श्री राजेन्द्र कुमार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले में कितने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को कितनी-कितनी धनराशि प्रति मास राजनीतिक पेन्शन के रुप में प्राप्त होती है ?

श्री राम नरेश यादव—

जिला सीतापुर में 375 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को निम्नवत् राजनीतिक पेन्शन प्राप्त होती है :

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की संख्या			पेन्शन की धनराशि जो प्रत्येक को प्रति माह प्राप्त होती है
			रु0
236	..	..	60
1	..	..	65
62	..	..	70
18	..	..	75
26	..	..	80
32	..	..	100

भूतपूर्व जिला अधिकारी, फर्रुखाबाद के विरुद्ध शिकायतें

16—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के भूतपूर्व जिलाधिकारी (श्री मु0 साहदुल्ला) के विरुद्ध जनपद के 6 जनता पार्टी विधायकों की शिकायतों की जांच सतर्कता आयोग से गत माह करवाई गई है ? यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम हुआ है ?

श्री राम नरेश यादव—

प्रश्न में उल्लिखित शिकायत के आरोपों को शासन दिखवा रहा है। अभी परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है।

जीप फ्लैश लाइट इंडस्ट्रीज लि०, इलाहाबाद के मजदूरों के बीच मारपीट की घटना

17—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद स्थित जीप फ्लैश इन्डस्ट्रीज लि0 में वर्ष 1977 में मजदूरों में मारने-पीटने की कितनी घटनायें घटीं तथा उन घटनाओं पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव—

इलाहाबाद स्थित जीप फ्लैश लाइट इन्डस्ट्रीज लि0 की दो यूनिटों में वर्ष 1977 में अब तक मजदूरों में मारने पीटने की आठ घटनायें लिखाई गईं जिनमें चार अहस्तक्षेपीय रिपोर्टें थीं तथा पुलिस को विवेचना करने का कोई अधिकार नहीं है। अत: इन सूचनाओं पर पुलिस कार्यवाही सम्भव नहीं थी। अवशेष चार सूचनायें शान्ति व्यवस्था के भंग होने तथा मारपीट से सम्बन्धित थीं, जिन पर पुलिस द्वारा समयानुसार धारा 107/116 द0 प्र0 सं0 तथा धारा 151 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

जिला पीलीभीत के कतिपय थानों के अन्तर्गत दिए गए आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स

18—श्री मुनीन्द्र पाल सिंह—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1 मार्च, 1977 से 30 जून, 1977 तक कितने अग्नि-शस्त्रों के लाइसेन्स जिला पीलीभीत के थाना बीसलपुर, बिलसड़ा व बरखेड़ा में दिए गए तथा इन पर सिफारिशें किस सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा की गईं और क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इस बीच असामाजिक तत्वों को भी लाइसेन्स दिए गए हैं? यदि हां, तो वह कितने हैं?

श्री राम नरेश यादव—

दिनांक 1 मार्च, 1977 से दिनांक 30 जून, 1977 तक की अवधि में थाना बीसलपुर, बिलसन्डा तथा बरखेड़ा के अन्तर्गत क्रमश: 44, 43 व 7 आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स दिए गए। इन पर किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता की सिफारिश नहीं थीं। सभी लाइसेन्स पुलिस अधीक्षक से आवश्यक जांच करने के उपरान्त ही उनकी संस्तुति पर दिए गए। किसी भी असामाजिक तत्व को लाइसेन्स नहीं दिया गया।

बस्ती, देवरिया तथा गोरखपुर जनपदों में अनावृष्टि तथा सिंचाई की व्यवस्था न होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रविन्द्र (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बस्ती, देवरिया, गोरखपुर में सूखे की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। इन जनपदों में धान की फसल अनावृष्टि के कारण पूर्णत: बरबाद हो गयी। विशेषकर माठ की भूमि और जो इलाके जहां सिंचाई की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। धान किस तरह फूट रहा था ठीक उसी मौके पर उसे अनावृष्टि का शिकार होना पड़ा। इस महा प्रकोप से किसानों को राहत देने के लिए सिंचाई और विद्युत् विभाग ने किसानों की किसी प्रकार की राहत नहीं पहुंचायी। नहरी इलाकों में खास कर गन्डक कमांड एरिया में पड़ने वाले इलाकों में किसानों के चिल्लाने के बावजूद सिंचाई विभाग ने पानी नहीं दिया। जहां कहीं सरकारी ट्यूबवेल हैं उनमें से अधिकांश मैकेनिकल या टेक्निकल कारणों से बन्द

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बताए गए और जहां कहीं चल भी रहे थे, बीच-बीच में बिजली न मिलने के कारण बन्द हो जाते थे। ट्यूबवेल की नालियों की दशा इतनी दयनीय है कि पानी खेत तक पहुंचने के बजाय रास्ते में ही रह जाता है।

इन जनपदों का दुर्भाग्य है कि एक ओर जहां कुछ इलाके घाघरा राप्ती, कुआनो, गन्डक तथा अनेकानेक नदियों व नालों के कारण बाढ़ से तबाह हो गए तो दूसरी ओर शेष भाग सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

सरकार इन तीनों जनपदों को तत्काल सूखा व बाढ़ से क्षति-ग्रस्त घोषित करे और प्रत्येक प्रकार के राहत कार्य शुरू किए जायं। वसूली का कार्य तत्काल रोका जाय। छात्रों की फीस माफ की जाय। प्रभावित लोगों को अन्न व चारे की व्यवस्था की जाय। सस्ते गल्ले की दूकानें गांवों में खोली जायं।

उन्नाव के राजकीय चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताएं एवं रोगियों के प्रति डाक्टरों की उपेक्षात्मक नीति के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के प्रश्न पर उन्नाव जिले के एक मात्र राजकीय चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता व रोगियों के प्रति डाक्टरों की उपेक्षात्मक नीति के कारण व्याप्त जनरोष की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उन्नाव जनपद का राजकीय चिकित्सालय नितान्त जर्जरित है, जिसकी दीवारों से प्लास्टर उखड़-उखड़ कर गिरता रहता है, छतें टपकती रहती हैं। सीलन इतनी अधिक है कि मरीजों को अन्य बीमारियां हो जाने का खतरा बना रहता है। जनरल वार्ड के निकट बने सेप्टिक टैंकों की बदबू वार्डों में भरी रहती है जिससे उनमें घुटन महसूस होती है। अस्पताल में भ्रष्टाचार का बोलवाला है। सी0 एस0 डी0 स्टोर में दवाइयों आदि की खरीद में की गई घपलेबाजी की गम्भीर शिकायतें सरकार को भेजी जा चुकी हैं लेकिन सरकार द्वारा चुप्पी साध लिए जाने के कारण डाक्टरों की मनमानी बढ़ गयी है। अस्पताल की कीमती से कीमती हजारों रुपए की दवायें व इन्जेक्शन रोगियों को न देकर अवधि समाप्त हो जाने पर नष्ट कर दिए जाते हैं। गत 3 सिम्तम्बर को ऐसी ही तमाम इन्जेक्शन व दवाएं नष्ट कर दी गयीं। अस्पताल में जो रुई खरीदी गयी है, उसमें भारी गोलमाल है जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई और तौल माप कराने पर शिकायतें सही मिलीं।

यही नहीं, अस्पताल में बिना कुछ लिए दिए रोगियों को भर्ती भी नहीं किया जाता है जिसका प्रमाण यह है कि गत 8 सितम्बर को एक मजदूर को घर जाते समय बदमाशों ने गोली मार कर उसका शरीर छलनी कर दिया था जिसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली में भिजवाने के बाद जब उस गरीब घायल मजदूर को अस्पताल में ले जाया गया तो ड्यूटी पर तैनात अस्पताल के डाक्टर वर्मा ने लेन देन की बात की किन्तु पैसा न दिए जाने के कारण उपचार हेतु उसे अस्पताल में न तो भर्ती किया गया और न ही उसे अस्पताल से दवायें दी गयीं। शहर के कुछ संभ्रांत व्यक्तियों ने अपने पैसों से उसके लिए बाजार से खरीद कर दवायें दीं तब उसका उपचार हुआ।

[श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी]

अस्तु विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त तथा व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकृष्ट कर अपेक्षा करता हूं कि वह जनपद की जनता में फैल रही रोष की भावना को समाप्त करने हेतु अविलम्ब प्रभावी कदम उठायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उस व्यक्ति का फोटो है और साथ ही साथ वह इन्जेक्शन भी, जो अस्पताल में नष्ट कर दिए गए, मेरे पास हैं।

मथुरा जनपद में बाढ़ से फसल नष्ट होने से किसानों को राहत देने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को एक सूचना दे रहा हूं। मथुरा जनपद गत 1967 से भयंकर बाढ़, गरकी से पीड़ित होता आया है। इसके कारण दोनों फसलों में से कोई भी फसल इस जनपद के किसानों को पूरी नहीं मिल पायी हैं। पड़ोस के दो राज्यों, हरियाणा और राजस्थान के पानी की निकासी के लिए इस जनपद की जमीन का प्रयोग किया जाता है जोकि अभिशाप सिद्ध हो रहा है।

16 अप्रैल, 1977 से 24 जून, 1977 तक रबी की खड़ी फसल पर 9 बार ओले तथा वर्षा के कारण जनपद की 65 प्रतिशत फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी थी। इस जनपद की 9 लाख 32 हजार एकड़ भूमि में से लगभग 8 लाख एकड़ भूमि पर आज भी पानी भरा हुआ है और आगामी फसल होने की भी कोई सम्भावना नहीं है।

इस जनपद के 1025 गांवों में से 814 गांव भारी वर्षा और बाढ़ के कारण पीड़ित हैं तथा मवेशियों के चारे की भी व्यवस्था नहीं है। इस जनपद के 34 प्रतिशत ऐसे परिवार हैं जिनके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। भारी वर्षा तथा बाढ़ के कारण 37 स्त्री, पुरुषों की अकाल मृत्यु हो चुकी है। तथा 1,000 से अधिक पशु बीमारी तथा चारे के अभाव में दम तोड़ चुके हैं। इस प्रकार लगभग 3 करोड़ रुपए की फसल, 80 लाख रुपए कीमत के मकान तथा 15 लाख रुपए कीमत की पशु हानि हुई है।

जनता की मांग के आधार पर कुछ गांवों को बचाने के लिए पम्पिंग सेटों की जो व्यवस्था की गई है, वह अपर्याप्त है। जिला प्रशासन इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से असफल है। अब तक इस जनपद की 3 फसलों की हानि के कारण उक्त फसलों का लगान मुल्तवी किया गया है। अत: जनपद के किसानों की हानि को ध्यान में रखते हुए मुल्तवी किया गया लगान पूर्ण रूप से माफ किया जाय क्योंकि तीनों फसलों में किसानों को कोई आमदनी नहीं हुई।

गोकुल विधान सभा क्षेत्र के गांव, रजुगोला में एक ही रात में भारी वर्षा के कारण मकान गिर जाने से चार व्यक्तियों की आकस्मिक मृत्यु हो गई है। जनता की भावना प्रशासन के प्रति असन्तोषजनक ही होती जा रही है....

श्री अध्यक्ष—

हुकम चन्द्र जी, आप संक्षिप्त कीजिए, बहुत लम्बा हो गया।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

बस हो गया। अत: निवेदन है कि जिले के विधायकों की देखरेख में पीड़ित जनता को अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जाय। बाढ़ के कारण तीन ओर से आवागमन बिल्कुल ठप्प हो गया है, केवल आगरा मथुरा मार्ग ही यातायात के लिए खुला है।

राजकीय शिक्षकों के वेतन-मान, सेवा शर्तों तथा नियुक्ति प्रणाली में व्याप्त विसंगतियों के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, आपके माध्यम से लोक महत्व की अधोलिखित समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

राजकीय शिक्षकों के वेतन-मान, सेवाशर्तों, भविष्य की सुरक्षा तथा नियुक्ति प्रणाली में व्याप्त विसंगतियों एवं अन्याय की ओर वर्तमान शासन द्वारा तुरन्त ध्यान दिया जाना आवश्यक है। समुचित ध्यान न दिए जाने के कारण निराश हो कर इन्हें अपने जनतंत्रीय अधिकारों के अधीन आन्दोलन की राह पर उतरना पड़ा है। न्यायोचित मांगों को पूरा न करने से उनमें निराशा की भावना व्याप्त हुई, जिससे अध्यापन कार्य भी प्रभावित है। उनकी मांगें हैं कि :—

(1) 1 जुलाई, 1977 तक सेवारत समस्त अस्थायी अननुमोदित राजकीय अध्यापक/अध्यापिकाओं की सेवायें नियमित घोषित की जायं।

(2) जिन अस्थायी राजकीय शिक्षकों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं, उन्हें तुरन्त उनके पदों पर नियुक्त किया जाय।

(3) भविष्य में तदर्थ नियुक्तियां बिल्कुल बंद कर दी जायं।

(4) विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा से सीधे क्लास दो में पदोन्नति की राजाज्ञा अविलम्ब निर्गत की जाय।

(5) शिक्षण एवं प्रशिक्षण विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों अथवा प्रधानाचार्यों के पदों पर प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की पदोन्नति सम्बन्धी राजाज्ञा संख्या बी-7886/पन्द्रह-24-1974, दिनांक 3 दिसम्बर, 1974 तुरन्त निरस्त घोषित की जाय।

(6) सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों की भाँति राजकीय शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष की जाय।

(7) डिग्री कालेजों के शिक्षकों को प्रदत रु0 700-1,600 के वेतन-मान के परिपेक्ष्य में राजकीय शिक्षकों के वेतन-मान पुनरीक्षित किए जायं।

(8) कला, व्यायाम, संगीत एवं शिल्प आदि विषयों के शिक्षकों के एक्स-कैडर पद इन कैडर किए जाने की राजाज्ञा निर्गत की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार—]

(9) पेन्शन निर्धारण के समय राजकीय शिक्षकों को राजकीय सेवा में आने से पूर्व उनके द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में कृत सम्पूर्ण सेवा अवधि का लाभ प्रदान किया जाय।

अन्त में मैं मान्यवर, आप के माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह राजकीय शिक्षकों की इन मांगों पर सद्भावना पूर्वक विचार कर उन्हें स्वीकार करने की कृपा करें।

परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा फैजाबाद में ट्रक दुर्घटना के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, परिवहन विभाग में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार के कारण इस समय फैजाबाद जनपद में सड़क की दुर्घटनाओं में तीव्र वृद्धि हो रही है। इस विभाग के कर्मचारी व अधिकारीगण दिन रात केवल अवैधरूप से पैसा प्राप्त करने हेतु जोड़-तोड़ करते रहते हैं। दिनांक 1 सितम्बर, 1977 को गोरखपुर से आने वाली एक रोडवेज बस, 6 सवारियों से लदा एक तांगा, ईंटों से लदी एक ट्रक यू0 पी0 एक्स 3054, आगे पीछे आ रही थीं। अमानीगंज पुल के सकरे मार्ग पर किसी तरह रोडवेज बस तो पुल पार कर गयी लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब ट्रक तांगा को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी, उसी समय बोझ से भारी होने के कारण स्टियरिंग पर कन्ट्रोल न रह जाने से ट्रक ने जो टक्कर दी उससे तांगा मय सवारी अमानीगंज पुल से नीचे जा गिरा और साथ ही रेलिंग टूट जाने से ट्रक भी पुल से नीचे पहुंच गयी। फलस्वरूप तांगे की सभी सवारियां मय घोड़े के, ट्रक आदि सभी दुर्घटनाग्रस्त हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगभग दो दर्जन व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आई जिनमें से आधे दर्जन लोग तथा तांगे का घोड़ा दिवंगत हो चुके हैं। यह भी अफवाह है कि ईंटों के मलबे के नीचे भी कुछ लाशें दब गयीं थीं, जिन्हें रात के अन्धेरे में इधर-उधर कर दिया गया।

मान्यवर, बताया जाता है कि उक्त ट्रक नम्बर. यू0 पी0 एक्स0 3054 के मालिक ने विगत कई माह से पथकर भी नहीं जमा किया है और उक्त ट्रक दुर्घटना के दिन तक बिना किसी प्रमाण-पत्र के अधिकारियों की साजिश से चलाई जा रही थी और उपरोक्त ट्रक का असली नम्बर यू0 पी0 एक्स, 1269 है जो विगत कई माह पूर्व जब्त किया जा चुका है लेकिन बताया जाता है कि कुछ ले देकर उपरोक्त ट्रक के मालिक अपना काम चला रहे थे।

मान्यवर, यदि दिनांक 1 सितम्बर, 1977 की दुर्घटना में ट्रक भी नीचे न गिर गयी होती तो भाग जाती और गाड़ी का सही नम्बर न होने के कारण असलियत का पता भी न चलता। मैं इस घटना की सूचना आपकी अनुमति से सदन को देता हूं और आपके माध्यम से सरकार से, विशेषकर माननीय परिवहन मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने विभाग के भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु अविलम्ब कठोर तथा प्रभावी कदम उठावें।

प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं की पाठ्य पुस्तकों में भूतपूर्व प्रधान मन्त्री का नाम छापने तथा कांग्रेस की नीतियों का उल्लेख जारी रखने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार धराशायी हो गयी और केन्द्र तथा उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बन गयी है, लेकिन आश्चर्य का विषय है कि अभी भी आपात स्थिति की बुराइयां और तानाशाही का प्रतीक इन्दिरा गांधी का गुणगान विश्वविद्यालयों तथा शिक्षण संस्थाओं में चल रहे हैं। यह एक अत्यन्त ही अजीब सी बात है कि उत्तर प्रदेश में कक्षा 7 में अंग्रेजी की एक पाठ्य पुस्तक 'बेसिक इंगलिश रीडर' पढ़ाई जा रही है जिसके अध्याय 9 में अभी भी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को बताया जा रहा है जब कि सम्प्रति देश के प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई हैं।

(माननीय सदस्य द्वारा उक्त पुस्तक दिखाते हुए) इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं। इस पुस्तक में उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की सील लगी हुई है।

इसी तरह से लखनऊ विश्वविद्यालय बी0ए0 की कक्षा में मध्ययुगीन काव्य, आधुनिक गद्य साहित्य नाम पुस्तक पढ़ाई जा रही है जिसकी प्रकाशक 20 सूत्री कार्यान्वियन समिति, हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय है। इस पुस्तक के जरिए यह स्पष्ट है कि अभी भी 20सूत्री कार्यान्वयन समिति, लखनऊ, विश्वविद्यालय हिन्दी विभाग में कार्यरत है और इस पुस्तक में संग्रह सन्दर्भ के अन्तर्गत यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश शासन के आयुक्त और शिक्षा सचिव, श्री शशि भूषण शरन ने जिस रुचि, तत्परता और कार्य दक्षता से मिल से रियायती मूल्य पर आनन-फानन कागज दिलाया, यह उन्हीं सरीखे कुशल प्रशासक का काम है। श्री सरन सम्प्रति उत्तर प्रदेश शासन में गृह सचिव हैं। मेरी राय में 20सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वियन समिति को इस तरह से रियायती दर पर कागज दिलाना स्पष्टतौर पर अनियमितता है।

अतः मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से इस महत्वपूर्ण सूचना के जरिए इन पूरे तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से उचित कार्यवाही की मांग करता हूं।

मान्यवर, (एक पुस्तक दिखलाते हुए) यह वह पुस्तिका है जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत है। अभी भी समिति कार्य कर रही है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैंने भी एक सूचना दी है। मान्यवर, जैसे 6 हो गयी हैं वैसे 7 भी हो जायं।

श्री अध्यक्ष—

अब नहीं, अब आप कल दीजिएगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी की रायबरेली की जनसभा में व्यवधान के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय नेता विरोधी दल ने दिया है, वह इस प्रकार से है, रायबरेली में दिनांक 18 सितम्बर को भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा आयोजित जनसभा में कुछ वितंडावादी तत्वों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करना। साथ ही श्री शतरुद्ध प्रकाश जी ने एक तथ्य की ओर नियम 51 में ध्यान आकर्षित किया है, रायबरेली के सम्बन्ध में ही दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मीटिंग के दौरान में कुछ कांग्रेस के समर्थकों ने कुछ जनता पार्टी के लोगों पर प्रहार किया। तो जहां तक कार्य-स्थगन का प्रश्न है. . . .

(श्री शतरुद्ध प्रकाश के खड़े होने पर)

आप बैठिए। इस पर पर्याप्त अवसर मिलेगा। लेकिन ऐसे महत्व का प्रश्न है, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री की सभा में क्या घटनाएं घटीं, इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य पूर्णतः देने का कष्ट करें।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मुख्य मन्त्री जी जवाब दे देंगे। जो घटनाएं तारीख 18 को रायबरेली में घटित हुई हैं उस सम्बन्ध में वह सूचना देंगे। लेकिन उसी दिन 18 तारीख को माननीय प्रधान मन्त्री, मोरार जी भाई आए थे, यहां लखनऊ में। अखबारों में निकला है कि केवल 12 छात्रों ने प्रदर्शन किया, नारे लगाए। वह पकड़ लिए गए। लेकिन जनता पार्टी की ओर से न केवल नारे लगाए गए, ढेले फेंके गए, पत्थर मारे गए। वहां पर दूसरे लोगों को न केवल पकड़ा गया बल्कि अत्याचार किए गए, लोग पकड़े जा रहे हैं। यहां के चार मन्त्री और दो केन्द्रीय मन्त्री लोगों को जाकर पकड़वा रहे हैं।

(शोर)

(श्री नारायण दत्त तिवारी के खड़े होने पर)

(शोर)

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं गया था। मैं आपको तथ्यों से अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, 18 तारीख को इस देश की भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा जी वहां गई थीं। और वहां पर कुछ लोगों ने और जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनसे एक सवाल किया। मान्यवर, मेरी राय है कि लोकतन्त्र में किसी भी सार्वजनिक सभा में, किसी नेता से जनतांत्रिक तरीके से कोई भी सवाल किया जा सकता है। यह जनतन्त्र की स्वस्थ परम्परा है। जनतन्त्र का तकाजा है कि इस स्वस्थ परम्परा का निर्वाह किया जाय। वहां बच्चू लाल शुक्ल जी ने एक सवाल किया कि ऐसा अखबारों में छपा है कि साढ़े तीन अरब रुपया श्रीमती गांधी ने और उनके परिवार वालों ने विदेशी बैंकों में जमा कर रखा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इतना सवाल पूछना था कि वहां के कांग्रेस सेवा दल ने और जो लोग मंच पर बैठे थे, ऐसे लोग वहां पर गए थे जिनकी हत्या, डकैती और राहजनी के मामलों में तलाश की जा रही है, पुलिस द्वारा जो सजायाफ्ता हैं, इन लोगों ने लाठियों, डंडों से लोगों को पकड़ लिया और उनको मारा पीटा। श्री बच्चू लाल शुक्ल अभी भी अस्पताल में हैं। मान्यवर, 5 व्यक्ति रायबरेली अस्पताल में भर्ती हैं और काफी लोग घायल हुए हैं। किसी के पैर में चोट है, किसी के हाथ में और किसी के सर में चोटें हैं। मान्यवर, कल जब मैं वहां गया. . .

(अत्यन्त शोर)

तो वहां पर सत्य देव त्रिपाठी भी मौजूद थे। वहां के लोगों से मुलाकात हुई, लोगों ने बताया कि जन तान्त्रिक तरीके से सवाल पूछने पर जिस तरह से मारा गया और मान्यवर, एक जीप लखनऊ से ले जाई गयी, कांग्रेस की तरफ से, जिसमें बिना लाइसेन्स की बन्दूकें, पिस्तौलें रखी हुई थीं।

(अत्यन्त शोर)

मान्यवर, वकीलों ने बताया, उनके हाथों और पैरों में चोटें हैं।

(अत्यन्त शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

वहां एक सार्वजनिक सभा हुई, वहां एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि साढ़े तीन अरब रुपया जो विदेशी बैंकों में इन्दिरा गांधी ने जमा कर रखा है, आपात-स्थिति में जो जबरदस्ती से नसबन्दी की गयी और लोगों को मारा गया उसके कारण श्रीमती इन्दिरा गांधी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। रायबरेली में उनको तत्काल गिरफ्तार करने की मांग भी की गयी है। तो मैं कहना चाहूंगा कि वहां की जो स्थिति श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिगाड़ी है, जहां-जहां वह जा रही हैं वहां हिंसा की स्थिति पैदा कर रही हैं और इससे शान्ति व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया है। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में माननीय मुख्य मन्त्री जी को अपना बयान देना चाहिए और शान्ति-व्यवस्था के लिए इन्दिरा गांधी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यह हमारी मांग है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुख्य मन्त्री जी से इस महत्व के विषय में वक्तव्य देने के लिए निर्देश दिया। मुझे विश्वास है कि मुख्य मन्त्री जी इस प्रश्न को केवल दल की दृष्टि से नहीं देखेंगे क्योंकि यह प्रश्न ऐसा है कि जिसमें कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है और कोई उसमें जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी के विवाद का भी प्रश्न नहीं है। मैं मुख्य मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि जो मैंने पत्र इस सम्बन्ध में लिखे जबकि गाजियाबाद, हरिद्वार, रु की और मेरठ में भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, इन्दिरा गांधी का दौरा हुआ था। उस समय मुझे भी जाने का सुअवसर मिला और मैंने स्वयं देखा उसके आधार पर मैंने उनको (मुख्य मन्त्री जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी—]

को) एक पत्र लिखा और आग्रह किया चूंकि जनता पार्टी का अभी तक कोई संगठन नहीं बन पाया है और जनता पार्टी के राजनैतिक स्तर पर नेता होने के कारण, कोड-आफ-कंडक्ट बनाए जायं कि चाहे जनता पार्टी की मीटिंग हो या कांग्रेस की तरफ से मीटिंग हो तो उनको डिस्टर्ब न किया जाय और अपनी-अपनी सब बातें कहें। उसमें पुलिस की भी व्यवस्था की जाय। श्रीमन्, हो सकता है कि कुछ माननीय सदस्य इन्दिरा जी की नीतियों से सहमत न हों, कांग्रेस की नीतियों से सहमत न हों।

(व्यवधान)

(श्री राम अधार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, यह गलत है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह भी मांग की जा सकती है कि हमारी नीतियों या कार्यक्रम के आधार पर कोई, कानूनी कार्यवाही की जाय . . . . । (व्यवधान)

(श्री राम अधार के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। इस तरह नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

लेकिन श्रीमन्, यह अधिकार प्रत्येक पार्टी को है कि वह अपनी मीटिंग करें, दौरा करें यह सबको अधिकार है। श्रीमन, जब इन्दिरा गांधी दौरा करती हैं तो लाखों आदमी उनकी बातों को सुनने के लिए जाते हैं। जनता पार्टी के लोग उनको सुनना चाहते हैं। तो यह शासन का दायित्व है कि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री जैसे एक महान व्यक्तित्व की रक्षा और सुरक्षा की जाय क्योंकि वह खुली कार में जाती हैं।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। आप बैठें। आप बराबर नहीं मान रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन, मुख्य मन्त्री जी स्वीकार करेंगे कि उनकी सुरक्षा का दायित्व सरकार पर है। लाखों पब्लिक की मीटिंगें होती हैं, हजारों लोग आते हैं और शान्ति से वह मीटिंगें हो, सरकार पर उसका दायित्व है कि शान्तिपूर्ण ढंग से मीटिंग हो।

श्री राम अधार—

यह किस नियम के अनुसार बयान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

विरोधी पक्ष की बात भी धैर्य के साथ सुननी चाहिए। शतरुद्र प्रकाश की बात सबने सुनी। नियम इसमें कुछ नहीं है। व्यवस्था का प्रश्न करने के लिए नियम देखें। इस विषय में

मैं कहना चाहता हूं कि जब लोग उठते हैं तो यह है कि कोई भी विषय जिसको मैं पुकारूं, उसके कार्य विन्यास के सम्बन्ध में या उसके औचित्य के बारे में प्रश्न रख सकते हैं। अगर कोई वक्ता बोल रहा हो तो उसको क्या आचरण करना चाहिए। न्यायपालिका पर आक्षेप न हो, किसी व्यक्ति पर आक्षेप न हो। असंसदीय शब्दों का प्रयोग न हो या भाषण में पुनरावृत्ति न हो, यह चीजें हैं जिन पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। वरना कोई सदस्य बोल रहा हो तो इस तरह से व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी को सूचित किया था कि वहां पर नाम-मात्र के लिए पुलिस के लोग थे। एक तरफ तो लाखों की भी थी और दूसरी तरफ दस पन्द्रह पुलिस वाले और वह भी सब इंस्पेक्टर की रैंक के लोग। कैसे ट्रैफिक कन्ट्रोल हो, कैसे सुरक्षा की बात हो। सबसे ब ी बात यह है। माननीय मुख्य मन्त्री जी या कोई भी सदस्य कितना भी इन्दिरा जी से नाराज हो या उनकी नीतियों से नाराज हो, गिरफ्तार भी करना चाहते हों लेकिन जीवन पर प्रहार हो, यह कभी नहीं चाहते। जब प्रजातन्त्र के लिए कार्य करते हैं तो उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से प्रहार किया जाय, पत्थर फेंके जायं. . . . .

श्री राम अधार—

अध्यक्ष महोदय . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं। यह तरीका उचित नहीं है। आप लोग बैठिए। मैं फिर आपका ध्यान नियमावली की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी श्री राय ख े हुए। नियमावली में लिखा है कि जब पीठासीन व्यक्ति ख ा हो तो सदस्यों को अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। अभी नेता विरोधी दल को अवसर दे रहा हूं। इसमें कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है। श्री शतरुद्ध जी ने नियम 51 का नोटिस दिया है। मैं मुख्य मन्त्री जी से कह चुका। इस पर कोई विवाद नहीं है। माननीय नेता विरोधी दल अपना भाषण संक्षिप्त में दें।

श्री राम अधार—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। लगता यह है कि कांग्रेस पार्टी की नीति बन गई है, हिंसा करने की। अभी चन्द्रजीत यादव को मारा गया, जनता पार्टी के नेता को मारा गया। इनका भी बयान था कि हिंसा करने के लिए मैं तैयार हूं। तो पूरी कांग्रेस पार्टी हिंसा पर उतारू है।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न करके सदन का समय नष्ट न करें। आप नियमावली पढ़कर कोई व्यवस्था का प्रश्न उठावें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर कहीं पब्लिक मीटिंग में किसी भाषण को डिस्टर्ब किया जाता है या किसी के नेता को मारा जाता है तो मैं इसकी निन्दा करता हूं। मेरा निवेदन है कि मैंने इस प्रश्न को असेम्बली में ही नहीं उठाया बल्कि मुख्य मन्त्री जी को पूरा अवसर दिया, उनको चिट्ठी लिखी, सारी बातें उनको बतायीं कि गाजियाबाद में क्या हुआ, रु की के पास क्या हुआ, हरिद्वार में क्या हुआ, इस सब का उल्लेख किया और उनसे आग्रह किया कि भविष्य में जब इन्दिरा गांधी जी का दौरा हो तो उसमें सुरक्षा का पर्याप्त प्रबन्ध किया जाय। जीवन की सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाय। यह भी मैंने उनसे आग्रह किया था। इतना अवश्य हुआ कि रायबरेली में, कानपुर में इस बार थो ा इन्तजाम हुआ हालांकि जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। पुलिस के लोग और अफसर डरे हुए थे। रायबरेली में मैंने स्वयं डायस से देखा। जनता के लोग पुलिस बन कर डायस की ओर मार्च करते हुए दिखाई दे रहे थे। पुलिस तितर-बितर करने की कोशिश कर रही थी। जिलाधिकारी और एस0पी0 साहब हेल्प-लेस निसहाय घूम रहे थे कि क्या करें। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का झगड़ा हो। इसके लिए मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा। श्रीमन्, आप आमन्त्रित कर लें। मैं चाहूंगा कि आप सब पार्टी के लोगों को बुला लें। हमें बुला लें, मुख्य मन्त्री जी को बुला लें, कम्युनिस्ट पार्टी को बुला लें और दलों को बुला लें ताकि इस प्रदेश की हर पार्टी को अपनी मीटिंग करने का मौका मिले, उसे सुरक्षा का अवसर मिले। ऐसा एक शान्तिपूर्ण प्रजातांत्रिक वातावरण इस प्रदेश में हो यह मैं चाहता हूं। माननीय मन्नू लाल द्विवेदी जी एम0एल0ए0 यहां बैठे हुए हैं। इनको मारा गया, पीटा गया, कार ख ी की गयी।. . . (व्यवधान)

लेकिन श्रीमन, यह जो घटना रायबरेली में हुई, नैनी में क्यों नहीं हुई, लालगंज में क्यों नहीं हुई, कानपुर में क्यों नहीं हुई? रायबरेली में पुलिस का इन्तजाम पर्याप्त नहीं था। मैं माननीय सदस्य, वाराणसी का ब ा आदर करता हूं। वे ब होनहार नवयुवक हैं। उन से भी मैं आग्रह करता हूं कि कहां तक यह उचित होगा कि दूसरी पार्टी की पब्लिक मीटिंग में आरोप लगाने वाले प्रश्नों को पूछें और दूसरी पार्टी के पुलिस बन कर पार्टी की मीटिंग में ग ब ी करें यह कहां तक उचित है? तो मैं श्रीमन्, मुख्य मन्त्री जी से फिर कहूंगा कि इसे पार्टी से ऊपर लें। आप मुख्यमन्त्री केवल जनता पार्टी के नहीं हैं, सारे प्रदेश के हैं। यह गवर्नमेंट केवल जनता पार्टी के लिए नहीं है। दस करो लोगों के लिए है और इसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं जिनको उन लोगों ने यहां भेजा है। इसलिए यह जरूरी है कि आज हमारी नेता इन्दिरा गांधी. . . . (व्यवधान)

जी को जो खतरा है, इसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी, भविष्य के लिए इस का प्रबन्ध करना होगा अन्यथा यदि कोई जान-माल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी नहीं ले सकता है तो शासन सीधे कोई कार्यवाही करे जिससे जान-माल सबका बच जाय। मैं ज्यादा इधर-उधर की नहीं कहना चाहता। मैं चाहूंगा कि रायबरेली में जो कुछ हुआ उस की निष्पक्ष जांच कराई जाय। मैं तो कहूंगा कि जुडीशियल जांच कराई जाय कि कौन सच है, कैसे हुआ . . . (व्यवधान)

. . . . . वह कृपया अपने वक्तव्य में इन सभी बातों को स्पष्ट कर दें।

(कुछ सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जाइए। इस पर कोई विवाद नहीं है। माननीय नेता विरोधी दल ने कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी। श्री शतरुद्ध प्रकाश ने नियम 51 की सूचना दी। मैंने दोनों को अस्वीकार कर दिया है और माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहा है कि इस सम्बन्ध में जब भी उनको सुविधा हो, एक वक्तव्य दे दें।

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में 26 तारीख को पूरा विस्तृत. . .

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दूर हो गया। परसों रख लीजिए।

श्री राम नरेश यादव—

आप विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं ताकि वह सदन के सामने आ सके।

1977–78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—
अनुदान संख्या 47—गन्ना विकास

श्री अध्यक्ष—

अब वित्तीय वर्ष 1977–78 के आय-व्ययक पर विवाद शुरू होगा।

*गन्ना विकास मन्त्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

मैं मान्यवर, आपकी आज्ञा से और राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47—गन्ना विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,77,64,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, चीनी उद्योग इस देश में अपना एक ब ा स्थान रखता है और इस प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस उद्योग में लगभग 23 लाख क्रशर, 1 लाख चीनी मिलों के कर्मचारीगण और खाण्डसारी उद्योग में लगे हुए लाखों परिवारों के जन जीवन से सम्बन्धित है। गन्ने की खेती पर दूसरे व्यवसाय जैसे अल्कोहल, रब तथा गत्ता आदि निर्भर करते हैं। इसके विकास के लिए न्ना विकास विभाग द्वारा प्रति एक गन्ने का उत्पादन किस प्रकार से बढ़ाया जाय, प्रयास किया गया है। मैं सदन को बतलाना चाहती हूं कि गन्ने की फसल के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है—खाद, सिंचाई तथा पूंजी। सिंचाई विभाग द्वारा गत वर्षों से गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है और उसमें काफी प्रगति हुई भी है। जहां 1976–77 में 1.10 लाख हेक्टर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था थी, वहां चालू वर्ष में 1 लाख 48 हजार हेक्टर भूमि में सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा देहातों में जो सहकारी समितियां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती चन्द्रावती—]

हैं उनके द्वारा ऋण दिया जाता है, ट्यूबवेल्स बनाने के लिए। विशेष रूप से खाद की समस्या को मैं सदन के सामने रखना चाहती हूं। खाद वितरण के लिए सहकारी समितियों की काफी व्यवस्था की गयी है। 1976–77 में 69,211 मीटरिक टन नत्रजन खाद तथा 8,523 मीटरिक टन फास्फेट खाद वितरित की गयी थी और इस चालू वित्तीय वर्ष में 92 हजार मीटरिक टन नत्रजन खाद, 17 हजार मीटरिक टन फास्फेट तथा 8,500 टन फास्फेट का सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह से आप देखेंगे कि खाद वितरण में भी प्रगति हुई है।

अब इसके अन्तर्गत जो नान-प्लान एक्सपेंडीचर है उसकी ओर भी मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं। इसके अन्तर्गत 9 योजनाएं चालू होती हैं। इसके अन्तर्गत विकास के लिए जो स्टाफ काम करता है उसके लिए इस बजट में 3,10,11,100 रुपए की व्यवस्था की गयी है जिसमें समस्त अधिकारीगण का वेतन, मंहगाई भत्ता, मोटर, कार्यालय आदि का व्यय सम्मिलित है। गन्ना विकास विभाग द्वारा 5वीं योजना में नियोजन विभाग द्वारा सीलिंग के आधार पर 13 योजनाएं चालू की गयीं उसके अन्तर्गत किस प्रकार अच्छे बीज मिलें और किस तरह से खाद का वितरण हो और बीमारी की रोकथाम किस तरह से की जाय, इसकी इसमें व्यवस्था की गयी है। इन 13 योजनाओं से दो योजनाएं गन्ने की फसल के संरक्षण के लिए की गयी हैं, जिसमें महामारी के समय जो बीमारी हो जाती है, उसमें विभाग द्वारा 50 प्रतिशत सहायता मिलती है और शेष वहां की जो लाभान्वित संस्थाएं हैं, वह वहन करती हैं।

दूसरा मान्यवर, गन्ने के सघनीकरण की योजना है जोकि 18 ब्लाकों में विभाजित हैं और उसके अन्तर्गत 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। यह योजना अच्छे गन्ने का बीज उपलब्ध कराने के लिए लागू की गयी हैं इसके अन्तर्गत छोटे किसान जो कि 16 कि0 मी0 से गन्ने का बीज बोने के लिए लाते हैं, उनको डेढ़ रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो छोटी पौध शाला रखते हैं उनमें 5 सौ रुपये और जो मध्यम पौध-शालाएं हैं उनको 375 और जो प्राथमिक हैं उनके लिए ढाई सौ रुपये का अनुदान दिया जाता है। मान्यवर, इसके अन्तर्गत जो कार्य हो रहा है यह बहुत ही महत्व का है और किसानों को बहुत राहत दी जा रही है और आगे भी व्यवस्था करने की इसमें बात है।

अब इसमें तीन प्रशिक्षण केन्द्र हैं—एक मुजफ्फरनगर, दूसरा गोरखपुर और तीसरा शाहजहांपुर में है। इनमें गन्ना शोध का कार्य होता है और वहां पर इस चीज की कोशिश की जा रही हैकि गन्ने के बीज अच्छे हों। कोयम्बटूर से बीज लाकर उस पर अनुसन्धान करके किसानों को देने की बात है। अभी हाल में देवरिया जिले में स्योरही में एक केन्द्र खोला है उसके अन्तर्गत जो कोयम्बटूर से जो बीज आया है जिसमें परत से बीज निकाला जाता है, उसका परीक्षण हुआ है और वह बहुत अच्छा सफल हो गया है। इतनी दूर से वह बीज मंगाया गया और वह यहां प्रगतिशील हो गया यह अच्छी बात है। उसमें अभी शोध कार्य चल रहा है ताकि अच्छे-अच्छे बीज किसानों को मिलें उसके लिए अच्छे वैज्ञानिकों की सेवाएं ली जा सकें।

एक मान्यवर, भारत सरकार की बीज उत्पादन और गोदाम बनाने की स्कीम है जिसके अन्तर्गत 84 लाख रुपये का अनुदान है। इसमें स्टाफ आदि पर खर्च होता है। इसमें 4 लाख रुपये हमारी सरकार देती है और शेष जो है वह भारत सरकार देती है।

इसके अतिरिक्त अनुदान संख्या 40 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 288 के अधीन गन्ने के बीज के यातायात पर अनुदान देने की योजना है। उसमें 19,500 रुपये की धनराशि अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ और 6,500 रुपये की धनराशि अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ प्राविधान किया गया है। इसमें और भी कुछ नए सुधार के कार्य किए गए हैं। इसमें जो इनक्वायरी सेल बना था उसके अन्तर्गत इसको और सुदृढ़ करने का कार्य किया जा रहा है। और भी मिलों का इन्तजाम है, उसमें भी कुछ इस ओर प्रगति कर रहे हैं कि जिस तरह की जिलों में जो बदइन्तजामी है, उसे सुधारा जा सके और इस विभाग द्वारा इससे सम्बन्धित किसानों और मजदूरों को फायदा पहुंचाया जा सके। ऐसा मेरा प्रयास है और आप लोगों के सहयोग से सोचती हूं कि इस विभाग में बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा कुछ कर पाने की मेरी आशा है। इस आशा के साथ मैं इस मांग को सदन के सामने विचार के लिए रख रही हूं।

श्री अध्यक्ष—

इस मांग पर बोलने वाले बहुत हैं। इसलिए जो कटौती का प्रस्ताव है, उसके लिए मैं 25 मिनट का समय निश्चित करता हूं और अन्य सदस्यों के लिए 7 मिनट का समय रहेगा।

एक सदस्य—

10 मिनट का समय रखिए।

श्री अध्यक्ष—

यदि आप समय बढ़ाना चाहेंगे (कुछ रुक कर) अच्छा ठीक है 10 मिनट का समय है।

*श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, यह जो गन्ना विकास विभाग की तरफ से कार्य-विवरण-पुस्तिका मिली है, इसमें बड़े सूक्ष्म रूप से विभाग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। ऐसा देखा गया है कि शायद इस रिपोर्ट को व्यवस्थित ढंग से और पर्याप्त मात्रा में छापने से, जो पिछली सरकार द्वारा सतर्कतापूर्वक किए गए और विभाग को योगदान देने के कार्य स्पष्ट हो जाते, उसे बड़ी सावधानीपूर्वक छिपाने की इसके द्वारा साजिश की गयी है। यह उद्योग प्रदेश का एक बहुत ही अहम आर्थिक विभाग है। इस उद्योग से प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था जुड़ी हुई है, दूसरी ओर इसमें, इसके साथ इस प्रदेश के किसानों और मजदूरों की भावनाएं भी छिपी हुई हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अरुण कुमार—]

इसलिए जागरूक, सचेष्ट और सक्रिय होकर इस गन्ना विकास निगम के अन्तर्गत सारे कार्य-कलापों को सरकार सतर्कता पूर्वक निभाने की कोशिश करे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जैसा पिछली सरकार ने कुछ चीनी मिलों को नए लाइसेन्स का जिक्र किया था। मुजफ्फरनगर के मवाना व गजरौला, सुल्तानपुर और रायबरेली में तथा सितारगंज और हंसागंज में, सीतापुर और लखीमपुर की जिन चीनी मिलों को नए लाइसेन्स देने की बात पिछली सरकार ने की थी, लेकिन उसका क्या स्वरूप इस सरकार ने बना दिया है, उसमें कितना योगदान करने में वह सक्षम है, आदि बातों को विभाग को देखना है, लेकिन उनका कोई इसमें जिक्र नहीं है। इन तमाम बातों के बारे में सरकार का कोई स्पष्ट रूप देखने को नहीं मिला है।

गन्ना शोध संस्थान के कार्य को भी सरकार को सतर्कतापूर्वक देखना चाहिए, क्योंकि इसका सम्बन्ध किसान को सक्रिय रूप से जानकारी कराने का है। ऐसे संस्थानों के माध्यम से किसानों को ज्यादा से ज्यादा गन्ने के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सके, इसको देखकर गन्ना किसान संस्थान चलाया गया था। लेकिन लगता है कि यह सरकार उसके प्रति एक निष्क्रिय सी हो गई है। यह सरकार विमुख सी हो गई है, उसको कोई सक्रिय सहयोग नहीं मिल रहा है। कल ही पता चला है जिला गन्ना अधिकारियों की मीटिंग हुई। गन्ना विकास निगम के माध्यम से कुछ बातें कही गयी थीं, लेकिन वहां से आए हुए प्रदेश के विभिन्न अधिकारी बड़े निराश थे क्योंकि उनसे पैसों-पैसों का हिसाब मांगा गया था, कोई सक्रिय स्वरूप नहीं तय किया गया था कि अखिर उनको क्या करना है। ऐसी तमाम पिछली योजनाएं, जिनसे गन्ना विकास में सहयोग मिल सकता था सारी की सारी योजनाएं लगता है ठप सी कर दी गई हैं। उनमें सक्रियता समाप्त कर दी गई है। इस सरकार ने ऐलान किया था गन्ने की कीमत के बारे में कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15 रुपए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16 रुपए होगी, जिसके बारे में कोई स्पष्ट दृष्टिकोण इसमें नहीं परिलक्षित किया गया है।

मिलों के जीर्णोद्धार के लिए पिछली सरकार ने 17 मिलों के लिए एक स्कीम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया के माध्यम से बनाई थी। मेरे खयाल से वह लोन सैंक्शन भी हो चुका था। उसको इस रिपोर्ट में कहीं उद्धृत नहीं किया गया है, न स्पष्ट दिखायी पड़ता है। गन्ना मिलों के प्रसार के बारे में पिछली सरकार ने जो बड़ी सक्रियता से कदम बढ़ाया था लगता है इस सरकार ने उस प्रसार की प्रक्रिया को यथास्थिति जाने देने के बजाय रोकने की प्रक्रिया बहाल कर दी है। पिछली सरकार का प्रयास था कि गन्ना मिलों का प्रसार हो। उससे किसान की दशा सुधरे ही, चीनी की उपलब्धि भी इस प्रदेश और देश में बढ़े। लेकिन उसको भी इस सरकार ने बहाल करना शुरू कर दिया है। खाण्डसारी का मूल्य भी पिछली सरकार में 10 रुपए पर क्विंटल निर्धारित कर दिया गया था. . . .

(व्यवधान)

दस रुपए की धनराशि निश्चित थी। लेकिन इस सरकार ने इसके बारे में कोई नीति निश्चित नहीं की। होता यह है कि बीच के दिनों मे किसानों के साथ अन्याय होता है। चन्द दिनों तक खाण्डसारी की दरें बढ़ा दी जाती हैं, उसके बाद कटौती कर दी जाती है। इस लिए किसानों के साथ अन्याय होता है।

मान्यवर, पिछली सरकार ने गन्ना विकास भुगतान खण्ड भी बनाया था जिससे छोटे किसानों को निश्चित समय पर ही उनका भुगतान किया जा सके। किसानों का जिससे नुकसान न हो और समय पर धनराशि मिल जाय और उसका पूर्ण उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सके। लेकिन ऐसा कोई जिक्र इस सरकार के माध्यम से कहीं दिखाई नहीं देता।

अनुसन्धान की बात भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। इस अनुसन्धान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, पिछले दस वर्षों में कोई नये बीज का जन्म इस अनुसन्धान परिषद् द्वारा नहीं हुआ है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि अनुसन्धान की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए जिससे उन्नतिशील बीज मिल सकें। अभी मन्त्री महोदय ने बताया कोयम्बटूर के बीज की बात। कोयम्बटूर के उन्नतिशील बीज जो दिए जाते हैं उनका पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों से तालमेल नहीं होता। वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सक्षम और पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पानी की व्यवस्था बहुत कम है। इसलिए सम्पूर्ण रूप से तालमेल नहीं है पूर्वी उत्तर प्रदेश और कोयम्बटूर के बीज का। इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे पूर्वी अंचल में सही तरीके से जिन बीजों की उपलब्धि हो सके, वही बीज दिए जाय, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए हितकर हों या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिन बीजों की मांग है। इसलिए हमारा निवेदन है कि अनुसन्धान की प्रक्रिया तेज की जाय। बीज निगम की स्थापना पिछली सरकार के माध्यम से हुई है। मेरा निवेदन है कि इसको और सक्रिय किया जाय। क्योंकि आज की स्थिति में यह सारे अधिकारी निराश हो गए हैं और सरकार की कोई स्पष्ट नीति इस दिशा में नहीं बढ़ रही है जिससे कि वह सक्रिय रूप से कार्य कर सकें और जिस क्षमता से वह कार्य करते आ रहे हैं, वह काम नहीं कर पा रहे हैं। वित्त पोषण योजना का जहां तक सवाल है, मैं इसके बारे मे कहना चाहता हूं कि जो गरीब तबके का आदमी है वह उससे कोई फायदा नहीं उठा पाता है और उसको कोई फायदा नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस ओर जैसा कि पिछली सरकार ने सक्रिय योगदान दिया है, उसी तरह इस सरकार से मेरा निवेदन है कि वह इस बारे में सक्रिय योगदान दे और इस ओर तन्मयता के साथ सोचे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं यातायात की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस समय जो सड़कों की व्यवस्था की गयी है वह निहायत कम है। सड़कों की व्यवस्था ज्यादा होनी चाहिए। अगर सड़कें ठीक ढंग से उपलब्ध नहीं होंगी तो किसान को मीलों तक अपना सामान बाजारों या मंडियों में बेचने के लिए ले जाने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ेगी और वह इस कठिनाई से ऊब कर अपना सामान कस्बों तक नहीं पहुंचा सकेंगे और वहीं गांव में ही कम दामों पर बेचने पर मजबूर हो जावेंगे। इसीलिए मेरा इस सरकार से निवेदन है कि सड़कों की ओर सरकार ध्यान दे।

इसी प्रकार से मैं खाद वितरण-व्यवस्था के बारे में भी कहना चाहता हूं कि सरकार को इस ओर सजग रहना चाहिए। जब किसान को इसके उपयोग की आवश्यकता हो तो उसे खाद तुरन्त मिल जानी चाहिए। देखा यह गया है कि जब किसान को खाद की आवश्यकता होती है तो वह उसको उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस ओर ध्यानपूर्वक सोचे और समय पर किसानों को खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे।

[श्री अरुण कुमार--]

मान्यवर, अब मैं सिंचाई की व्यवस्था के बारे में भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सिंचाई की समस्या बनी हुई है। सिंचाई के कारण ही यहां का किसान गन्ने की खेती नहीं कर पाता है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से पिछली सरकार ने सिंचाई के बारे में प्रयास किए थे उसी प्रकार से यह सरकार भी करे जिससे कि किसानों को समय पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। सिंचाई की जो योजनाएं है उनमें गति दी जाय जिससे इस ओर जो समस्या बनी हुई है, वह हल हो सके। अगर सिंचाई की सुविधा किसानों को उचित ढंग से उपलब्ध होगी तो उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए मेरा कहना है कि सही ढंग से यह सरकार इस ओर कदम उठावे।

इसी प्रकार मैं बीज वितरण प्रणाली की ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यहां पर जो बीज है वह हर स्थान के लिए सही नहीं उतरता है। जो बीज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए ठीक उतरता है वह बीज पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ठीक नहीं होता है। तो इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो बीज उत्पन्न किया जाए वह प्रदेश के विभिन्न भागों की स्थिति और भूमि के अनुसार उत्पन्न किया जाए। इसलिए मेरा इस सरकार से निवेदन है कि इस बीज वितरण प्रणाली की ओर अवश्य ध्यान दिया जाये। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि गन्ना विभाग विगत 4-5 वर्षों से या उससे भी अधिक समय से कृषि विभाग से अलग कर दिया गया था, ऐसा प्रदेश की आर्थिक स्थिति तथा गन्ना उद्योग की उपयोगिता को देख कर, किसानों को देखकर किया गया। गन्ना विकास निगम की स्थापना सन् 1932 में हुई। इस विभाग के अन्दर अभी तक सेवा नियमावली नहीं बन पाई है जिसके सम्बन्ध में अलग-अलग स्तरों पर अधिकारियों की बैठकें भी हुई लेकिन वह आज तक नहीं बना पाए। नियमावली के न होने से विभाग में तमामों अव्यवस्थाएं बनी रहती हैं। इसका होना बहुत जरूरी है। इसके न होने से बहुत सी गड़-बड़ियां विभाग में उत्पन्न हो जाती है। उनकी वरीयता में, उनकी समय पर प्रोन्नति आदि के सम्बन्ध मे उत्पन्न समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है अतः सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि गन्ना विभाग के अन्दर "सेवा नियमावली" की तत्काल व्यवस्था की जाए। डेपुटेशन की व्यवस्था की वजह से वहां तमाम अव्यवस्थाएं आज भी बनी हुई हैं और विभाग के कर्मचारी द्वन्द भाव में जी रहे हैं और सक्रिय रूप से अपने कार्य के प्रति सजग हो कर काम नहीं कर पा रहे हैं। जो वह चाहते हैं वही होता है। इस तरह से छोटे अधिकारी भी प्रताड़ित होते रहते हैं। विभाग के अन्दर देखा जाय तो आज डेपुटेशन पर आए हुए तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है। यह देखा जाय कि किनकी उपयोगिता है और किनकी नहीं। आज एक स्थान रिक्त है तो कई-कई अधिकारी मौजूद हैं। इन तमाम अव्यवस्थाओं को सरकार सक्रिय रूप से देखे।

इन सब विचारों के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मोटे तौर पर इस गन्ना विभाग की सक्रियता के लिए पिछली सरकार ने जो निगम बनाए हैं और वह निगम इस व्यवस्था में आज सक्रिय सहयोग दे रहे हैं, उनको कायम रखने में सरकार भेद-भाव न करे। सरकार यह न सोचे कि पिछली कांग्रेसी सरकार ने इस निगम को

कायम किया है या इन निगमों ने जो कार्य किए हैं, उनको रोक दिया जाये मात्र इसलिए कि उनका रिश्ता पिछली सरकार से है बल्कि यह देखना चाहिए कि पिछली सरकार ने जिस निगम की स्थापना की थी, उसका उद्देश्य क्या था। उसका उपयोग आज भी है या नहीं। इन सब प्रश्नों पर खुले दिल दिमाग की परिधि में उस स्तर से न सोच करके कि इसे पिछली कांग्रेस सरकार ने किया है, इन सबसे हट कर विचार करें। यदि पिछली सरकार द्वारा की गयी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, तो हमें उनको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। विभाग के अधिकारियों से बात करने पर पता चलता है कि सरकार के कोई आदेश या नीति स्पष्ट नहीं हैं। वे कहते हैं कि सरकार ने कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं दी है। इससे ऐसा लगता है कि विभाग के अधिकारी अपने आप में डरे हुए हैं, सहमें और सिमटे हुए हैं। सरकार का मुखौटा साफ दिखाई नहीं देता है, उसका स्वरूप साफ दिखाई नहीं देता है। जहां पर अधिकारियों का इस ढंग का दिमाग होगा, तो निश्चय ही जिस मंशा से आप इस व्यवस्था को जन्म देना चाहते हैं, या जिस मंशा से गन्ने के विकास के अन्दर काम करना चाहते हैं तो गन्ने के विकास की परिधि समाप्त हो जायगी और सिर्फ गन्ने के नाम से जाना जायगा। तो सरकार को इन सब बातों को ध्यान में रखकर सक्रिय रूप से और ईमानदारी से कटिबद्ध होकर आगे बढ़ना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया पुनरावृत्ति न कीजिए।

श्री अरुण कुमार—

अब मैं अपनी सारी बातों को समाप्त करते हुए सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जैसे बीजों के अनुसन्धान के बारे में ज्यादा सक्रियता दिखाई, वे निगम जिनको पिछली सरकार ने गन्ना विकास विभाग के अन्दर सक्रिय किया था उनको और तेज किया जाय, उनमें खाद दी जाय जिससे प्रदेश में गन्ने के विकास का काम द्रुतगति से बढ़ सके। मेरी प्रार्थना है कि इस काम में मौजूदा सरकार कोई अच्छी पहल करे और उन सारी बातों को जो पिछली सरकार ने किसानों के हित में की थीं, उनको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ाए। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि अगर पिछली सरकार की रिपोर्ट को ठीक ढंग से पढ़ा गया होता, जिसमें पिछली सरकार ने किसानों के प्रति, मिल मालिकों के प्रति और मजदूरों के प्रति जो कार्य किए हैं, उन सब को समन्वय करके एक अच्छी चीज को जन्म दिया होता तो बहुत अच्छा होता। मैं चाहूंगा कि इस सरकार को उन सब बातों पर विचार करना चाहिए।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस कटौती के प्रस्ताव का तो मैं विरोध करूंगा ही लेकिन उसके साथ-साथ आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि अपने इस बीमार विभाग की ओर भी ध्यान दें। सब विभागों में गन्ना विभाग सबसे अधिक बीमार विभाग है और जो अनुदान इस समय हमारे सामने है, जो प्रस्ताव हमारे विचाराधीन है, उसमें भी मुझे कोई नई दिशा नहीं दिखाई देती है। मान्यवर, हमारे प्रदेश के किसानों की आय का मुख्य साधन गन्ना है। यहां पर काफी संख्या में गन्ने

[श्री अरुण कुमार]

की मिलें हैं और सारे प्रदेश के दोनों छोरों, पश्चिम और पूर्व में फैली हुई हैं। हमारे सामने जो प्रस्ताव है उसमें जो एक्सपेंडिचर है, उसमें 3 लाख 14 हजार 97 रुपया फाउन्डेशन सीड के लिए रखा गया है, 1 लाख 48 हजार रुपया महामारियों से बचाव के लिए है और 1 लाख 50 हजार रुपया गन्ने के बीज बढ़ाने की योजना है। इनके अतिरिक्त कोई विकास योजना नहीं है और मान्यवर; विकास के लिए जो खर्चा है उससे ज्यादा खर्चा तो भत्ते के लिए है जो 22 लाख रुपया है 11 लाख रुपया कार्यालय के खर्च के लिए और मोटर गाड़ियों के लिए है और 5 लाख रुपया साधारण खर्चों के लिए रखा गया है। इतना खर्च तो विकास के कार्यों में भी नहीं है।

मान्यवर, इस समय एक सबसे बड़ी कमी यह है जो प्रस्ताव आए हुए हैं उनमें यह है कि गुड़ जो हमारे प्रदेश की आमदनी का सबसे बड़ा साधन है, उसके सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं है। मुझे दुख हुआ है कि माननीय मन्त्री जी बिजनौर से आती हैं, मेरठ और बिजनौर सीमा पर गुड़ और खाण्डसारी का बहुत काम होता है, कैसे इनका ध्यान गुड़ के विकास की तरफ नहीं गया। खुद साल में 6 महीने गुड़ खाते हैं, फिर भी ध्यान न आया कि हमारा सारे का सारा जो गन्ने का विकास है यह गुड़ की इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। उसके बारे में न चर्चा है और न एक नए पैसे का खर्चा है।

हमारे पिछड़ेपन की जो हालत है, मैं ध्यान दिलाऊं कि 1974–75 में जो पैदावार प्रति एकड़ गन्ने की है वह 41.7 क्विंटल प्रति हेक्टर पैदावार है। यह हिन्दुस्तान के एवरेज से जो 51.65 है उससे कम है। तामिलनाडु में 84.89 है, महाराष्ट्र में 100.01, आंध्र में 82.80 और उड़ीसा जो हर तरह से पिछड़ा हुआ है, वहां प्रति हेक्टर पैदावार 60 क्विंटल ज्यादा है। तो यह तो हालत हमारी है। और इतना ही नहीं, जो परिचय की किताब हमारे गन्ना विभाग से बंटी है इसके अनुसार 1974–75 में उत्पादन 523 लाख क्विंटल हुआ और औसत आमदनी 41.9 हुई और 1975–76 में वह 523 से घटकर 503 हो गयी और प्रति हेक्टर आमदनी घट करके 41.4 हो गयी। इसका मतलब यह है कि लगातार टोटल प्रोडक्शन और पर एकड़ प्रोडक्शन हमारा गन्ने का गिरता जा रहा है। यह तो हमारी हालत है गन्ना विकास की और यह हालत है बजट की। इस तरह हम सजग चल रहे हैं और इस तरह का यह स्टैगनेंट बजट है कि गन्ने के विकास की कोई दिशा नहीं है, योजना नहीं है। साधारण जो खर्चा रखा गया है वह बहुत मामूली है, तो किस आधार पर हम विकास करेंगे, क्या दशा गन्ने की होगी और क्या भविष्य गन्ने की पैदावार का प्रदेश में होगा। एक अन्धकारमय चित्र दिखाई दे रहा है और अन्धकार ही अन्धकार दिखाई दे रहा है। यही हालत रही तो इस प्रदेश को जो फारेन एक्सचेंज हमें चीनी से मिलता है और गुड़ के व्यापार में, चीनी मिलों में ये कितने लोग लगे हुए हैं, यह व्यापार भी उत्तर प्रदेश से उठता जा रहा है।

मान्यवर, इस प्रदेश के शासन का और गन्ना विभाग का विशेषकर ध्यान गन्ने की तरफ जाना चाहिए। एक और खास बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जिसको माननीय मन्त्री जी बिल्कुल भूल गई हैं। वह जिस क्षेत्र से आती हैं वहां गुड़ की दस्तकारी मुख्य है और वहां के रहने वाले 80 प्रतिशत लोग साल में 7 महीने गुड़ के चारों तरफ मंडराते हैं। हम सोशलिस्ट पार्टी में जब थे और गन्ने का आन्दोलन जब चलता था तो गन्ने के नेता तो

गेंदा सिंह जी थे लेकिन गन्ने की हड़ताल हमेशा बुलन्दशहर और मेरठ में होती थी, वह पडरौना, पचकुइयां में नहीं होती थी। मेरे लायक दोस्त जो पूर्वी जिलों के बैठे हैं, उनको मालूम होगा कि जब मेरठ में भाव बढ़ते हैं तब इनके यहां भाव बढ़ते हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

वहां हड़ताल हर साल हुई है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

ओझा जी कहते हैं तो ठीक है। हम तो नेता गेंदा सिंह जी को मानते थे, अब उनको भी मान लेंगे। हम मिल मालिक से तभी लड़ सकते हैं जब गुड़ का उत्पादन करें। पश्चिम का किसान गन्ना और गेहूं साथ नहीं बोता। वह अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर तक 50 प्रतिशत गन्ना काट कर उसका गुड़ बनाता है और उसकी जगह गेहूं बोता है। मैं ओझा जी से कहूंगा कि वह भी गुड़ बनायें, उसमें ग्लूकोज होता है, चीनी न खाएं। अगर गुड़ का विकास हो तो दो फायदे होंगे। गेहूं की पैदावार बढ़ेगी . . .

एक सदस्य—

आपकी सेहत का रहस्य यही है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

जी हां, यह भी है। तो गन्ना विकास मन्त्री जी को गुड़ के व्यापार के विकास के लिए कोई अलग से योजना बनानी चाहिए। गुड़ का विकास होने पर मिल मालिकों से हम लड़ सकते हैं। एक निवेदन और करना चाहूंगा। सरकार को स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कि मिलों का नेशनालाइजेशन करना है। मिल मालिक उसमें कुछ करते नहीं हैं और शुगर कारपोरेशन हो, चाहे सोसायटी हो, जो सरकारी कर्मचारी किसी मिल में रिसीवर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं या जनरल मैनेजर हैं, अगर उस मिल का प्रोडक्शन एक साल में नहीं बढ़ाया तो उसके खिलाफ एक एन्ट्री होनी चाहिए। सरकार मिलों को उनका जीर्णोद्धार करने के लिए अपने हाथ में ले लेती है। अगर वह सरकारी कर्मचारी उनके जीर्णोद्धार में कुछ प्रगति न करें तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही होनी चाहिए।

इसके अलावा किसी फैक्ट्री में ग्रुप 1 का आदमी जनरल मैनेजर है तो दूसरी में ग्रुप 2 का है। एक ही रैंक के दो अधिकारी, जूनियर कहीं सीनियर बन जाता है। इनके कैडर में कोई व्यवस्था नहीं है। तो मन्त्री जी कम से कम दूसरे विभागों से सबक लें। इसमें लोगों के साथ पक्षपात होता है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुए फिर निवेदन करूंगा कि माननीया मन्त्री जी यह सोचें और विचार करें कि इस प्रदेश में अगर गन्ने का विकास होना है तो गुड़ के जरिए होगा। गुड़ की दस्तकारी को, उसके बनाने की प्रक्रिया को देखना चाहिए। मैं पूर्वी जिलों के लोगों से कहूंगा कि यहां गन्ने के भाव की बढ़ोत्तरी तभी होगी जब वह गुड़ बनाना सीख लें।

*श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, गन्ने के विकास से सम्बन्धित जो अनुदान पेश हुआ है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और जो उस पक्ष से कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—]

मैं विरोध करता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं माननीया गन्ना विकास मन्त्री जी का ध्यान कुछ सुझावों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। गन्ना इस प्रदेश में बड़ा महत्व रखता है, उद्योग के क्षेत्र में और किसानों के विकास के सम्बन्ध में, क्योंकि अपने प्रदेश के किसान गन्ने की खेती पर ज्यादा निर्भर हैं और गन्ने के आधार पर ही उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की जा सकती है। पिछली सरकार ने केवल कागज पर गन्ना उत्पादकों को सुविधाएं दी थीं। उसका सही लाभ हमारे किसानों को नहीं मिल सका। लेकिन मैं अपनी सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि किसानों को गन्ना उत्पादन में सुविधाएं दी जायं।

(इस समय 1 बजकर 22 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

जो आपका गन्ना विकास का विभाग बना हुआ है उसमें आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अन्य सरकारी विभाग जिस तरह से बने हुए हैं, उसी तरह यह भी विभाग है। इसके अधिकारी बड़े-बड़े बंगले में बैठते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं, लेकिन सही रूप में गन्ने का विकास कैसे हो, गन्ने के विकास की तरफ ध्यान दिया जाय। जो सरकारी अधिकारी हैं, वे गांवों में जायं और देखें कि गन्ना जब बोया जाता है, उस समय किसानों को क्या-क्या कठिनाइयां होती हैं। किसानों को गन्ने का बीज नहीं उपलब्ध कराया जाता है, उन्हें ऋण भी नहीं मिलता है। ऋण दिया जाता है, तो आधा वह जमा करें, आधा के लिए कोआपरेटिव बैंक में जायं, सुपरवाइजर के पीछे लगें। मान्यवर, इसमें काफी समय नष्ट होता है।

मान्यवर, उसमें ऐसा प्राविधान किया जाय कि गन्ने को बोने के लिए किसानों को सीधे ऋण दिया जाय, पूरी मात्रा में दिया जाय ताकि वह अच्छी तरह से गन्ने की खेती कर सकें। जो निगम की मिलें हैं, जिनको सरकार ने लिया है, उसमें पी0सी0एस0 अफसरों को बैठा दिया है रिसीवर बना कर, लेकिन उनको कोई अनुभव नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है कि वहां के गन्ना किसानों, मिल मजदूरों तथा प्रबन्धक में कैसा सामंजस्य स्थापित किया जाय, जिससे कि गन्ने का विकास हो और गन्ना मिलें फायदे में चलें। हमेशा कारपोरेशन की जितनी मिलें हैं, उनमें घाटा दिखाया जा रहा है। यह सरकार के लिये बड़े शर्म की बात है। सरकार ने जिन मिलों को लिया है, उसमें घाटा हो रहा है। असल में देखा जाय तो वह घाटा नहीं है बल्कि घोटाला है। वहां मेंटीनेंस के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। घटिए किस्म की मशीनें लगाते हैं, जोकि टूट जाती हैं और फिर दूसरी मशीन की खरीद करते हैं, इस तरह से मिल को घाटे में दिखाया जा रहा है। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि जो अफसर वहां पर बैठाए जायं वह कम से कम गन्ना मिल के बारे में अनुभव रखते हों और उन्हीं को रिसीवर बनाया जाय या जो गन्ना मिल के तकनीकी हों, उनको रिसीवर बनाया जाय। क्षेत्रीय विधायक को क्षेत्रीय गन्ना विकास मण्डल में रखा गया है। मान्यवर, इस प्रदेश में गन्ने के मूल्य को लेकर हमेशा हम लोग विरोध में थे और यह आन्दोलन कर रहे थे कि गन्ने का मूल्य 15 रु0, 18 रु0 होना चाहिए। लेकिन आज जब हम सत्ता में आए हैं तो हमारी यह जिम्मेदारी होती है कि गन्ने का उचित मूल्य निर्धारित करें। मैं माननीय मन्त्री महोदया का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि आज हम अपने वादों को पूरा करें और कम से कम 18 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का दाम दिलाया जाय। मन्त्री महोदया

इस सदन में घोषणा करें कि गन्ना किसानों को 18 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य मिलेगा तब जो हम यथार्थवाद और आदर्शवाद की बात सड़कों पर करते थे, वह व्यावहारिक धरातल पर आएगा। मान्यवर, एक बार मन्त्री महोदया से पुनः निवेदन करना चाहता हूं. . .

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

मान्यवर, केवल एक मिनट देने की कृपा करें। गन्ना विकास के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आवश्यकता है कि गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया जाय और उनको 18 रुपए का मूल्य दिया जाय। क्योंकि गन्ने के माध्यम से मिल पैसा कमाती है, मोलेसेस, शीरे से मिल को आमदनी होती है, इसके आंकड़े बैठाए जायं और देखा जाय कि गन्ना उत्पादन में कितना खर्च होता है और मिल को कितनी आमदनी होती है। मिलों को जो फायदा होता है तो वहां के मजदूरों को बोनस दिया जाता है और मिल मालिक को भी फायदा होता है। जो फायदा होता है उसका कुछ प्रतिशत हमारे गन्ना किसानों को मिलना चाहिए। केवल मजदूरों और मिल मालिकों को फायदा न मिले बल्कि गन्ना किसान को भी फायदा मिलना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

मेरे सुझाव को मानकर यदि 18 रुपया मूल्य न किया गया तो बहुत बड़ा आन्दोलन खड़ा होगा जिसमें हम लोग मजबूर होंगे कन्धे से कन्धा भिड़ाने के लिए।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

अधिष्ठाता महोदय, बड़ा आभारी हूं कि आपने यह जो गन्ना विकास का बजट प्रस्तुत किया गया है, उस पर कटौती के प्रस्ताव पर दो शब्द कहने का अवसर दिया है। मान्यवर जैसा हम सब जानते हैं कि यह नई सरकार बनी तो इसकी नीति थी कि कृषि पर बजट का अधिक व्यय किया जायगा। लेकिन हमें यह देखकर बड़ी निराशा है, हमने देखा, मान्यवर, गत वर्ष फैक्टरियों की स्थापना, आधुनिकीकरण की निधि में पिछले वर्ष 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी। इस वर्ष एक पैसे की भी व्यवस्था नहीं की गयी है। यही नहीं, मैं यह उम्मीद करता था कि मन्त्री महोदया आज हमको निश्चित रूप से इस साल गन्ने की कीमत क्या होगी, यह बतायेगी। क्योंकि अगले महीने फैक्टरियां चलने वाली हैं। सत्ता पक्ष के लोग चाहते हैं कि 18 रुपया हो। मैं तो चाहता हूं कि इस बात की घोषणा की जाय कि गन्ने की कीमत क्या होगी।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य शान्ति रखें।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, चीनी मिलों के बारे में जो पुस्तिका दी गयी है उसमें यह है कि वित्तीय वर्ष में 25 चीनी मिलों को लाइसेन्स दिए गए हैं। 5 अगले सत्र में चल जायेंगी, इस तरह की सूचना है। लेकिन शेष 20 कब तक चलेंगी, इसकी अवधि क्या निर्धारित की गयी है, मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदया बतायें कि यह कब तक चालू होंगी। सहकारिता में, निगम के माध्यम से और चीनी मिलें लगाने की कोई नीति है या नहीं, इस पर प्रकाश डालें तो कृपा होगी। मान्यवर, जितनी भी मिलें हैं, कोई भी मिल ऐसी नहीं है इस प्रदेश में जिसमें गन्ने की चोरी न होती हो। जो तौलने के कांटे हैं उनमें ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे गन्ने की चोरी न हो सके। यह व्यवस्था जब तक नहीं हो सकेगी तब तक मैं कहूंगा कि किसानों की रक्षा नहीं हो सकेगी।

श्रीमती चन्द्रावती—

कोई सुझाव दे सकेंगे इस ओर ?

श्री देव बहादुर सिंह—

सुझाव यह है कि आप फ्लाइंग स्क्वायड बनायें जो घूम-घूम कर चेक करे। आकस्मिक चेकिंग होगी तब कहीं जाकर इसकी बचत होगी। रेगुलर केडर वहां जो काम करता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। फ्लाइंग स्क्वायड बनाना चाहिए जो घूम-घूम कर चेक करे। जो प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनको भी अधिकृत करें जिससे किसानों को विश्वास हो सके कि जो चेकिंग करने वाले अधिकारी हैं, वह ईमानदार हैं। यह मेरा सुझाव है आप इसको कार्यान्वित करें तो बड़ी कृपा होगी। यही नहीं किसानों का करोड़ों रुपया चीनी मिलों पर बकाया है। तो इसमें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है कि यह रुपया उनको कब तक दिलवा दिया जायगा। किसानों पर अगर सरकार का रुपया बाकी है तो सरकार ब्याज समेत वसूल करती है। मिल वालों से पैसा वसूल किया जाय और ब्याज भी लिया जाय जो किसानों तक पहुंचे, यह आज तक हमने नहीं देखा। कानून में व्यवस्था है, लेकिन इस कानून का परिपालन अब तक नहीं हुआ है। इसलिए मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जब तक ब्याज सहित पैसा नहीं वसूल किया जायगा और मिल की कुर्की और नीलामी नहीं होगी, तब तक किसानों का करोड़ों रुपया मिल वाले नहीं देना चाहते हैं। इसलिए सख्ती की आवश्यकता है। बहुत सी पुरानी मिलें हैं जिनका कि जीर्णोद्धार हो। मिल मालिक उसमें पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। इसलिए पुरानी फैक्टरी जिस रूप में चलती है, उनसे जो रिकवरी होती है, वह बहुत कम है। इससे राष्ट्र की क्षति होती है।

मान्यवर, इससे सबसे ज्यादा परेशानी गन्ना पैदा करने वालों को है। इसलिए जीर्णोद्धार की कोई नीति होनी चाहिए। जो फैक्टरी जर्जर हो गई है उसके लिए एक सिद्धान्त तय कर दिया जाय कि जिस फैक्टरी में 9 प्रतिशत से रिकवरी कम होगी उसको चलाने की इजाजत नहीं दी जायगी। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तब तक जो राष्ट्रीय आय है या फैक्टरी की आय बढ़ाने की बात है, वह पूरी नहीं होगी। इसलिए मान्यवर, तय कर दें कि 9 प्रतिशत से कम रिकवरी जिसकी होगी उसको चलाने की इजाजत नहीं देंगे। मान्यवर, पिछले दिनों ऐसा होता रहा कि फैक्टरी शुरू में 15 नवम्बर से या 27 नवम्बर से चला दी जाती हैं और जो पहले चलती हैं उन्हें कोई छूट, टैक्स में दे दी जाती है जिससे वह

फैक्टरी जल्दी चलें और खेत खाली हो जायं। जो खेत खाली हो जाते हैं, उनमें किसान गेहूं पैदा कर लेते हैं। इसलिए मन्त्री जी यदि ऐसी व्यवस्था कर दें तो इससे खेत खाली हो जायेंगे और किसान उसका फायदा उठा सकता है।

इस वर्ष गन्ने की पैदावार बहुत है। जितना गन्ना खड़ा है, उसकी समय से पेराई हो जाय। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि अधिक से अधिक क्रेशरों को लाइसेन्स दिए जायं और फैक्टरी पहले से चला दें। यदि 15 नवम्बर से चला दें तो वह किसानों के हित में होगा और वह खेत का उपयोग गेहूं बोने में कर सकते हैं। मान्यवर, पिछले साल क्रशर के लिए 10 रुपए का रेट तय किया था। तो मैं चाहूंगा कि उस नीति को सरकार माने। मान्यवर, क्रेशर पर गन्ने की बड़ी चोरी होती है। तो उस चोरी से सरकार यदि रक्षा करे तो किसानों को फायदा हो सकता है। मैं इस सुझाव के साथ जो कटौती का प्रस्ताव है, उसका समर्थन करता हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने जो हमें मन्त्री जी के समर्थन में बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं बड़ा आभारी हूं। माननीय विरोधी पक्ष के जिस सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसमें मन, उनका नहीं था और नेता विरोधी दल जो पास में बैठे हैं, लगता है कि वह भी इस प्रस्ताव से सहमत रहे हैं तभी उन्होंने महत्वपूर्ण विषय को ऐसे नवजवान साथी को दिया कि इस उद्योग के सम्बन्ध में उनकी भी कोई दिलचस्पी नहीं है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग एक विशेष स्थान रखता है और इसमें यहां बैठे हुए माननीय सदस्यों में से अधिक लोग ऐसे होंगे जिनकी जिन्दगी का सम्बन्ध गुड़ और गन्ना से रहा है। 30 साल से गन्ना और गुड़ की लड़ाई लड़ते-लड़ते वहां बैठने वाले लोग यहां आ गए हैं। इसलिए जो प्रदेश के करोड़ों लोग गन्ना उत्पादक हैं, वह हमारी ओर आशा की नजर रखकर देख रहे हैं।

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है उन्होंने बराबर पिछली सरकार की नीतियों की दुहाई दी। मैं इतना कहना चाहता हूं कि पिछली कांग्रेस सरकार की गन्ना विकास के सम्बन्ध में कोई भी नीति नहीं रही है। मैं दावे से कह सकता हूं कि चीनी उद्योग के बारे में उनकी कोई नीति नहीं रही। आज यह उद्योग विनाश के कगार पर खड़ा हुआ है, इसका कारण यही है कि पिछले 30 वर्षों में कांग्रेसी सरकार की इस ओर कोई ठोस नीति नहीं रही। इस उद्योग को इस स्तर पर पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी मैं आज उधर बैठे हुए लोगों पर मानता हूं। इन्होंने पूंजीपतियों के इशारे पर नौकरशाही को मजबूत करने का काम किया। गन्ना विभाग, जिसको हम गन्ना विनाश कहा करते हैं, ने इस उद्योग को पीछे ले जाने का काम किया है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आज किसान का करोड़ों रुपया मिलों पर बकाया है। वह किसान जिसकी पांच-पांच रुपए केलिए कुर्की होती रहती है और जिसका हजारों रुपया मिल पर बाकी है तो उसको क्यों नहीं दिया गया? ये मिलें एक पैसा अपने ऊपर नहीं लगाती। हुआ यह है कि राष्ट्रीयकरण के नाम पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जानकी प्रसाद ओझा—]

लाखों रुपए का सामान बेंच दिया गया। अगर सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान न दिया तो यह उद्योग पनपने वाला नहीं है। जहां तक गन्ने की कीमत का सवाल है तो किसान के हित में वह बढ़ना चाहिए। पिछली सरकार ने 8.25 सपोर्ट प्राइस दी, लेकिन किसानों का संगठन था जिसकी वजह से हम कुछ ज्यादा ले सकें। जनता पार्टी का जो मेनीफैस्टो था और जिसके कारण किसानों से वोट दिया था, तो मुझे यकीन है कि उनके गन्ने की कीमत बढ़ेगी। इस प्रदेश में कुछ फैक्टरीज ऐसी हैं जिनको सरकार चलाती है चाहे निगम के माध्यम से या सहकारी समिति के माध्यम से या रिसीवर के माध्यम से, जोन का गन्ना प्राइवेट कन्सर्न को नहीं देना चाहिए। इन मिलों को वह लोग चला रहे हैं जो आई0ए0एस0 या पी0सी0एस0 अधिकारी हैं, जिन्होंने देखा नहीं कि गन्ना कैसे पदा होता है या चीनी किस तरह बनती है, यदि यह बतलाया जाय तो उनको आश्चर्य होगा। कैसे लोग मिलों का संचालन करते हैं तो उनको वहां से हटाया जाय और ऐसे लोगों को रखा जाय जिनका गन्ने से सम्बन्ध रहा है। आपकी ऐसी फैक्टरियां हैं जहां घाटा होता है। कारण यह कि राजनीतिक दबाव के कारण वह ऐसे स्थान पर खोली गयीं गन्ने की जहां खेती नहीं होती। घाटे का एकमात्र कारण यही है। जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, उनका कहना है कि जहां उद्योग का विकास होगा वहां से गरीबी हट जायगी। हमारा देवरिया जिला ऐसा है जहां सबसे अधिक यानी 14 मिलें हैं, लेकिन फिर भी वह सबसे गरीब जिला है। कौन सा अर्थशास्त्र का सिद्धान्त यहां पर काम कर रहा है ? सबसे ज्यादा फैक्टरी हैं, लेकिन गरीबी भी सबसे ज्यादा है। यहां 154 रुपया पर कैपिटा इनकम पहले रही है, अब कुछ घट गई हो या बढ़ गई हो। यह इस बात का प्रतीक है कि मिल मालिकों पर सरकार के साए के कारण और पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण गन्ना किसानों का शोषण होता रहा है। इसलिए मान्यवर, यही हाल मजदूरों का है। वह मजदूर जो रोज आठ घंटे काम करता है, कड़ी ठंडक में, गरमी की चपेट में मशीन के साथ काम करता है। उसके लिए वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू नहीं की गयीं। मैं नेता विरोधी दल से पूछना चाहता हूं कि इतने दिनों में जो उन्होंने आप से मुनाफा मांगा, आपने दिया ? ट्रेड यूनियन कर्मचारी हैं, 12 घंटे काम करते हैं लेकिन उन्हें ओवर टाईम नहीं मिलता। उनके लिए कोई सर्विस रूल नहीं हैं। यहां पर गन्ना विकास के अधिकारी बैठे हुए हैं। यहां पर सी0डी0ओ0 (आई0), सी0डी0ओ0 (एम0) मालूम नहीं कितने सी0डी0ओ0 हैं। नौकरशाही इतनी बढ़ी हुई है। जिस प्रकार ब्लाक में ए0डी0ओ0 (आर0), ए0डी0ओ0 (एम0) होते हैं उसी, प्रकार यहां पर भी मैं चाहूंगा कि इन्हें कम किया जाय ताकि दूसरी जगह ये काम कर सकें।

बहुत दुहाई देते हैं विरोधी दल के सदस्य कि पिछली इमरजेंसी में और इसके कुछ पहले जनतान्त्रिक प्रक्रिया रही है। इस बीच ट्रेड यूनियन का हनन हुआ है। कौन सा गन्ना प्रतिनिधि गन्ना किसान है ? सब सरकारी आदमी हैं।

कुछ नेताओं को खुश करने के लिए और लाडले संजय गांधी के देवरिया में आने पर एक गन्ना विकास संस्थान वहां पर बन गया। इस गन्ना विकाश संस्थान की वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई कोयम्बटूर टाइप जैसा शाहजहांपुर में बना है, उस प्रकार का टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाया जाय तो इससे मुझे प्रसन्नता होगी। यह संस्थान केवल

टी0ए0 बनाने के लिए कुछ लोगों को इम्पलायमेंट देने के लिए कायम किया है। मैं समझता हूं माननीय मन्त्री जी इस पर ध्यान देंगी ।

पूर्वी जिलों में खाण्डसारी में एक बन्दिश है। बीस किलो मीटर के अन्दर मिल नहीं लगायेंगे। ऐसा क्यों किया ? इसलिए कि पूर्वी जिलों को आप फिर पीछे ले जाना चाहते हैं. . .

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

इस सम्बन्ध में भी माननीय मन्त्री जी ध्यान दें। और आपने मुझे अपनी अधूरी बात कहने का मौका दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, अभी यह जो कटौती का प्रस्ताव आया है, इसके विरोध में मैं अपने विचार रखता हूं। प्रदेश में यह जो 12 बीमार मिलें हैं, इनमें कम से कम 10 माह से 32,000 हजार मजदूर हैं जिन्हें वेतन नहीं मिला। मैं अपनी सरकार से चाहूंगा कि व्यवस्था की जाय कि यह जो अपने प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, जिस पर प्रदेश की खुशहाली निर्भर है और जिससे बहुत ब ा पैसा मिलता है, उसमें अगर मजदूरों की स्थिति नहीं सुधारी गई तो यह इस प्रदेश के लिए एक बहुत ही कलंक की बात है।

यह जो 32 हजार मजदूरों की मजदूरी 10 महीने से बाकी पड़ी हुई है, इसको शीघ्र निकालने की कोशिश की जाय। बीमार मिलों को साढ़े 3 करोड़ रुपए मरम्मत के लिए दिए गए थे जो नाकाफी हैं, इससे उनका काम नहीं चल सकेगा। अगर बीमार मिलों की मरम्मत ढंग से नहीं हुई तो रिकवरी का परसेन्टेज गिर जायगा और इसी कारण किसानों को जो उनके गन्ने का मूल्य है, वह नहीं मिल पा रहा है। अगर आवश्यकता प ड़े तो माननीय मन्त्री जी से मैं आशा करूंगा कि साढ़े तीन करोड़ रुपए की रकम को वह बढ़ा देंगे।

सारे प्रदेश में जो खाण्डसारी उद्योग लोग खोले हुए हैं, वे गन्ना किसानों का बहुत शोषण करते हैं। उन पर गन्ना अधिनियम लागू होना चाहिए ताकि पूरा गन्ने का मूल्य किसानों को मिल सके। गन्ना मिलें जिस गन्ने को नहीं ले पाती हैं, उसे ये खाण्डसारी मिलें खरीदती हैं और बहुत कम दाम पर खरीदती हैं। तुलाई आदि की जो व्यवस्था है, वह भी चेक नहीं हो पाती है। किसानों को जो राहत मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है। इसके अलावा किसान जब गन्ना लेकर पहुंचता है तो प्रभावशाली लोगों का पहले ले लिया जाता है और बहुत से किसानों का गन्ना अन्त तक नहीं खरीदा जाता है। मैं अपने जिले की हरदुगंज में जो सहकारी मिल है, वहां पर जो मशीन लगाई गई थी, वह पिछले सीजन में चल जानी चाहिए थी लेकिन सम्भवतः 7 दिन नहीं चल पाई थी कि टूट गयी और बनने के लिए फिर से भेजना पड़ा और किसानों के गन्ने की खपत नहीं हो सकी। कासिमपुर इन्टर कालेज का गन्ना भी मिल में न जाने के कारण कटा पड़ा रहा और सूख गया जिससे कालेज को हानि हुई। अगर मिल खराब रहती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। ये सारी

[श्री नेम सिंह चौहान—]

बातें पिछली सरकार के जमाने में हुयीं। जितनी बीमार मिलें हैं इनको बन्द करने का सुझाव न करके, इनको सुधारा जाय ताकि प्रदेश के गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर सके और जो मजदूर किसान हैं, उसकी भलाई हो सके। हमारे एरिया में बुवाई होती है गन्ने की। उस एरिया में जिसमें नई गन्ने की मिलें लगी हैं, उनकी अभिवृद्धि के लिए कोई भी कार्यक्रम उतने व्यावहारिक रूप में नहीं लाया गया। किसान को अब भी गारन्टी नहीं है कि समय पर उसे खाद मिल जाय। अलीगढ़ क्षेत्र में जहां-जहां मैं गया इस वक्त गन्ने की फसल में रोग लगा हुआ है लेकिन दवाई की व्यवस्था किसान तक पहुंचाने की नहीं हो सकी। वहां पानी बहुत भरा है जिससे गन्ने की फसल को क्षति की आशंका है। दवाई की अधिक व्यवस्था हो सके, इसके लिए ध्यान देना चाहिए और किसानों का साढ़े छः करोड़ रुपया मिलों पर बकाया है। यह धन दिलाने की तुरन्त व्यवस्था हो। विरोधी पक्ष से तथा सरकारी पक्ष से जो बातें कही गयीं उनमें ये मुख्य प्वाइन्ट्स छूट गए थे जो मुझे निवेदन करने थे।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, गन्ना विकास मन्त्री जी ने जो मांग प्रस्तुत की है, इसमें दो राय नहीं हैं। अगर गन्ना विकास मन्त्री जी और भी रुपया मांग लें, कितना ही मांग लें, गन्ने के विकास के लिए तो सदन स्वीकृति दे ही देगा। लेकिन खेद इस बात का है कि गन्ने से सम्बन्धित दो सूत्र हैं। एक किसान का और दूसरे कारखानेदार का, जो गन्ने के आधार पर चलता है। विकास को अगर देखा जाय तो गन्ने से सम्बन्धित विकास तो बहुत हुए लेकिन उस विकास में 80 फीसदी हिस्सा उस तरफ हुआ जो कारखानेदार से मुताल्लिक हैं। 20 प्रतिशत मुश्किल से गन्ना उत्पादकों के हिस्से में आया। गन्ने से जो भी चीजें आज निकलती हैं, चाहे मैल हो, चाहे सीरा हो, चाहे कोई हो वह सब बिकती हैं जो कि आज से 15–20 साल पहले बेकार जाती थीं इसलिए फैक्ट्री वाले उन से पैसा कमाते हैं लेकिन दूसरी तरफ किसान को कुछ नहीं मिलता। आपके यहां दूसरे प्रदेशों के मुकाबले, रिकवरी और यील्ड दोनों कम हैं, चाहे महाराष्ट्र ले लें वहां के मुकाबले में आपकी यील्ड भी कम है और रिकवरी भी कम। ऐसे ही मद्रास के मुकाबले में है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार की सबसे बड़ी कैश क्राप गन्ना है। तो इससे ज्यादा खेद की बात और क्या हो सकती है ?

इसकी वजह क्या है ? वजह एक ही है जितने लोग उसमें लगे हुए हैं छोटे कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक जिनकी गन्ने के विकास के बारे में जिम्मेदारी है, वह केवल एक ही बात सोचते हैं कि इस गन्ने को जितना निचोड़ोगे उतना ही इससे मीठा रस निकलेगा। चाहे कमिश्नर हो या छोटा कर्मचारी हो उसके सामने यही बात रहती है कि फैक्ट्री वाले से और क्रशर प्लान्ट वाले से किससे उनको मफाद होगा और वह सोचता है कि कौन सी डील ऐसी हो जिससे रस ज्यादा आए, कमिश्नर से लेकर पर्ची बांटने वाले तक यही सोचते हैं। पर्ची बांटने वाला यह सोचता है कि 10 रु0 की पर्ची दूसरे के नाम की सीधी कर दो तो उसका उसमें कितना निकल आएगा। इसी वजह से यह जो उत्तर प्रदेश की जो सबसे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़ी इंडस्ट्री है गन्ने की जो यहां के किसान की कैश-क्राप है, पिछड़ गयी है, दूसरे सूबों के मुकाबले जो हमारे यहां से बीज ले गए, उत्तर प्रदेश की कलमें ले गए, उनकी रिकवरी आज ज्यादा है, वह हमसे आगे हो गए हैं और हम पिछड़ गए हैं। आज आपका रिजव्वर्ड एरिया घट गया है क्योंकि उसमें घाटा होता है। आप किसान को समय पर पेमेंट नहीं करते। 90 से लेकर 110 दिन तक आपका सीजन चलता है। पर्ची डिस्ट्रीब्यूट हो गई, लेकिन किसान के पास इतना पैसा कहां है कि वह साल भर तक इन्तजार करे। आप उसके पेमेंट के लिए कोई प्रबन्ध करते नहीं, न उनको आप खर्च करने के लिए बैंक आदि से कहीं से लोन दे रहे हैं जोकि आपको वह गन्ना दे दे। आप कहते हैं कि तुमको जरूरत के लिए पैसा मिल जायगा। इसका नतीजा यह है कि जितने क्रशर प्लान्ट लगे हैं, वह मनमाने दाम पर गन्ना खरीद लेते हैं। पिछले साल आपने पाबन्दी लगाई कि 9 रु0 से कम गन्ना नहीं खरीदा जायगा लेकिन उसके बावजूद साढ़े 7 रु0 उसे मिला, वह सिर्फ इसलिए कि इसकी जरूरत पूरी होनी चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान और शादी-विवाह के लिए उसको पैसा चाहिए। लेकिन आपकी तरफ से कोई गारन्टी नहीं है। आज 18 करोड़ रुपया किसान का पड़ा हुआ है। इस सदन के अन्दर पास भी हो गया कि विद इन्टेरेस्ट दिया जायगा। हम तो कहते हैं उसको असली दाम ही समय पर दे दो बाकी ऐसी-तैसी में जाय। दूसरी फसल तैयार होने से पहले उसे पैसा मिल जाय। चाहिए तो यह था कि हफ्ते के अन्दर पैसा दे दिया जाय, वह कौन सा गुनाह करता है कि आपकी पर्ची पर वह गन्ना दे देता है। किसान को देने के लिए पैसा नहीं है लेकिन फैक्ट्री वाले की चीनी प्लेज होती है, इधर से गन्ना आया और उधर से चीनी निकली और वह बैंक से प्लेज होती है तो फिर क्यों नहीं किसान को पैसा मिलता है? आज 18 करोड़ रु0 किसान का फैक्ट्री वालों पर बाकी है, इससे बड़ी अफसोस की बात और क्या हो सकती है? मेरे क्षेत्र में रजा फैक्ट्री है रामपुर में, उसमें 4 लाख रुपये केवल 4, 5 सेन्टर का डिफर्ड पेमेंट का पड़ा हुआ है। आज तक दलपतपुर, मानपुर, गोट और मूड़ा का बाकी पड़ा हुआ है इससे कोई फायदा नहीं होता। आप उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं रख सके। किसान तो उस मनोवृत्ति का है कि किस कैश-क्राप में ज्यादा फायदा हो, किस में बिना परेशानी के पैसा मिल जाय, उसी को वह बोने लगता है। इसका नतीजा यह हुआ है कि अब किसान ने गन्ना के जगह पर मेंथा की फसल बोना धीरे-धीरे प्रारम्भ कर दिया है। उसमें उसे कोई दिक्कत नहीं है, वह मेंथा को खुद खेत से अपने साथ ले आता है। उसने गन्ने की खेती कम कर दी और मेंथा बोना शुरू किया। किसान जब देखेगा कि इससे हमें ज्यादा मुनाफा है, तो वह आप ही उस ओर बढ़ेगा। इसलिए आप इस ओर ध्यान दें।

दो-तीन सुझाव मैं आपको इस सम्बन्ध में दूंगा। एक तो नेशनलाईजेशन की बात है, पता नहीं वह यहां से चलकर कहां रह जाती है, रास्ते में कहां अटक जाती है? यह तो अच्छी तरह वही जानते होंगे जो आज सरकार में बैठे हैं। यह वह चीज है जो हर एक के मेनिफेस्टों में है, लेकिन यह कर कोई नहीं पाता है। फिर भी क्या आप कोई ऐसा सूत्र—रास्ता नहीं निकाल पाते हैं कि यह मालूम करके कि किसान के पास औसतन कितना गन्ना होनेवाला है, उसका आप ऐडवांस पेमेंट कर दिया करें? आज किसान के लिए कोई गारन्टी नहीं है कि उसकी फसल का पेमेंट कब तक होगा। 80 दिन तक उसकी पर्ची आयगी, इसलिए वह अपनी तरफ से सौदा करने को मजबूर होता है, जिससे उसे कमोबेशी पैसा तो मिल जाय।

[श्री रियासत हुसैन—]

इसी से हर कांटे के साथ आज एक पैरलेल कांटा भी चल रहा है और यह कांटे वाला बीच में आकर फायदा उठाता है। वह असली पर्चियों पर गन्ने को तौला देता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि किसान के हित में कुछ हो, फैक्ट्री और मिल मालिक के हित में न हो। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विषय पर मुझे कुछ कहने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले मन्त्री जी ने जो मांग पेश की है, उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं। साथ ही मन्त्री जी को कुछ अपने सुझाव देना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पिछले 30 वर्षों में कांग्रेसी प्रशासन काल में गन्ना विभाग ने, जिसमें करीब 23 लाख लोगों का जीवन गन्ने पर निर्भर करता है, लाखों लोग जो मिलों में काम करते हैं, उन की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ खेला है। नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने गन्ने पर जिन्दगी बसर करने वाले, झोपड़ियों में रहने वाले, गन्ना पैदा करने वाले गन्ना किसानों के हकों के साथ कुठाराघात करना शुरू किया। मैं इस सम्बन्ध में एक-दो मिसाल पेश करना चाहूंगा। जिस तरह से केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किया है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार और गन्ना मन्त्री को सदन में यह घोषणा करनी चाहिए कि प्रदेश के अन्दर गन्ना विभाग में जो लूट-खसोट करने की, नाजायज धन अर्जन करने की योजना बनाई गई है, जिससे इस विभाग के पवित्र उद्देश्य को खंडित किया गया था मैंने उस पर 27 सूत्री चार्ज लगाया। भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, माननीय तिवारी के हाथों में वह पत्रक दिया। माननीय राज्यपाल को दिया। उसके बाद जनता पार्टी के मुख्य मन्त्री को भी एक पत्रक दिया। 27 सूत्री चार्ज हैं। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी सदन में घोषणा करें कि 27 चार्जों जांच के लिए निर्दिष्ट कर दें। उससे साफ हो जायगा कि गन्ना किसानों का हमदर्द कौन था या विरोधी कौन था। सीधे-सीधे सिद्ध होगा कि कांग्रेस पार्टी अब तक क्या करती रही है। गन्ना विभाग ऐसा है कि एक ही आयुक्त पांच विभागों का मालिक बना बैठा है। मेरा सुझाव है कि गन्ना फेडरेशन जो अब तक किसानों का एक प्रतिनिधि होता था नहीं रखा गया है, उसमें गन्ना किसानों का प्रतिनिधि रखा जाय। बीज निगम, गन्ना किसान संस्थान, दोनों में केवल अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, आपातकाल में माननीय नारायण दत्त तिवारी ने केवल अपने चहेतों को भरती किया। चार गुना अधिकारी नियुक्त किए गए। न कोई चपरासी नियुक्त किया गया, न गन्ना ग्रामसेवक नियुक्त किया गया। इससे क्या हुआ? गन्ना विभाग पर अनावश्यक बोझ पड़ा और गन्ना विभाग की रीढ़ टूट गयी। मेरा एक सुझाव है। गन्ना यूनियनों का चुनाव जो डेलीगेटों के माध्यम से होना चाहिए, वह रोक दिया गया है। वह चुनाव सीधे गन्ना प्रतिनिधियों के माध्यम से कराना चाहिए।

एक भार्गव कमीशन की रिपोर्ट है। उसके अनुसार परचेज टैक्स के रूप में था, उसमें सात प्रतिशत प्रदेशीय सरकार, पांच प्रतिशत मिल और दो प्रतिशत किसान परिषद को दे, जिससे एक शक्तिशाली संस्था बने। उसको नहीं लागू किया गया। जिस तरह से टैरिफ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बोर्ड समिति बनी थी, उसने रिपोर्ट दिया कि जितने आने सेर चीनी बिके उतने रुपए क्विंटल गन्ने का दाम मिले। तब किसान की लागत निकलेगी। लेकिन पूर्व की सरकार ने इसको लागू नहीं किया। मैं चाहूंगा कि यह सरकार कम से कम उस टैरिफ बोर्ड समिति की रिपोर्ट को देखे। और भार्गव समिति ने जो रिपोर्ट दिया है, जो गन्ना किसानों के हित में है, उस पर भी विचार करें। इसी तरह से हमारी सरकार को केन्द्रीय सरकार को एक सुझाव देना चाहिए कि गन्ने की एक नीति बने राष्ट्रीय स्तर पर। तो उसमें दो तरह के काम होंगे। जो गन्ना पैदा करता है, उसको उसका कितना मूल्य मिलता है और चीनी कितने में तैयार होती है, उधर ध्यान जायगा और कोई बीच का रास्ता निकलेगा। मजदूर जिन चीजों को तैयार करता है, उसका दाम वह स्वतः तय करता है। लेकिन गन्ना किसान जिस गन्ने को पैदा करता है, उसका दाम तय होगा दिल्ली और लखनऊ से। हम चाहते हैं कि कम से कम हमारी सरकार गन्ना किसान जो गन्ना पैदा करता है उसका सही दाम निर्धारित करने के लिए एक प्रक्रिया बनाए। गन्ने का दाम कम से कम 18 रुपए क्विंटल होना चाहिए। और 300 रु0 प्रति क्विंटल चीनी का दाम होना चाहिए। मैं तीन जिलों—देवरिया, गोरखपुर और बस्ती के 24 चीनी मिलों का तुलनात्मक विवरण आपकी आज्ञा से देना चाहता हूं। 1976–77 में इन 24 चीनी मिलों में 282.44 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की गयी और 27.18 लाख क्विंटल चीनी बनी। सवा बारह रुपए के हिसाब से गन्ने का दाम 3459 लाख रुपया हुआ और चीनी का दाम 35 प्रतिशत खुले बाजार में 400 रुपए की दर से 3805 लाख रुपए हुआ और चीनी का दाम 65 प्रतिशत कन्ट्रोल लेवी जो 215 रु0 प्रति क्विंटल की दर से बेची जाती है, के भाव से 3798 लाख रुपए हुआ। इस प्रकार से चीनी का टोटल दाम 7603 लाख रुपए हुआ। इस प्रकार गन्ने का दाम निकाल कर बचत 4244 लाख रुपए की होगी। यदि गन्ने का दाम 18 रु0 कर दिया जाय तो कीमत 5190 लाख रुपए होगी, तब बचत होगी 2413 लाख रुपए। इस बात के अतिरिक्त शीरा, खोइया, खाद का दाम भी मिल मालिकों को बचेगा। इसमें केवल मिल के मजदूरों का वेतन, टैक्स, मशीन की घिसाई-पिटाई शामिल है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका एक मिनट समय रह गया है।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

मैं समाप्त कर रहा हूं। तो मैं कह रहा था कि चीनी का दाम जो दो तरह का रखा गया है, उसे तोड़ दिया जाय। कन्ट्रोल की जो चीनी होती है, वह चोर बाजार में चली जाती है और किसानों को चीनी मिल नहीं पाती है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

एक मिनट दे दीजिए। केन्द्रीय व प्रदेशीय सरकार को गन्ने से काफी रुपया टैक्स के रूप में मिलता है परन्तु आजादी के बाद इन तीन जिलों में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया गया। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे सुझावों पर सरकार अवश्य विचार करेगी।

*श्री अवधेश नरायन (जिला गाजीपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय गन्ना विकास मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। गन्ने के विकास का सम्बन्ध इस देश की प्रगति, इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था और किसानों की आर्थिक स्थिति से है। इसलिए जितनी तेजी के साथ और जितनी मजबूती के साथ सरकार गन्ना कार्यक्रम को अपनाएगी, उतनी ही तेजी से इस देश की प्रगति और किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। गन्ना विकास का सम्बन्ध अच्छे बीज से और रोग मुक्त बीज से है। किसानों को सिंचाई की सुविधा हो और यातायात की सुविधाएं हों तभी गन्ना किसान उन्नति कर सकता है। मान्यवर, मैं सबसे पहले गन्ना विकास मन्त्री जी का ध्यान पूर्वी जिलों में जो गन्ना का बीज उपलब्ध कराया जाता है, उस ओर दिलाना चाहता हूं। गन्ना अनुसन्धान परिषद् जो है, जहां पर गन्ना वैज्ञानिक गन्ने के बीज का अनुसन्धान करते हैं, उनसे वह काम न लेकर गन्ना विकास का कार्य लिया जा रहा है जिससे जो बीज किसानों को मिलता है, वह रोग मुक्त नहीं होता है। अतः मेरा निवेदन है जो गन्ना के वैज्ञानिक हैं, उनसे कोई दूसरा काम न लेकर गन्ना के बीज के अनुसन्धान का काम ही लिया जाना चाहिए जिससे जो बीज गन्ने का किसानों को मिले, वह ठीक हो और उसमें रोग न लगे।

मान्यवर, मैं दूसरी बात सिंचाई के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। किसान को सिंचाई की सुविधा जितनी अच्छी होगी, उतना ही अच्छा गन्ना वह पैदा कर सकेगा। इस सिंचाई सुविधा में आप ट्यूबवेल लगवाते हैं और दूसरे साधन प्रदान करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि गन्ना किसानों को व्यक्तिगत तरीके से पम्पिग सेट और ट्यूबवेल लगाने के लिए ऋण दिया जाए। इस सम्बन्ध में पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों को ऋण देने की वही सुविधायें होनी चाहिए जो कि पटेल कमीशन में उल्लिखित हैं। उस सम्बन्ध में मेरा माननीया मन्त्री जी से अनुरोध है कि पटेल कमीशन की संस्तुतियों को तुरन्त लागू करके किसानों को ऋण दिलाने की सुविधा दी जाए।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान गाजीपुर जिले की नन्दगंज चीनी मिल की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो कि शीघ्र ही आरम्भ होने वाली है। इस मिल के शिलान्यास के समय प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, श्री नारायण दत्त तिवारी ने आश्वासन दिया था कि उस मिल के आरम्भ होने पर यहां के उन किसानों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी जमीन मिल के लिए, ली गई थी। हमें निश्चित अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस समय जो अधिकारी मिल का संचालन कर रहे हैं, पूरे तौर से नियुक्तियों के सम्बन्ध में इन किसानों की व यहां की जनता की उपेक्षा कर रहे हैं और बाहर से अपने लोगों को ला करके, उनका एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज में रजिस्ट्रेशन करवा करके उनकी नियुक्तियां कर रहे हैं जब कि इस में हमारे तिवारी जी ने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि नियुक्तियों के समय इन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस समय जो जनरल मैनेजर या प्रबन्धक नियुक्तियां कर रहे हैं उनमें कोई पंजाब का रहने वाला या प्रदेश के बाहर का रहने वाला है कोई कहीं को रहने वाला है जिनकी वजह से बड़ी धांधली हो रही है। अत. मैं माननीया मन्त्री जी से अनुरोध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करता हूं कि वह निगम की एक उप समिति नन्दगंज चीनी मिल के लिए गठित कर दें जिससे वहां के लोगों को नियुक्ति में प्राथमिकता मिल सके और उनके साथ न्याय हो। मैं आपके माध्यम से एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि नन्दगंज चीनी मिल जो बन रही थी, एक बड़ा गोदाम लाखों रुपए की लागत से बना था, हवा के झोंके के कारण और बारिश के कारण पूरे का पूरा गोदाम ध्वस्त हो गया जिसमें दो निरीह लोगों की जानें गईं जो उसके नीचे वर्षा से बचने के लिए बैठे हुए थे। आज तक पता नहीं चल सका कि वह गोदाम किस कारण गिरा, उसके बनाने वाले का दोष था या उसकी डिजाइन बनाने वाले का दोष था? इन सब की जांच करके माननीय मन्त्री जी सदन को सूचित करें। और जो दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। किसान मिलों को गन्ना देता है और इस उम्मीद में देता है कि उसको पैसा मिलेगा लेकिन उसका भुगतान बड़ी देर में होता है और जिस अवधि में किसान के गन्ने का मूल्य मिलों पर बकाया रहता है उस अवधि में उसे बकायों के लिए जेलों में सजा भुगतनी पड़ती है और उसके सामान और घर की कुर्की होती है। तो मैं गन्ना विकास मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि मिल उस गन्ने का निश्चित अवधि में भुगतान नहीं करते हैं तो उनके ऊपर भी इसी प्रकार से वसूल करने की कार्यवाही होनी चाहिए जिस प्रकार से गन्ना किसानों के साथ होती है।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश में या यों कहूं कि उत्तर भारत में गन्ना विकास एक महत्व का स्थान रखता है और इसलिये रखता है क्योंकि यह कैश क्राप है और इसकी बढ़ोत्तरी से किसानों की आय बढ़ती है।

श्रीमन्, देखें जो पुस्तिका बटी है गन्ना विकास विभाग द्वारा उसमें पूरे आंकड़े और पूरी बातें नहीं दीं हुई हैं। यदि इस रिपोर्ट को पढ़ कर कोई माननीय सदस्य कुछ कहना चाहे तो वह तमाम बातें नहीं कह सकता है। इस रिपोर्ट को तो ऐसा होना चाहिए जिसमें तुलनात्मक ढंग से कुछ बातों का समावेश हो। क्या सैस है, उसका प्रयोग क्या हो रहा है कितनी चीनी मिलें हैं किस तरह की मिलें हैं कितनी किस दिशा में हैं? जो विभाग से आशा की जाती थी उसके विपरीत इस 5 1/2 पन्ने की रिपोर्ट में है। मेरा माननीय मुख्य मन्त्री, गन्ना विकास मन्त्री और अन्य मन्त्रियों से यह निवेदन है कि इस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट है वे अगले साल तैयार करायें वह पूरी तौर से विस्तृत रूप में हो। मेरा अनुमान है कि पिछली बार विस्तृत रिपोर्ट ही सदन के सामने आयी होगी।

पूर्व इसके कि मैं ब्योरे में जाऊं, मैं आय-व्ययक अनुमानों पर स्मृति-पत्र के खंड 2 के पृष्ठ 22 पर जो लिखा हुआ है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें लिखा है "उत्तर प्रदेश गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए ऋण सहायता निधि वर्ष 1976-77 में पुनरीक्षित अनुमान 4 करोड़ रुपए था।" अब क्या हो गया उस अनुमान का? क्या इसके लिए इस वर्ष एक पैसा भी नहीं रखा गया है? उत्तर प्रदेश ऋण सहायता निधि मैं समझता हूं इसलिए होती थी कि अगर किसान का भुगतान न हुआ हो तो इस रुपए से ऋण दिया जाता था और इसी के लिए 4 करोड़ रुपया पिछले वर्ष रखा गया था। इस साल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामधर मिश्र]

एक पैसा भी इस बजट में नहीं रखा गया है वित्त विभाग इसको कहां ले गया, कैसे इसकी अदायगी होगी ?

दूसरे मैंने पुस्तिका में देखा कि 17 करोड़ के लगभग कैसे है जो यह सालाना लगता है परचेज टैक्स के रूप में। अब आप देखें कि 1975-76 में जो वास्तविक आंकड़े हैं 17 करोड़ 97 लाख रुपया है यानी करीब 18 करोड़ रुपया तो इस साल कैसे 17 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया जा रहा है। 18 करोड़ रुपए का अनुमान 1975-76 में हो गया, वर्ष 1976-77 में एक्चुअल अनुमान कहीं ज्यादा हुआ होगा ऐसी मेरी आशा है तो कम से कम जो एस्टीमेट होता इस साल वह 17 करोड़ से अधिक होता। क्यों यह फाइनेन्स विभाग या गन्ना विभाग इस रकम को कम दिखा रहा है ? इसलिए तो नहीं दिखा रहा है कि खर्चा कम दिखायें ? मैं जानना चाहूंगा इसको बतायें।

इसके साथ मैं मंत्रियों के सामने यह मांग रखना चाहता हूं कि जो डुअल पालिसी है चीनी की वह बन्द की जाय। एक बाजार में और एक दूसरे ढंग से दी जाय, लेवी प्राइस और एक ओपेन प्राइस यह नहीं चलने वाला है। इसी से किसान परेशान है। एक समय जरूरत थी, 67-68 में, लेकिन अब 10 वर्ष हो गए, उसकी अब जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है कि 121 रुपया 66 पैसे क्विन्टल की चीनी पर एक्साइज ड्यूटी है केवल 24 रुपया। (व्यवधान) इनको बैठाइए, मैं अधिष्ठाता नहीं हूं, क्योंकि मेरे समय में से लेंगे, नहीं तो मैं कहता कि इनको उठाया जाय। तो 24 रुपया यह लेवी वाली प्राइस है। 24 और 121 का पड़ता लगायें और सब पर लगाया जाय और उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार से साफ-साफ कहे कि जो एक्साइज ड्यूटी 121 रुपए की लेते हैं जिसमें से हमें कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ सेल्स टैक्स देते हैं तो उसको न दीजिए। हम उसी में से अधिक से अधिक गन्ने के दाम किसानों को देंगे। अगर 121 रुपया भारत सरकार न ले तो निश्चत तौर से जो 18 रुपया की मांग है वह कार्यान्वित हो जायगी और उत्तर प्रदेश में किसान लाभान्वित हो जायगा।

आज हालत यह है कि गन्ना विकास के नाम पर 17 करोड़ रुपया आपकी नीधि में जायगा इस साल। खर्चा देखा जाय कि कितना खर्चा करते हैं विकास पर, कितना खर्चा करेंगे सड़कों पर, कितना करेंगे अनुसंधान पर, तो मैंने कुल जो देखा तो मेरी तुच्छ बुद्धि में यह लगा कि इन्होंने लिखा है कि लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त कुल 3.77 लाख और उसमें भी 6 करोड़ ले गये हैं। अगर इनकी आमदनी मोटे हिसाब से 17 करोड़ है और खर्चा करेंगे 9 करोड़ तो यहां के किसानों की आमदनी लेकर खर्चा करेंगे और जगह। अब इनसे पूछा जाय कि ऐसे गन्ने का विकास होगा ? ऐसे नहीं हो सकता। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच गन्ने का विकास करना है, केवल चीनी का नहीं, क्योंकि 50 प्रतिशत गुड़ बनता है, 50 से 53 प्रतिशत बनता है और चीनी 33 से 35 प्रतिशत बनती है और 20 प्रतिशत और कामों में चला जाता है, बीज इत्यादि में, तो उत्तर प्रदेश में जरूरी है कि गुड़ भी अच्छा बने, उसमें राहत हो, उसके सेन्टर खोले जायं। भूतपूर्व सरकार ने कुछ किया था और नए ढंग से गुड़ बनवा करके उसके एक्सपोर्ट की बात थी। यदि यह मांग कोई करता है कि बैन हो तो यह हित में नहीं है। यहां अच्छी से अच्छी चीनी और

अच्छे से अच्छा गुड़ बने। दुर्भाग्य की बात है कि यहां की तुलना में महाराष्ट्र को लीजिए, आंध्र को ले लीजिए, तामिल नाडु को लीजिए। यहां तो साढ़े नौ फीसदी शुक्रोज कन्टेंट मिलता है लेकिन वहां उन प्रदेशों में 11, 12, साढ़े 12 प्रतिशत चीनी मिलती है। क्यों यह औसत ज्यादा है ? क्या हमारा प्रान्त खराब है ? क्या हमारी खेती खराब है ? कुछ कारण हैं। एक तो अनुसन्धान का कारण है। नए किस्म के बीज, नयी व्यवस्था, नयी चीजें ठीक से नहीं दी जा रही हैं। विभाग के कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, पैसा उनको नहीं दिया जा रहा है और पिछले साल की बात है मैं जानता हूं, इसके बाद की बात मैं बता रहा हूं कि किसानों ने खेत बोए, बिना पानी के रह गए, सूख गए। क्यों ? क्योंकि बिजली विभाग ने उनको बिजली नहीं दिया, सिंचाई विभाग ने पानी नहीं दिया। इसलिए एक इन्टीग्रेटेड प्लानिंग करनी होगी और गन्ना विभाग, सिंचाई विभाग और बिजली विभाग को कदम-बकदम मिला कर चलना होगा। इसीलिए पुरानी सरकार ने एक योजना बनायी थी जिसको मैं फिर दोहराता हूं और मांग करता हूं कि उसको कार्यान्वित किया जाय। वह योजना यह थी कि जो चीनी मिलें डेफिसिट में चल रही हैं उनके चारों तरफ 25-30 किलोमीटर के घेरे में अधिक से अधिक ट्यूबवेल कुयें बनवाए जायं। मैं भी एक इलाके से आता हूं। औराई चीनी मिल, वाराणसी थोड़े घाटे में है। मैं समझता हूं इस साल वह ठीक हो जाएगी ऐसी मेरी आशा है। पिछले साल 50 ट्यूबवेल अतिरिक्त लगाए जाने की वहां बात थी जिसमें से 10 लगे, 40 नहीं लगे। अब सुनते हैं कि वह 40 नहीं लगेंगे क्योंकि पिछली सरकार ने जो कुछ किया वह नहीं किया जायगा। तो ठीक है, वह 40 लगवा दीजिए और इस साल 50 और अतिरिक्त लगवा दीजिए। ऐसे ही और जगहों में लगवा दीजिए।

मैं एक जगह की बात कर रहा हूं इसलिए कि मेरी जानकारी है। मैंने महाराष्ट्र में अहमदनगर में जा कर देखा वहां की फैक्टरी को लाभ है। यहां तो अगर देखिए तो चीनी मिलों से रुपए में लाभ केवल भारत सरकार को है और किसी को नहीं। उसके बाद अगर किसी को फायदा है तो उत्तर प्रदेश सरकार को है। और सब से कम फायदा यहां के किसानों को है। लेकिन फिर भी वे यह खेती क्यों करते हैं क्योंकि गेहूं और चावल के मुकाबले उसे परता इसमें ज्यादा आता है। इसलिए आवश्यक हो गया है कि इसके विकास पर जोर दिया जाय। और अब तो नयी जनता सरकार नयी आशायें ले कर आयी है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये नए आसमान में नयी दिशा देंगे और उस स्वर्ग को जमीन पर ला देंगे जिसको ये मैनिफेस्टों में लाये थे और यह नहीं कहेंगे कि तिवारी मन्त्रि-मन्डल ने नहीं किया। नहीं किया, तभी तो यहां आ गए। आप नहीं करेंगे तो आप भी यहां आ जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री राम गोबिन का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला खीरी)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या आपके पास कोई सूची है जिससे आप बुला रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठिए। मेरे पास जितनी सूचना है उसके आधार पर काम कर रहा हूं। आप बैठिए। (व्यवधान) सभी माननीय सदस्यों को एक साथ समय नहीं मिल सकता है। माननीय सदस्य धीरज रखें, सबको समय मिलेगा। बारी बारी से। श्री राम गोबिन।

श्री राम गोबिन (जिला बलिया)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने गन्ना विकास योजना के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहने का अवसर दिया है। मैं गन्ना विकास योजनाओं के सम्बन्ध में इस प्रदेश के सबसे पिछड़े जिले बलिया की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ऐसा मालूम होता है कि जितनी भी विकास योजनायें हैं बलिया जिले की चौहद्दी पर इतनी कड़ी निगरानी कर दी गयी है कि कोई भी विकास योजना उस जिले में प्रवेश न कर पाए। गन्ना विकास योजना में यह लिखा गया है कि गन्ने के विकास के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जायगी। पिछले साल शासन ने आदेश दिया था कि बलिया जिले में रसड़ा चीनी मिल जो है, वह 40 ट्यूबवेल गन्ने की उपज को बढ़ाने के लिए गन्ना क्षेत्र में लगाए। सरकार ट्यूबवेल देगी। महोदय, दो साल बीत गए चीनी मिल के द्वारा एक भी ट्यूबवेल आज तक बलिया जनपद में नहीं लगाए गए। दूसरी बात यह कि गन्ने को, गन्ने के खेत से चीनी मिल तक ले जाने के लिए चीनी मिल द्वारा व्यवस्था नहीं की गयी है। आज तक एक भी सड़क, एक फर्लांग तक भी गन्ना विकास के अन्तर्गत या चीनी मिल के द्वारा नहीं बनाई गयी है। किसानों को अपना गन्ना चीनी मिल तक ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरे यह जो दिखलाया गया है कि गन्ने का प्रचार कार्य जो है बड़ी तेजी से किया जाता है गांवों में सभाओं के द्वारा गन्ने की बोआई, गन्ने के उन्नत बीज का प्रचार करके गन्ने का विकास किया जाता है, ऐसा कोई कार्य बलिया जिले में नहीं किया गया है, न तो मैंने देखा ही है। एक भी व्यक्ति बलिया जनपद में इसके विकास के प्रचार के लिए आज तक नहीं आया है। बलिया जिले में गन्ने की खेती अत्यधिक होती है। वहां के किसान गन्ने की खेती पर निर्भर रहते हैं। चीनी मिल ने भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि वहां के किसान चीनी मिल तक अपना गन्ना पहुंचा सकें। जितनी चीनी मिल के क्रेशर लगाये गए थे, उनको बन्द करा दिया गया और उन पर मुकदमा भी चलाया गया।

मान्यवर, वहां के किसान गुड़ बनाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी सरकार की तरफ से गुड़ की मन्डी की व्यवस्था नहीं है। वहां के किसान सबसे सस्ते दर पर बलिया जनपद को गुड़ बेचते हैं। जहां तक खाद के वितरण की व्यवस्था है, पारसाल बलिया जनपद में गन्ना विकास के अन्तर्गत खाद की व्यवस्था की गयी थी, लेकिन दुःख इस बात का है कि बलिया जनपद एक तरफ से गंगा नदी से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ घाघरा से। मान्यवर, गन्ना के अधिकारियों ने खाद की बोरियों को बिहार में बेंच किया और वहां के किसान खाद के बगैर तरसते रहे। उनकी जो गन्ने की फसल थी खाद के अभाव में नष्ट हो गयी। मई और जून के महीने में बिजली के अभाव में न तो नहर ने पानी दिया और न ट्यूबवेल ही चल सके। ट्यूबवेल एवं नहर के अधिकारियों ने बलिया जनपद के तमाम क्षेत्रों में पड़ताल किया है और गन्ने की खेती पर लगान रख दिया है जब कि सही बात यह है कि एक भी किसान ने एक दिन न तो नहर से न तो ट्यूबवेल से पानी लिया है और पानी

के अभाव में वहां की गन्ने की फसल बिल्कुल नष्ट हो गयी है। मैं आपके माध्यम से माननीय गन्ना विकास मन्त्री महोदया से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपनी विकास योजनाओं से थोड़ा बलिया जनपद की तरफ भी बढ़ावें, ताकि वहां के पिछड़े किसान, वहां के गरीब लोग जिनकी खेती गन्ना ही है, उससे लाभान्वित हों और अपना विकास कर सकें। बलिया जनपद में बहुत ही गन्ने की खेती होती है। वहां पर एक छोटी चीनी मिल रसड़ा में है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वहां पर सिकन्दरपुर केन्द्र में एक और चीनी मिल लगा दी जाय, जिससे वहां के किसान चीनी मिल से लाभान्वित हों और अपने गन्ने को चीनी मिल में देकर लाभ उठावें। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि बलिया जिले में विकास के लिए चीनी मिलों तक गन्ना पहुंचाने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाय। खाद की जो व्यवस्था है, जो ब्लैक कर दी जाती है, उस पर कन्ट्रोल किया जाय। इसके अलावा नहर और ट्यूबवेल विभाग ने किसानों पर लगान लगा दिया है। मैं गन्ना विकास मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इसका निरीक्षण करावें, इसकी जांच करावें, विभागीय अधिकारियों को आदेश दें कि यह जो गलत लगान लगा दिया गया है, उसको तत्काल माफ किया जाय।

श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मेरी मान्यता है कि हमारे उत्तर प्रदेश का किसान जो गन्ना पैदा करता है, चीनी मिल के लिए कच्चा माल तैयार करता है, मिल में काम करने वाला मजदूर और पूरे उत्तर प्रदेश के 9 करोड़ लोगों में से काफी लोग जो उपभोक्ता हैं, उनका हित इस चीनी उद्योग से इतना सीधा जुड़ा हुआ है कि मैं यह कह सकता हूं कि जब तक इन चीनी मिलों का समाजीकरण नहीं किया जायगा तब तक समस्या का निदान बहुत मुश्किल है। मैं यह नहीं कहता कि सारी समस्यायें जो चीनी उद्योग से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के किसान के हित से जुड़ी हुई है और उपभोक्ता से जुड़ी हुई हैं, वह सारी समाजीकरण करने से दूर हो जायंगीं। लेकिन बहुत हद तक दूर होंगी इसमें कोई सन्देह नहीं है। आज तक इन चीनी मिलों के समाजीकरण के सवाल को लेकर पिछले कई वर्षों तक एक तूफान सा मचा रहा है कांग्रेस की ढुलमुल नीतियों के कारण यह और जरूरी हो गया है, क्योंकि चीनी मिलों के जो मालिक हैं वह किसी भी हालत में किसानों के हित की तरफ नहीं चलना चाहते हैं, दूसरा सवाल जिससे हमारे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गन्ना विकास मन्त्री ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस पुस्तिका में क्रेशरों के बारे में कहा गया लेकिन बहुत कम। पश्चिमी जिलों के जो 15-20 जिले हैं और मध्य के जिलों में जहां खांड़सारी उद्योग है, क्रेशर हैं उनका भी बड़ा भारी महत्व है।

जनता पार्टी की नीतियों के नाते यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे उद्योग धंधे खोले जायं जिससे उत्तर प्रदेश में जो रोजगार की समस्या है, उसका निराकरण हो सके और लोगों को रोजगार मिल सके। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पश्चिमी जिलों में क्रेशर बहुत बड़े पैमाने पर चलते हैं और लोगों को रोजगार मिलता है। इस उद्योग के बारे में जो अब तक की नीति रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार की यह नीति रही है कि यह उद्योग खत्म हो जायं, इस उद्योग की उपयोगिता है, यह बात इनके दिमाग में नहीं आती। लेकिन जनता पार्टी के दिमाग में इस उद्योग की उपयोगिता है। जैसे सरकार

[श्री रमा शंकर कौशिक--]

ने कहा है कि 5 मील और 8 मील के इलाके में, जहां साढ़े 12 हजार क्विन्टल गन्ना पेरा जाता है, वहां क्रेशर लगाने की उदार नीति अपनायी जायगी। तब इस उद्योग के बारे में हमको काफी गम्भीरता के साथ सोचना चाहिए। चूंकि हमारे जिले में आधे से ज्यादा गन्ने की पेराई क्रेशर करते हैं और आधे से कम गन्ने की पेराई चीनी मिल करती हैं। इसलिए चीनी मिल जहां 100 क्विन्टल गन्ने से 85 क्विन्टल रस निकालती हैं, वहां क्रेशर उद्योग 100 क्विन्टल गन्ने से 65 क्विन्टल रस निकालता हैं। चीनी मिल साढ़े 9 परसेन्ट रिकवरी देती है वहां क्रेशर साढ़े 7 परसेन्ट रिकवरी देते हैं। इससे हमारी हानि होती है, लेकिन हमको रोजगार देना है इसलिए इसको पनपाना जरूरी है। इसके लिए कोई अनुसन्धान की व्यवस्था आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं सोची। खेद है कि कोई ऐसी टेक्निक का विकास नहीं हो सका है कि जो हमारे ऐसे रोजगार हैं, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे लाखों लोगों की रोजी रोटी का सवाल जुड़ा हुआ है जिसमें हमारे प्रदेश की तरक्की का सवाल जुड़ा है, उन उद्योगों के लिए क्या हम ऐसी तकनीक का विकास नहीं कर सकते हैं जिसमें कि हमारे उद्योग और हमारी राष्ट्रीय आय को हानि न हो? ऐसी कोई व्यवस्था आज तक की सरकार ने नहीं की। इसलिए मैं अपनी सरकार से उपेक्षा करता हूं कि जैसे चीनी मिलों के लिए बड़ी-बड़ी रिसर्च इन्स्टीट्यूट बनी हुई है उसी ढंग से इस उद्योग के लिए शोध संस्थान होनी चाहिए। जो ऐसी तकनीक का विकास कर सकें जिसके जरिए हमारे उद्योग बढ़े और जो राष्ट्रीय आय का नुकसान हो रहा है वह भी बचे। श्रीमन्, जिस प्रकार कांग्रेस की नीति रही है कि छोटों को खत्म, बड़ों को बढ़ाओं नीति का बनाए रखना, उसको कांग्रेस पार्टी ने अपना धर्म समझा। इससे बड़ी-बड़ी यूनिटें जो हैं वह तरक्की करती चली जा रही हैं और जो छोटी यूनिटें हैं वह घटती चली जा रही हैं।

श्रीमन्, बिजनौर में 2-4 साल पहले 1200 यूनिटें क्रशर की काम करती थीं लेकिन आज 450 रह गयी हैं। मुरादाबाद में 650 यूनिटें थीं जो आज 350 रह गयी हैं। इसका कारण है कि कांग्रेस पार्टी की नीति हर मामले में बड़े लोगों की तरक्की या सुविधा देने की रही है और उसी ढंग से छोटे उद्योगों को पनपाने की नीति नहीं रही है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि वह जो छोटे उद्योग हैं, जिनमें 11 नम्बर के नीचे की इकाइयां हैं, उनकी नीति के बारे में हमें गम्भीरता से सोचना चाहिए। परचेज टैक्स के मामले में सारी यूनिटों के साथ एक सी नीति है। एक-एक महीने का परचेज टैक्स अग्रिम लिया जाता है। तो जो बड़ी यूनिटें हैं जिनके 3-4 यूनिटें हैं वह यह टैक्स दे सकते हैं लेकिन जो छोटी पूंजी लगाने वाले हैं, जो अपने गन्ने के साथ-साथ सिर्फ पड़ोसी का गन्ना पेरना चाहते हैं इस नीति के चलते कि एक महीने का परचेज टैक्स एडवान्स में देना पड़ेगा वह नहीं दे सकता है और उसको अपनी यूनिट बन्द करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार ऐसी नीति अपनाएं कि जो 11 नम्बर से नीचे की इकाइयां हैं उन पर एक महीने की जगह एक हफ्ता का एडवान्स परचेज टैक्स लगाया जाय। इस तरह आपके राजस्व पर फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन छोटी इकाइयों को फायदा जरूर होगा। इस तरह मान्यवर, परचेज टैक्स के मामले में जो छोटी इकाइयां हैं उनको एक महीने की जगह एक हफ्ता का एडवान्स रखा जाय। इसके साथ ही साथ मान्यवर, छोटी

इकाइयां हिसाब किताब रखने में सक्षम नहीं हैं। उनके वहां कोई मुनीम नहीं होता है। वह खेती भी करते हैं और अपनी इकाइयों पर भी जाते हैं और पेराई शुरू करते हैं। नतीजा यह होता है कि उसके पास कोई हिसाब-किताब नहीं होता है। इसलिए जब परचेज टैक्स लगाने की बात आती है तो इन्सपेक्टर टैक्स लगाता है। तो वह जितनी क्षमता इकाई की होती है उसकी सम्पूर्ण क्षमता पर टैक्स लगा देता है। बड़ी-बड़ी यूनिटें हिसाब रखती हैं क्योंकि उनके पास इतनी आय होती है कि वह हिसाब रख सकते हैं। लेकिन छोटी यूनिटें हिसाब नहीं रखती हैं। इसलिए इन्सपेक्टर इकाई की सम्पूर्ण क्षमता पर टैक्स लगाता है। इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि छोटी इकाइयों पर टैक्स की धनराशि निश्चित कर दी जाय ताकि छोटी इकाइयों के चलाने वाले, हिसाब न रख पाने के कारण, अनुचित टैक्स से बच सकें।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह गन्ने की खेती प्रदेश के लगभग 50 प्रतिशत से अधिक जिलों में होती है। मेरे क्षेत्र खीरी में चार मिलें हैं और दो और स्वीकृत होने वाली हैं। मैं गन्ना विकास मन्त्री जी से चाहूंगा कि वह स्पष्ट घोषणा करें कि जो मिल विलरायां में स्वीकृत पड़ी है और लाइसेन्स भी मिल चुका है वह चालू कर देंगी। गन्ने का सीजन नवम्बर से शुरू हो जाता है। अधिकतर चीनी मिलें अपना सीजन 1 नवम्बर से चलायेंगी और क्रशिंग शुरू हो जायगी। जो डेफर्ड पेमेन्ट का रुपया और गन्ने की कीमत का बकाया मिलों पर किसानों का पड़ा है, उसके बारे में भी मन्त्री जी अपनी स्पष्ट घोषणा करें कि उनका यह पैसा अगले सीजन से पहले उनको मिल जायगा। 30 अक्तूबर तक यह पैसा किसानों को मिल जाना चाहिये, यह मेरा निवेदन है। मान्यवर, गन्ने के क्षेत्र में जो विकास कार्य होते हैं उसकी ऐसी योजना है कि 1/3 गन्ना सोसायटी, 1/3 मिल और 1/3 राज्य सरकार देती है जिससे पुलियों और सड़कों का निर्माण होता है। लेकिन मेरी जानकारी है कि यह रुपया खर्च नहीं होता है। हमारे यहां मेरा सहकारी गन्ना समिति है। 1973-74 में कई रोड्स और पुलियां स्वीकृत हुई थीं और पैसा भी स्वीकृत हुआ था। उस समय से अब ईंट और सीमेन्ट की कुछ प्राइस बढ़ गयी है। मेरा निवेदन है कि जो विकास कार्य इस तरह से स्वीकृत हैं और रुपया भी स्वीकृत है, उनको पूरा कराया जाना चाहिए।

एक बात यह है कि गन्ना सहकारी समितियों और विकास परिषदों के चुनाव कई वर्षों से नहीं हुए। जहां यह सरकार और दूसरे चुनाव कराने जा रही है वहां इन समितियों के चुनाव भी शीघ्र करा दिए जायं जिससे कि इनका कार्य अच्छी तरह से चल सके। गन्ना सहकारी समितियां चाहे गन्ना क्षेत्रों में हों या जो यहां केन फेडरेशन है उसमें हरिजनों का जितना संरक्षण होना चाहिए वह नहीं है। मेरी जानकारी है कि कई गन्ना समितियों में एक या दो लिपिक हैं और उनको भी सीजनल कह कर हटाया जा रहा है। इस तरफ भी मन्त्री जी को ध्यान देना चाहिए। एक हरिजन डाइरेक्टर भी बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में होना चाहिए। मान्यवर, कई गन्ना सोसाइटीज में बहुत भ्रष्टाचार है। किसानों के पट्टे फर्जी होते हैं। जिनके पास एक डिसमिल भी जमीन नहीं है वह 25 रुपए फी बैलगाड़ी

[श्री जगन्नाथ प्रसाद--]

और 150 रुपया के ठेले के हिसाब से बेचते हैं। और इस तरह से छोटे कर्मचारी ज्यादातर वे कर्मचारी जो स्थानीय हैं, लाभ उठाते हैं और लाखों रुपया पैदा कर लेते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जो नए गन्ना कमिश्नर आए हैं, वे एक उच्च कोटि के अधिकारी हैं और बहुत ही ईमानदार अधिकारी रहे हैं जहां कहीं भी वे रहे हैं। इस पर अब उन्होंने ध्यान दिया है। दो तीन स्क्वेड भेज कर भ्रष्टाचार की जांच करायी और गन्ना कर्मचारियों को दन्डित कराया। सरकार ने घोषणा की है कि जो सहकारी गन्ना मिल हैं उनके लिए एडवाइजरी कमेटी बनायी जा रही है जिसमें क्षेत्रीय विधायक को भी रखेंगे। लेकिन जो व्यक्तिगत फैक्टरीज, बड़े-बड़े मिल मालिकों की हैं, सरमाएदारों की हैं, उनके लिए इसमें कोई प्राविजन नहीं किया है। मेरा सुझाव है कि मिलों के संचालन में मन्त्री जी इस तरफ ध्यान रखें और क्षेत्रीय विधायक हैं या नान आफिशियल हैं जो अभी तक नहीं रखे जाते हैं उनको भी स्थान दें जिससे गन्ना का कार्य वे देख सकें। इसके साथ ही साथ जिस तरह से एडवाइजरी कमेटी की घोषणा उन्होंने की है उसी तरह की घोषणा वह जो निजी मालिकों की मिलें हैं उनके लिए भी अवश्य करें। इसके साथ मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि जो छोटे गन्ना काश्तकार हैं जिनके पास एक बीघा या एक एकड़ या उससे कम की आराजी है जिसमें गन्ना है, उनको भी वह पूरी सीजन चलाते रहते हैं। जिससे उन्हें बहुत इन्तजार करना पड़ता है ऐसा कभी नहीं हुआ है लेकिन मेरा सुझाव है कि जो नए गन्ना आयुक्त आए हैं वे इस तरफ ध्यान देंगे कि छोटे काश्तकार का गन्ना प्राथमिकता के आधार पर लगे।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया। एक मिनट में समाप्त करें।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

मान्यवर, मैं आशा करूंगा कि मन्त्री जी मेरे सुझावों के बारे में स्पष्ट घोषणा करेंगी। जो रुपया मिल के पास डेफर्ड प्राइस और जो गन्ने की कीमत का पड़ा है उसकी अदायगी के बारे में, जो नई मिलें हैं वह चालू कर देंगे, दो मिलें हैं खीरी जिले में जिनको एक का लाइसेन्स नहीं मिला है, हरिजनों के लिए 18 फीसदी संरक्षण गन्ना समिति में रखें और एडवाइजरी कमेटी के बारे में मुझे आशा है कि मन्त्री जी इन सब सुझावों पर स्पष्ट घोषणा करेंगी। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गन्ना विकास अनुदान पर बोलने का मौका दिया।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल भू-भाग जनपद, गोरखपुर सिसवा भाग नेपाल के समीप स्थित है। उस क्षेत्र के गन्ने के बारे में क्या कठिनाई है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। हमारे काश्तकारों द्वारा उत्पादित गन्ना अपने प्रदेश के अपनी चीनी मिलों द्वारा क्रश न हो कर नैपाल को सीधा जाया करता है। इसका क्या कारण है? मान्यवर, हमारे गोरखपुर जनपद के समीप जो निचौला ब्लाक है उसी ब्लाक में खांडसारी मिल की एक योजना बनायी गयी। उस खांडसारी मिल की क्षमता इतनी कम है कि वह जितना गन्ना काश्तकार उत्पादित करता

है खांडसारी मिल के बावजूद वह क्रश नहीं हो पाती है। इसका परिणाम यह होता है कि ऊंचे दामों पर वहां का गन्ना नैपाल खरीदता है। सरकारी व्यवस्था की कमी के कारण सीधा नैपाल को चला जाया करता है। उस पर कोई रोक-टोक नहीं है और इस तरह राष्ट्र का नुकसान होता है। इसका विशेष कारण यह है कि गन्ना काश्तकार दो फसलें समाप्त करके कड़ी मेहनत व मशक्कत से गन्ने की फसल तैयार करता है लेकिन उसी क्षेत्र में गेहूं के भूसे के मूल्य तथा गन्ने के मूल्य में भारी अन्तर होता है। जहां भूसे का रेट 16 रुपए क्विन्टल है वहां गन्ने की कीमत 12 रुपया 25 पैसे है। भूतपूर्व शासन ने जिस समय चीनी रेट 1 रु0 21 पैसे पर किलो निर्धारित किया था तो गन्ने के दाम दो रुपए 25 पैसे प्रति 37 किलो थे। इस तरह 5 रुपए 75 पैसे प्रति क्विन्टल आज पड़ा, उसी रेशियो में गन्ने के दाम बनते हैं और अगर इसी मूल्य को तिगुना कर दिया जाय तो 20 रुपए क्विन्टल गन्ने का दाम निर्धारित किया जाना चाहिए। लेकिन शासन का ध्यान काश्तकारों के हित की ओर न जा कर मिल मालिकों के हित की ओर जा रहा है। गन्ने के काश्तकारों के हित में सिंचाई, बीज व खाद की व्यवस्था के सम्बन्ध में जो नीति निर्धारित है, वह गन्ने के किसानों के लिए हानिकारक है जो गन्ना काश्तकार सीधे केन यूनियन से ऋण लेता है, उसकी दर बहुत ज्यादा है। काश्तकार गन्ना जिस दिन से मिल को देता है उस दिन से ब्याज पाने का हक उसे नहीं है लेकिन जिस दिन से वह केन यूनियन से खाद ऋण के रूप में लेता है उस दिन से उस पर ब्याज बनता है,उसे उसी दिन से देना पड़ता है। फिर सदन का ध्यान मैं इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि केन यूनियन्स की ब्याज दर 14 परसेन्ट है जब कि बैंक से उनको रुपया 7-8 परसेन्ट पर मिलता है। मेरा सुझाव है कि जिस रेट पर केन यूनियन्स को बैंक से रुपया मिलता है उसी ब्याज की दर पर उनको खाद मिलना चाहिए। हमारे पिछड़े हुए एरिया की मुख्य पैदावार गन्ना ही है। उस ओर विशेष ध्यान दे कर गन्ने की कीमत बढ़ाई जाय। फिर मिल तक गन्ना ले जाने के लिए कोई सड़क पक्की नहीं है, कई-कई मील तक सड़क की व्यवस्था नहीं है, होनी चाहिए। इसके अलावा हर साल सरकारी कर्मचारियों की सांठ-गांठ से केन यूनियन के अन्दर हजारों रुपए का गबन होता है। इसके अलावा लाखों रुपया हमारी मिल पर बकाया पड़ा हुआ है काश्तकारों का उतना बकाया किसी भी मिल पर नहीं होगा। गत वर्ष 33 लाख रुपया बकाया था और इस साल 7 लाख बकाया है।काश्तकारों पर अगर बकाया होता है तो उनकी कुर्की होती है, उनको बन्द करके वसूली की जाती है लेकिन काश्तकारों का जो बकाया मिलों पर है, उसकी वसूली के लिए शासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। मिलों पर भी जो बकाया काश्तकारों का है उसकी वसूली के लिए भी शासन को वही कार्यवाही करनी चाहिए जो वह काश्तकारों पर रुपया बकाया होता है तो करती है।

मैं शासन का ध्यान इस बात की ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि काश्तकारों के लिए सिंचाई, बीज तथा खाद की जो दर आज है, उससे इस समय महंगाई है। इस समय सरकार ने जो खाद, बीज का दाम निर्धारित किया है इन दोनों के अनुपात में ही सरकार को गन्ने का मूल्य निर्धारित करना चाहिए और अगर सरकार ने काश्तकारों के लिए ये सुविधायें, उपलब्ध नहीं कराई तो मैं जोरदार शब्दों में कहूंगा कि गन्ने के उत्पादकों का सारा गन्ना प्रति वर्ष जो होता है, वह नैपाल चला जायगा और सरकार की नीति फेल हो जायगी।

[श्री शारदा प्रसाद जायसवाल]

यदि सरकार ने गन्ने के बकाए मूल्य को काश्तकारों को नहीं दिलाया तो काश्तकारों की जो आस्था सरकार के प्रति है, वह खत्म हो जाएगी और दिन-प्रति-दिन उसका असन्तोष बढ़ता जायगा। माननीय सदस्य, श्यामधर जी ने गन्ने के रेट तथा खाद व्यवस्था की बारे में जो बातें कहीं और जिस नीति निर्धारण की बात कहीं, मैं उनको याद दिलाऊंगा कि विरोधी दल का जब प्रशासन था उस समय न बिजली थी, न खाद थी और सरकार की मिल मालिकों से साठ-गांठ थी। हमारे पूर्वी क्षेत्र जनपद, गोरखपुर की ओर गन्ने के किसानों की समस्या की ओर ध्यान दिलाते हुए सरकार से मैं यह निवेदन करूंगा कि गन्ने का मूल्य 20 रुपए क्विन्टल से कम न रखा जाय और काश्तकारों का जो बकाया है, वह उनको दिलाया जाय।

श्री रामनरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)--

अधिष्ठाता महोदय, हम आपके आभारी हैं, जो आज मन्त्री जी ने जो गन्ने के प्रजनन करने और चीनी व्यवसाय के लिए जो अपना बजट पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं बदकिस्मती है कि वहां का किसान सबसे बढ़िया गन्ना पैदा करने वाला है लेकिन वहां कोई चीनी मिल नहीं है। 8 चीनी मिलों को वहां के गन्ने की सप्लाई होती है तमकुही रोड, कठकुइयां, पडरौना, देवरिया, रामकोला आदि को वहां से गन्ना सप्लाई होता है। इसलिए मेरी मांग है कि वहां पर एक कोआपरेटिव शुगर मिल खोली जाय जिससे वहां की जनता का कल्याण हो सके।

दूसरी वहां की समस्या यह है कि इतनी चीनी मिलों के होने के बावजूद वह इलाका काल के गाल में समाया रहता है, वहां सड़कें नहीं हैं। वहां जो इन मिलों से आमदनी होती है वह टैक्स के रूप में केन्द्र को चली जाती है। हमारा सुझाव है कि दो चार छ: साल तक जो रकम टैक्स के रूप में वसूल होती है वह वहां पर सड़कों के निर्माण पर खर्च कर दी जाय जिससे कि उस पिछड़े हुए इलाके के अन्दर लिंक रोड बन सकें। इससे बहुत बड़ा कल्याण वहां का होगा। क्योंकि इस किताब में लिखा है कि सड़कें न होने से गन्ने के पर्ते में कमी आ जाती है। गन्ने के ट्रांसपोर्ट में अगर विलम्ब होता है तो उसमें कमी आ ही जाती है। इसलिए ट्रान्सपोर्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए।

हमारे सेवरही क्षेत्र में एक गन्ना अनुसंधान केन्द्र लग रहा है। यह बड़ी खुशी की बात है इतना बड़ा केन्द्र उत्तर भारत में चाहे शाहजहांपुर हो या दूसरे प्रजनन केन्द्र हों, उनमें सबसे बड़ा यह होगा। इसके लिए हम आभारी हैं कि यह बहुत बड़ा काम वहां हुआ है। उससे पूरे भारत के गन्ने की नस्ल सुधारने का काम होगा, इससे किसानों को अच्छा बीज मिलेगा। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि वहां पर एक करोड़ रुपया का गन्ने का प्रजनन केन्द्र लगेगा लेकिन उसका बनना आज भी शुरू नहीं हुआ है। 90 लाख रुपए से बनने वाली इमारत बननी शुरू हो जाय तो इससे काश्तकारों को बहुत फायदा होगा। गरीब मजदूर को रोटी भी मिल सकेगी। वहां पर अभी इमारत की ठीक व्यवस्था नहीं हो पा रही है। किराए के मकान में इस वक्त व्यवस्था चल रही है। इसलिए हमारी गन्ना मन्त्री जी से प्रार्थना है कि वह इस ओर ध्यान दें।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि कि सान काजो गन्ना पैदा होता है उसमें बड़े काश्तकारों का गन्ना तो पहले सप्लाई हो जाता है और छोटे काश्तकारों का देर में।

तो पर्ची की व्यवस्था कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि सारा तखमीना लगा लिया जाय और जितने गन्ने के उत्पादन है, उसमें जो छोटे काश्तकार हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाय। पर्चियां इस तरह से लगाई जायं कि गन्ने की सप्लाई में विलम्ब न हो। नहीं तो बड़े लोग अपना हिसाब-किताब बैठा कर पहले सप्लाई करा लेते हैं। इस पर केन कमिश्नर को ध्यान देना चाहिए।

मान्यवर, सड़कों की व्यवस्था के बारे में मैंने कहा वहां पर स कें बिल्कुल नहीं हैं। इसलिए वहां पर अगर नहरों के किनारे जो पटरियां हैं उनको पक्का कर दिया जाय तो इससे भी समस्या हल हो सकती है। अगर काश्तकार को उसकी उपज का दाम नहीं मिलता है तो उसके मन में गिरावट आती है। मेरा सुझाव है कि जो गन्ना बोने वाले लोग हैं उनके मन को ऊंचा उठाने के लिए गन्ने के दाम बढ़ाने की घोषणा की जाय जिससे आने वाले सीजन में काश्तकार को ज्यादा कीमत मिल सके, उससे उसके मन में हौसला बढ़ेगा और वह उसकी प्रोड्यूस पर ज्यादा ध्यान देगा, किसान को अच्छा बीज मिलना चाहिए। खाद और पानी की तो बाद में बात आती है। आज सेवरही में जो अनुसन्धान केन्द्र खुला है, उसमें अच्छे तकनीशियनों, डाक्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए चाहे रुपए पैसे की बात हो या टेक्निकल आदमी देने की बात हो, उसका प्रबन्ध किया जाना चाहिए। अगर किसानों के लिए अच्छे बीज की व्यवस्था हो जाएगी तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा। अभी तक उसको अपनी उपज की कीमत ठीक नहीं मिलती है जिससे उसके मन में गिरावट आती है। आज लाखों रुपए काश्तकार का बाकी पड़ा हुआ है, इसमें कुछ ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि काश्तकारों का जो बाकी पड़ा है, उसको सूद के साथ वसूल किया जाय तब कहीं मिल मालिकों के दिमाग ठीक होंगे। जो मिल सरकार के नियन्त्रण में हैं उनके सम्बन्ध में आपसे कहना चाहता हूं कि वहां पर जो रिसीवर बैठाए गए हैं वह आई० ए० एस० और पी० सी० एस० लोग न हो बल्कि वह टैक्निकल आदमी हो जिसको गन्ने के बारे में पर्याप्त अनुभव हो। इससे यह फायदा होगा कि जो मिलें अभी घाटे में चल रही है वह मुनाफा दे सकती हैं, इससे शासन को भी फायदा होगा। मान्यवर, मैंने पहले ही कहा था कि मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर अच्छे से अच्छे प्रकार का गन्ना तो पैदा होता है लेकिन मिल कोई नहीं है, इसलिए मेरी मांग है कि वहां पर एक कोआपरेटिव मिल की आधारशिला अवश्य रखी जानी चाहिए। इससे किसानों की हौसला अफजाई होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

श्री जयराम (जिला गाजीपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से गन्ना मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जो ....

श्री अधिष्ठाता—

सदन में आप लोग शान्ति बनाए रखिए।

श्री जयराम—

गन्ना विकास का प्रस्ताव पेश किया गया है, इसमें जो किसानो की मुख्य कठिनाइयां जो गन्ना विकास में अभी तक हैं, उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

(श्री हरीसिंह के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय हरी सिंह जी, आप बैठें, बीच में खड़े मत हों।

श्री जयराम—

गन्ना उत्पादन में किसानों के सामने मुख्य कठिनाइयां खाद और बिजली की प ती हैं। फरवरी और मार्च में पूर्वी जिलों में फसलों के कटने के बाद जब किसानों के खेत खाली हो जाते हैं, तो अधिकांश किसान गन्ने की बुवाई की व्यवस्था करते हैं किन्तु उस समय खाद की भारी दिक्कत होती है। क्योंकि जो कोआपरेटिव सोसाइटियों के खा गोदाम हैं, उनके स्टाक की चेकिंग का भी वही समय होता है जिससे खाद वितरण का काम बिलकुल रुक जाता है। जब किसान खाद के लिए जाता है तो 15-15 व 20-20 दिन तक एक-एक गोदाम पर चेकिंग होती रहती है और वह खाद नहीं प्राप्त कर पाता है। इसके अलावा फसलों की तैयारी के बाद जब उसके सामने बेचने की बात आती है, तो जो गन्ना खरीद के द्र बनाए गए हैं, वहां पर किस तरह उन्हें रोजाना दौ ना प ता है, वह भी किसी से छिपा नहीं है। कुछ किसानों को महीनों दौ लगाने के बाद, दो-चार बार गन्ना वहां भेजने का मौका मिल पाता है। इस तरह से किसान के सामने काफी परेशानी उत्पन्न हो जाती है। गन्ना उत्पादन में किसान को कितने खर्च प ते हैं और उसकी कीमत किस तरह और कितनी कम निर्धारित की जाती है, वह भी सोचने की बात है। जो आपके सामने इसके पहले यह कहा गया है कि गन्ने की कीमत 14 रुपए क्विन्टल रखी जाए, उस पर निश्चय हो जाना चाहिए। अब जब गन्ने के कटने का समय आ रहा है तो इतने दिनों बाद भी इसकी कोई कीमत निर्धारित नहीं हो पायी है। गन्ने की पेराई के बाद जो खोई या खोय्या निकलता है, उसी की कीमत 12-14 रुपए क्विन्टल रहता है और शीरे की कीमत भी गन्ने की कीमत से कहीं ज्यादा प ती है। मैं चाहूंगा कि यदि आप किसान और गन्ना विकास के बारे में कुछ करना चाहते हैं तो किसानों की मुख्य समस्याओं की ओर ध्यान दें।

प्रदेश के पूर्वी जिलों का गरीब से गरीब किसान, चाहे वह कितना छोटा किसान हो, अपने जीवन की आवश्यक चीजों को खरीदने के लिए गन्ने की फसल ही बेचकर अपना काम चलाता है। शादी-ब्याह में कप ड़े या बीमारी में दवा आदि के लिए गन्ना ही कैश क्राप है, जिसको गरीब से गरीब किसान बेचता है। गन्ना बेचने के लिए नहीं है, तो वह अपना पेट काटकर गन्ने बेचकर अपनी जरूरत की पूर्ति करता है। जिस तरह से गन्ना किसानों की लूट हो रही है, वह ब ड़े खेद का विषय है। हमारे भाई जब विरोध पक्ष में बैठते थे तो बराबर किसानों को गन्ने की अच्छी कीमत देने के विषय को लेकर आन्दोलन चलाते थे, जितने भी वे आन्दोलन चलाते थे, गन्ना उनमें मुख्य रूप से रहता था। लेकिन आज उनकी सरकार बनी हुई है, फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। आज बहुत से भाई 18 रुपए की मांग कर रहे हैं, पता नहीं इन बातों पर हमारी सरकार ध्यान देगी या नहीं? पता नहीं जब वही भाई इधर की तरफ बैठते हैं तो उनकी सद्बुद्धि रहती है, उनके दिमाग में किसानों की समस्याएं रहती हैं, लेकिन वही लोग जब मन्त्री हो जाते हैं या उधर बैठने लगते हैं तो पता नहीं कहां उनकी समझदारी चली जाती है?

यहां जितने जनप्रतिनिधि हैं, उनमें 80 प्रतिशत किसान घरों के आए हुए हैं और 99 प्रतिशत प्रतिनिधि वह हैं जिनका सीधा सम्बन्ध किसानों से है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अन्दर किसानों की क्या स्थिति है, किसान की जिन्दगी कैसे चल रही है, इसके बारे में हम सदन में बहुत कुछ कहते भी हैं। यहां सरकार की कुछ घोषणाएं भी होती हैं। लेकिन पता नहीं किसान तक पहुंचने में उनका क्या हो जाता है, कौनसी बातें उत्पन्न हो जाती हैं? किसान की समस्याओं के बारे में यहां जो लच्छेदार शब्दों में हम लोगों की तकरीरें होती हैं, यहां हम किसानों की तकलीफों को रो रहे हैं, उनकी तरफ चाहे तिवारी जी की सरकार रही हो, 30 वर्षों से हम आजाद हैं, हमारी सरकारें हैं, उनके राज्य में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की चिता के ऊपर रोटी सेंक-सेंक करके हमारे मन्त्री, हमारे जन प्रतिनिधि तीस वर्षों से खाते चले आ रहे हैं, किसानों की क्या दशा है, यह हमको आपको कहना नहीं है। गन्ना कटने का अब समय आ रहा है। गन्ने की कीमत किसान को मिले, गन्ना उत्पादन करने में जो कठिनाइयां किसान को आती हैं, खाद और बीज की जो समस्यायें हैं, उनके लिए किसान को एडवान्स दिया जाय। अगर गन्ना किसानों पर बंदिश लगा रखी है कि चीनी मिल एरिया में क्रशर नहीं चल सकता है, तो गन्ना किसान को आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए एडवान्स जरूर दें। इतना कह कर मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किया है प्रदेश के विकास के लिए वह अनुदान की धनराशि कम है। उसे और बढ़ाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। मेरा आपके माध्यम से सरकार से एक निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में 135 गन्ना सहकारी समितियां हैं, जो 42 हजार गांवों में बिखरी हुई हैं, जिनसे 22 लाख किसान परिवारों का पालन पोषण होता है। उन परिवारों की समस्याओं की तरफ अगर ध्यान दिया जाय, तो यहां उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी हो सकती है। मैं उस जिले से चुन कर आया हूं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है। वहां एक तरफ घाघरा का कटान है। दूसरी तरफ बाढ़ और सूखा दोनों से पीड़ित क्षेत्र है। वहां पर गन्ना विकास का कोई काम नहीं हुआ है। वह शून्य सा है। उस क्षेत्र में गन्ने के विकास के लिए योजनायें चलाई जाएं और उस क्षेत्र का विकास किया जाए और किसानों को राहत दी जाए। मैं कहना चाहता हूं कि गन्ने का दाम जो दिया जा रहा है बहुत ही कम दिया जा रहा है। पहले यह परम्परा थी कि जितने रुपया मन चीनी उतने आने मन गन्ना का दाम होना चाहिए। उसी परम्परा के आधार पर गन्ने का दाम निर्धारित होता आ रहा था। आज चीनी का दाम बढ़ता चला जा रहा है लेकिन गन्ना का दाम घटता जा रहा है। मजदूरी और खाद बढ़ती जा रही है लेकिन गन्ने का दाम अपनी जगह पर है उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि गन्ने का दाम 18 रुपए प्रति क्विन्टल होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करे कि गन्ने का दाम 18 रुपए प्रति क्विन्टल होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए।

[श्री सुखपाल पाण्डेय]

मेरे एक साथी ने कहा कि जब लोग इधर बैठते हैं तो उनकी अक्ल दूसरी रहती है और जब शासन पक्ष में चले जाते हैं तो उनकी अक्ल दूसरी हो जाती है । माननीय अध्यक्ष महोदय के जो बायें बैठता है वह स्वतन्त्र होता है और जो दायें बैठता है वह अपने दायित्व से बंध जाता है और अधिक बोल नहीं पाता है। माननीय तिवारी जी इधर बैठते हैं वह स्वतन्त्र हैं अपनी बात को रखने के लिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक कमेटी बनायी जाए और राष्ट्रीयकरण चीनी मिलों का किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। मेरा सुझाव है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय और इसको शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाए।

आज चीनी मिलों पर 11 करोड़ 92 लाख रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। 5 करोड़ 2 लाख रुपया सरकार का बकाया है और करोड़ों रुपया मजदूरों का बकाया है। आज एक भी मिल मालिक हवालात में नहीं भेजा गया, अगर एक आदमी अपने खेत में नलकूप लगवाता है और रुपया नहीं अदा कर पाता है तो उसे हवालात में भेज दिया जाता है। और उसकी कुर्की हो जाती है। यह हमारी सरकार का दृष्टिकोण है। वही कहावत है कि दाढ़ी का एक नाऊ और मूंछ का दूसरा नाऊ। तो दो नीतियां नहीं होनी चाहिए। जो कानून गरीब के लिए हो वही कानून अमीर के लिए भी होना चाहिए। इसी प्रकार से गन्ने का दाम पूर्वी जिलों में दूसरा है और पश्चिमी जिले में दूसरा है। मैं चाहता हूं कि गन्ने का दाम पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही होना चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके गरीब हैं वहां पर क्रशर की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। मजदूरों का जो रुपया मिल मालिकों पर बकाया है, उसे सरकार को दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

मेरे निकट एक मिल है वहां पर मिल मालिकों ने मजदूरों का प्रावीडेन्ट फन्ड का पैसा नहीं दिया, मैंने श्रम मन्त्री जी से इस मामले को कहा भी था लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। गन्ना संघ ने बहुत सी जीपें खरीदी थीं मुझे खुशी है कि जो नए गन्ना आयुक्त आए हैं उन्होंने आदेश दिया है कि सभी जीपें इकट्ठा खड़ी कर दी जायं। मैं मान्यवर, जानना चाहता हूं कि इतनी जीपें क्यों खरीदी गयी थीं ? इतना खर्च किस लिए उन पर किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि इन तथ्यों पर जांच की जानी चाहिए। कांग्रेसी मित्रों के इशारे पर इतनी जीपें खरीदी गयी थीं। जब लोक सभा और विधान सभा के चुनाव हुए थे तो इन्हीं गन्ना फेडरेशन के लोगों से काम लिया गया था और उनको जीपें दी गयी थीं। मान्यवर, इस सम्बन्ध में जांच होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

2 मिनट और दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

एक मिनट में समाप्त करें।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मैं चाहता हूं कि इस मामले पर जांच होनी चाहिए। जो लोग दोषी पाए जायं उन पर कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत देर से माननीय सदस्यों का प्रवचन सुन रहा हूं। मैंने देखा कि माननीय सदस्य या तो अधिकारियों को कोसते हैं या गन्ना बस्तियों की ओर जाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिकारियों को कोसने से, गन्ना बस्तियों को खोलने से गन्ने की समस्या हल नहीं होती है। यह किताब हमारे सामने मन्त्री जी ने पेश की है। मैं मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में जितने बूढ़े, बच्चे, बालक, मर्द और औरतें है, वे सब इस गन्ना उद्योग से सम्बन्धित हैं। ये लोग किसान हैं, मजदूर है या गन्ना खाने वाले, चीनी खाने वाले साधारण आदमी हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब गन्ने की कीमत मुकर्रर करने की बात आती है, तो राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। चीनी की कीमत मुकर्रर करने की बात आती है तो राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। अत: मैं माननीया मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न को सुलझाने के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण न अपनावें। इससे हमारे प्रदेश की जो इन्डस्ट्री है, वह तबाह हो जाएगी।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश उसमें इन्वाल्व है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट इन्वाल्व है। वाकई में अगर आप चाहते हैं कि किसानों का भला हो तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को लिखिए कि आज जो डेढ़ रुपया किलो ड्यूटी है, उसको कम किया जाए। आज फैक्टरीज कराह रही हैं, किसान का गन्ना सूखने वाला है। फैक्टरीज बन्द होने वाली हैं। आज हमारे सामने समस्या यह है।

1974-75 में 14.31 लाख टन चीनी पैदा हुई। 1975-76 में 11.66 लाख टन चीनी पैदा हुई और 1976-77 में 14.72 लाख टन चीनी पैदा हुई। इस किताब में यह भी देना चाहिए था कि इस वक्त गन्ना मिलों मे चीनी का स्टाक क्या है। प्राब्लेम तो तब हल होगी जब पैसा आएगा कन्ज्यूमर से। किसानों को सरकार पैसा देने वाली नहीं। न फैक्टरी देने वाली है। पैसा आएगा कन्ज्यूमर से, खाने वाले से। तो आज हमारी फैक्टरीज में चीनी का जितना स्टाक है इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरह से फूड कारपोरेशन आफ इन्डिया गेहूं का स्टाक रखती है, आज किसानों का पैसा बकाया है तो मैं एक सुझाव यह दूंगा कि उसी प्रकार जितनी चीनी पैदा होती है फैक्टरीज में सरकार उस चीनी को खरीद ले और अपने गोडाउन्स में रखे जिससे किसानों का पैसा मिल सके। अगर विभाग के पास या माननीया मन्त्री जी के पास में गोडाउन्स न हों, तो मिल

[श्री गनेशी लाल चौधरी]

मालिकों के गोडाउन्स में ही रक्खें। और वहां पर रख कर तुरन्त पैसा दें जिससे जो फैक्टरीज हैं, मिल मालिक हैं, उस पैसे को, किसानों को, मजदूरों को दे सकें । चीनी की कीमत मुकर्रर करने के लिए भारत सरकार की एक बी0 आई0 ओ0 पी0 अर्थात् ब्यूरो ऑफ इन्डस्ट्रियल कांस्टिग प्राइस नाम की संस्था है। जब यह संस्था चीनी की कीमत मुकर्रर करती है तो यह देखती है कि फैक्टरीज कितनी ड्यूरेशन तक चली हैं। इसी हिसाब से वे लेवी की चीनी की कीमत को मुकर्रर करती है । कभी-कभी इन फैक्टरीज को किसानों के हित में, उनके गन्ने को पेरने के लिए जबरदस्ती चलाना प ता है । और कभी-कभी गन्ना न मिलने के कारण मालिकों को अपनी फैक्टरीज को कम दिनों के लिए भी चलाना प ता है । तो मेरी प्रार्थना है कि जो लेवी प्राइस है, उसको कुछ सरकार बढ़ावे। अगर 10 पैसा भी लेवी की प्राइस बढ़ा दी जाय तो आज जो उत्तर प्रदेश का यह रोजगार कराह रहा है। वह जिन्दा रह सकता है और काम कर सकता है ।

आज जो गन्ने के लेने-देने का काम है, इसमें जो छोटे किसान हैं, सर्वहारा वर्ग है उनको समितियों में कोई स्थान नहीं मिलता है। मेरी प्रार्थना है कि इन समितियों में हरिजनों का रिजर्वेशन होना चाहिए। जब यह हो जायगा तभी छोटे किसानों और हरिजनों को इन समितियों से लाभ हो सकेगा ।

अन्त में मेरी एक प्रार्थना है कि सरकार शकर का डिकन्ट्रोल कर दे। आपको बाहर मार्केट नहीं मिल रहे हैं, ताकि यहां के लोग चीनी अधिक खा सकें और जिससे मजदूरों व किसानों को पैसा दिया जा सके। आप खामखा में कन्ट्रोल करके चीनी को रोके हुए हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत मांग का समर्थन करता हूं ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो गन्ना विकास अनुदान पर कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, गन्ना हमारे जिले में ही नहीं अपितु प्रान्त भर में सबसे ज्यादा पैदा होता है और इसी पर किसान का जीवन मुनहसर है क्योंकि इसको अपनी फसल का अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान जरवल में जो मिल है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जरवल मिल जिसको अब सरकार चला रही है, जब मिल मालिकों के पास था तब से लाखों रुपया उसके ऊपर गन्ने के किसानों का बकाया है। और आज तक भी उसके भुगतान का प्रबन्ध सरकार ने नहीं किया है। मेरी माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है कि चाहे जरवल मिल को बेचना पड़े उसे बेच कर उन किसानों का जो पैसा बकाया है, उसको दिलाने की कृपा की जाय ।

माननीय मन्त्री जी ने सदन में बताया कि अच्छे बीज का अनुसन्धान करने के लिए केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं । हम देखते है कि पूर्वी जिलों में तो केवल देवरिया में ही खोला गया है लेकिन पश्चिमी जिलों में बीज के लिए कई सेन्टर्स खोले गए हैं। जब कि अच्छे बीज की बस्ती, गोंडा, बहराइच और गोरखपुर आदि में बहुत आवश्यकता है तो

केवल एक केन्द्र देवरिया में ही खोला गया है । न खुलने के क्या कारण हैं, क्या हम वहां पर अच्छा गन्ना पैदा नहीं करते हैं या अच्छा गन्ना नहीं दे सकते हैं ? यदि माननीय मन्त्री जी कृपा कर सकें तो वहां भी अच्छे बीज के अनुसन्धान केन्द्र स्थापित कराने की कृपा करें। साथ ही साथ हमारे जिले में 4 मिलें हैं और गन्ने का एरिया बहुत चौड़ा है। आप देखें कि हर मिल में किसानों का कर्जा है और सरकार उन किसानों को गुजर-बसर करने के लिए कर्जे से रकम दिलाना चाहती थी, लेकिन मिल मालिक नहीं दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि कर्जे का भुगतान शीघ्र से शीघ्र करा दें। केन यूनियन में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि आप बभनान को ले लीजिए । वहां पर जब किसान खाद लेते हैं, बीज लेते हैं और हर साल गन्ना तैयार करते हैं नवम्बर, दिसम्बर में तो हर साल कटौती न करके 5-5, 10-10 साल की एक बार कटौती करते हैं जब नहीं दे पाते हैं तो बभनान केन यूनियन कुर्की लेकर किसान के घर आते हैं और चल-अचल सम्पत्ति की निगरानी करते हैं। यही नहीं, 16 परसेन्ट गन्ने का लेते हैं, 10 परसेन्ट सरचार्ज लेते हैं और अधिकारी जो वसूल करने जाते हैं वह आने-जाने का भत्ता लेते हैं। इस तरीके से वहां लूट मची हुई है और दूसरी ओर किसान तबाह है । एक गांव नटोरा बभनान से थोड़ी दूर पर है, 3 बीघा एक काश्तकार के पास है उसके उपर कर्जा है 6 हजार रुपया का और केन यूनियन से किसी दूसरे ने कभी लिया और उस गरीब के नाम कर दिया। इसकी जांच भी करायी जाय किसी उच्च अधिकारी द्वारा। (लाल बत्ती जलने पर) मुझे 5 मिनट और दीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

एक मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

तो यह कहना है कि आज जब कोआपरेटिव सोसाइटी का नियम है कि कुल धन और ब्याज दोनों बराबर हो जायं तो उसके आगे शून्य हो जाता है, फिर वसूली नहीं होती है, लेकिन आज आपके यहां मूल-धन और ब्याज बराबर होने के बाद भी सूद दर सूद वसूल किया जाता है। तो वहां जो लूट मची हुई है उसको दूर करें। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मन्नूराम (जिला बलिया)—

मान्यवर, आपने मुझे यह समय दिया है, मैं आप का आभारी हूं। माननीय गन्ना मन्त्री महोदया ने जो मांग अनुदान की रखी है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके सन्दर्भ में मेरे दो-चार सुझाव हैं। मान्यवर, रसड़ा चीनी मिल जो करीब दो वर्ष से लगी है, वह एक साल तो अच्छी तरह से चली, दूसरे वर्ष उसका सामान 3 बार टूटा और उसको बनाने में

(इस समय 3 बजकर 34 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

कुल 21 दिन का समय लगा। एक-एक बार हफ्ते का समय लगा। बताया गया कि ऐसे-ऐसे यन्त्र टूटे कि हफ्तों में वह बन नहीं पाए । उस समय जो गन्ने कट चुके थे किसानों के वह सब खेतों में सूखे और कांटे पर सूखे । काफी परेशानियां आयीं। अब यह बताया गया कि

[श्री मन्नू राम—]

सामान बनाने में या लगाने में जो भी समय लगा उसमें काफी नुकसान हुआ किसानों का और उसमें भी घोटाला किया गया। दिखायी गयी ऐसी रकम जोकि ब्लैकमेल की थी, उसमें गलत धन लोगों ने अर्जित किया। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरफ ध्यान दें। इस वर्ष अगर मिल चले तो सामान न टूट जाय, जिससे किसानों के साथ-साथ सरकार का भी नुकसान हो। यह मिल अभी-अभी लगी है। रसड़ा सहकारी चीनी मिल जो है इसमें प्रगति हो रही है। पिछले वर्ष तो जो पहले साल चली तो प्रगति हुई, दूसरे वर्ष घाटे में रही। अब दोनों को मिलाकर एक संतुलन में हो जाता है। आप देखेंगे कि रसड़ा चीनी मिल में गाजीपुर का भी कुछ हिस्सा आता है, उसको जोड़ने के लिए नदी पड़ जाती है। टौंस नदी पार करते ही उधर गाजीपुर और इधर रसड़ा और बलिया का हिस्सा है। गाजीपुर से गन्ना किसी भी कीमत पर नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि उस पर पुल नहीं बना है। एक पुल प्रधानपुर के सामने बनेगा और दूसरा पुल टीराहीपुर घाट पर बनेगा। इसी तरह से खेतों और गांवों से जो गन्ना मुख्य सड़कों से हो कर चीनी मिल को जाएगा, एक भी सड़क नहीं बनी है। हमने 27 सड़कों के नाम मन्त्री जी को दिए हैं। अगर ये सड़कें बन जाती हैं तो गन्ना आसानी से मिल तक पहुंच जाएगा।

जहां तक खाद और बीज का सवाल है, अब तक कोई भी उन्नत बीज इस क्षेत्र में नहीं लाया गया है। जो थोड़ा बहुत उन्नत बीज गोरखपुर से लाया गया वह केवल नाम-मात्र के लिए रहा है। हमारे क्षेत्र में सिंचाई का कोई साधन नहीं है। आज कल हालत यह है कि पूरा गन्ना सूख रहा है पिछले 15 दिन से बारिश न होने के कारण धान तो सूख ही गया, गन्ना भी सूख रहा है। गन्ना दो किस्म की मिट्टी में होता है। एक तराई में जहां पेड़ी पैदा होती है, एक बार काटने के बाद 3-4 साल तक गन्ना पैदा हो सकता है, लेकिन जहां तक बलिया और आजमगढ़ की भूमि का सवाल है, एक ही वर्ष में उसकी जड़ उखड़ जाती है और दोबारा गन्ना बोना पड़ता है। उसमें बहुत गहरी कमाई करनी पड़ती है। अगर एक पानी भी उसको न मिले तो पूरी गन्ने की फसल बरबाद हो जाती है। माननीय मन्त्री जी स्वयं चल कर देखें कि वहां गन्ने की क्या हालत है। टिमटिमाता हुआ, जिसे हम लोग अपनी भाषा में "टिसुरी" कहते हैं उस तरह गन्ना दिखाई पड़ता है। एक एकड़ में एक ट्रक भी गन्ना नहीं निकल सकता है। खाद की हालत यह है कि पिछले वर्ष में कटी हुई खाद की बोरियां आयीं। जब एतराज किया गया तो कहा गया कि मिलों से ही कटी हुई आती हैं। किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। खाद भी समय से नहीं पहुंच पाती। तो अगर रसड़ा और रतनपुरा ब्लाक में कुल 27 सड़कें बना दी जायं जो गांवों और किसानों के खेतों से हो कर आती हैं, तो आसानी से गन्ना मुख्य सड़कों तक पहुंच सकता है। जैसा कि माननीय सदस्य बलिया ने अभी-अभी बताया कि हमारे जिले के जो कांग्रेस के मन्त्री रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि जितना उनका क्षेत्र था, जहां से वह चुनाव लड़ते थे वहां तक तो मिलों से बनने वाले ट्यूबवेल लगाए, बाकी रसड़ा और रतनपुर ब्लाक को पूरा छोड़ दिया। इसी तरह से सड़कें भी उन्होंने अपने ही क्षेत्र में बनवायीं। मालूम पड़ा है कि वह जिला उनका है ही नहीं क्योंकि वह सड़कें सिर्फ उनके क्षेत्र तक रह गयीं। वहां के किसान बहुत परेशान हैं। अगर वहां पर कुल 37 ट्यूबवेल जिनका हमने खुद ही घूम कर सर्वे किया है लगवा दिए जायं तो गन्ना बहुत अच्छी तरह से उस मिल को प्राप्त हो सकता है।

जहां तक मिल में भरती का सवाल है आप देखेंगे कि जो भी अधिकारी नियुक्त किए गए उनमें एक भी अनुसूचित जाति का नियुक्त नहीं किया गया है। जब सरकार से मांगा गया तो उन्होंने कह दिया कि कोटा पूरा है, लेकिन असल में केवल 12 परसेन्ट का कोटा ही पूरा है। मैं आशा करता हूं कि पिछली सरकार ने जो सफाया कर दिया है और गुमराह किया है कम से कम उसको आप सम्हाल लें और इस मिल को आगे बढ़ायें।

यह भी पाया गया है कि वहां के प्राइवेट बैलगाड़ियों से गन्ने की ढोवाई होती है। किसान अपने खेतों से कांटों तक गन्ना अपने सिर पर पहुंचाता है। बैलगाड़ियां वहां बहुत कम हैं। या तो सरकारी साधन से वहां बैलगाड़ियां तैयार करायी जायं या मेरा अपना सुझाव है कि सरकार अपने पैसे से वहां बैलगाड़ियां उपलब्ध कराए ताकि गन्ना आसानी से कांटों तक पहुंचाया जा सके। जैसा कि हमने बताया हमारे यहां मिट्टी जो है उस पर काफी कमाई करनी पड़ती है। अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि गन्ने का दाम हर जगह एक सा कर दिया जाय, लेकिन जहां तक मेहनत का प्रश्न है, सिंचाई आदि का सवाल है, हमारे रसड़ा तहसील में जहां पर गन्ना पैदा किया जाता है अगर उनकी कीमत 18 से 20 रुपए कर दिया जाय तो उनकी मांग पूरी हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद बस्ती का नम्बर दिया जाय।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो गन्ना विकास के सम्बन्ध में अनुदान पेश किया गया है उस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, पूरे देश में पिछले साल जो 48 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, उसमें करीब-करीब 14 लाख टन से ज्यादा अपने प्रदेश का हिस्सा है। मुझे अफसोस है कि चीनी उद्योग आज संकट के कगार पर है। उस पर चौतरफा संकट के बादल छाए हुए हैं। अब तक जो चीनी इस देश में पैदा होती है वह चीनी इस देश में खपत नहीं हो पाती है, उसको बाहर भेजना पड़ता है। बाहर के जो उपभोक्ता हैं वह कहते हैं कि डेढ़ सौ रुपया प्रति कुन्टल से ज्यादा हम लेने के लिए तैयार नहीं हैं और हमारे यहां पर जो चीनी की लागत है वह सवा दो सौ, ढाई सौ रुपए प्रति क्विन्टल के हिसाब से है। ऐसी हालत में चीनी उद्योग पर संकट है। इसके निवारण के लिए जो तीन तबके के लोग हैं उसके लिए एक नवीन योजना लाना है—(1) प्रशासन का जो स्वरूप है उसे बदलना है। (2) गन्ने के उत्पादक जो काश्तकार हैं उन्हे उचित मूल्य देना है। (3) इन चीनी मिलों में जो लगे हुए मजदूर हैं, उनकी हालत सुधारने के विषय में कदम उठाना है। आज गन्ना काश्तकारों का 12 करोड़ रुपया चीनी मिल पर बकाया है। चीनी मिलों के ऊपर करीब-करीब 5 करोड़ रुपया सरकार का बकाया है। दो करोड़ रुपए के करीब हमारे मजदूरों का जो गन्ना उत्पान, चीनी उत्पादन के काम में लगे हुए हैं, उनका बकाया है। जो मांग चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में पहले से चली आ रही है, उसके सम्बन्ध में भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने बहुत पहले बताया कि चूंकि चीनी मिलें निजी हाथों में हैं,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह]

इसलिए गन्ना काश्तकारों का बकाया है। कुछ चीनी मिलों में रिसीवर नियुक्त करके चलाया जा रहा है, लेकिन इनकी वर्किंग के बारे में ध्यान देनें की आवश्यकता है। 10 साल से जिन चीनी मिलों को टेक ओवर किया है, जो खराब थीं, उनकी खराबियों के सम्बन्ध में कोई निदान नहीं किया गया। भटनी चीनी मिल पिछले 10 साल से सरकार के हाथ में चल रही है, काश्तकारों का जो बकाया है वह समय से नहीं देती। लाखों रुपए बकाया उस चीनी मिल पर हैं। वहां पर एक खेतान चीनी मिल है, उस चीनी मिल पर भी काश्तकारों का बकाया है। इस तरह से केवल राष्ट्रीयकरण का झूठा नारा लगा कर चीनी की मिलों में कोई सुधार नहीं किया जा सकता है। कोआपरेटिव बेसिस पर जो चीनी मिलों को चलाने का प्राविधान किया गया है, जिसमें 21 चलेगी कोआपरेटिव सेक्टर में और 4 सार्वजनिक क्षेत्र में चलेंगी। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी जगहों पर राजनीतिक दबाव डालकर यदि इन चीनी मिलों का निर्माण किया जहां गन्ना कम पैदा होता है तो अच्छा परिणाम इन चीनी मिलों का नहीं होगा। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि औराई चीनी मिल के लिए गन्ना ही नहीं है। इसी तरह से सुल्तानपुर, फैजाबाद में चीनी मिलों का प्रस्ताव किया है, मैं कहना चाहता हूं कि व्यापक पैमाने पर चीनी मिलों की स्थापना करके आप इस उद्योग को विकसित नहीं कर सकते। इस सम्बन्ध में जो क्रेशर खोलने के बारे में नीति अपनायी गयी है उसके बारे में कहना है कि 5 मील, जो चीनी मिलों का एरिया है उसके बाद क्रेशरों को अनुमति होगी। अकेले देवरिया जिले में 14-14 चीनी मिलें हैं। कटनी, खड्डा, खेतान आदि जो मिलें हैं इनको ही गन्ना नहीं मिलता तो अगर क्रेशर का प्राविधान करेंगे तो इन मिलों को गन्ना क्या पूरा मिल पाएगा? तो इस सम्बध में मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई समन्वित नीति बनानी चाहिए। जैसे कौशिक जी ने कहा कि चीनी मिलों का समाजीकरण होना चाहिए तो इस बारे में, इस प्रक्रिया के बारे में सरकार को बहुत गम्भीरता से सोचना होगा।

कोआपरेटिव सेक्टर के बारे में कहा गया है। सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी जो नियुक्त किए हैं सरकार ने, गन्ना टेक्नोलोजी में इनकी कोई दिशा नहीं है। इनकी कोई नीति नहीं है। मेरा कहना है कि आपने श्री ढेसी को गन्ना डाइरेक्टर बनाया है। मेरा सुझाव है कि देशी आदमी को बनायें जो गन्ने के उत्पादन और बीजों आदि के बारे में जानता हो। मेरा सुझाव है कि गन्ना काश्तकारों का जो बकाया है उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिए। एक चीज के बारे में मैं और कहना चाहता हूं। 3-3 एजेंसियों के जरिए से गन्ना काश्तकारों को आप पैसा देते हैं। वित्त पोषण निगम, केन यूनियन, कोआपरेटिव सोसाइटीज आपने बनायीं। यह 3 एजेन्सियां फाइनेन्स करती हैं जिससे गन्ना काश्तकारों के जिम्मे एक झंझट आता है। मैं कहना चाहता हूं कि गन्ना काश्तकारों को फाइनेन्स करने के लिए एक एजेंसी होनी चाहिए। केवल एक एजेन्सी के जरिए गन्ना काश्तकारों को हर तरह का फाइनेंस मिलना चाहिए। मान्यवर, कितने ही शोध केन्द्र खोले गए। लेकिन दुर्भाग्य है कि 10 साल हुए किसी नयी किस्म का बीज आपके गन्ना शोध संस्थान ने नहीं निकाला। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जितने कृषि विश्व-विद्यालय हैं उनमें शुगर टेक्नोलोजी की शिक्षा का विशेष प्रबंध होना चाहिए। नए केन्द्रों

को खोल कर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं इससे कोई नई चीज नहीं निकली। मैं कहना चाहता हूं कि इन केन्द्रों को बन्द करके जितने कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें अनुसन्धान के नए तरीके निकाले जाने चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज गन्ना विकास के अनुदान पर इस आदरणीय सदन में जो विवाद हो रहा है, माननीय मन्त्री जी को मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। श्रीमन्, हमारा प्रदेश गन्ना उत्पादन की दृष्टि से चीनी व्यवसाय में अपना महत्व-पूर्ण स्थान रखता है। इससे हम अपने प्रदेश की ही नहीं अपितु बाहर की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। श्रीमन्, लेकिन यह विचारणीय विषय है कि जितना गन्ने का उत्पाद न हमारे प्रदेश में होता है हम उसके सुक्रोज का उतना लाभ नहीं उठा पाते हैं। गन्ना विकास पर पिछले वर्षों में करोड़ों रुपया व्यय किया गया होगा। जब सरकार गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए साधन जुटाती है और कृषकों को प्रोत्साहन देती है जिसके कारण अधिक पैदावार भी होती है तो सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इसके उत्पादन को किसी न किसी प्रकार प्रयोग में लाए जिससे कृषकों को भी लाभ हो और देश का भी लाभ हो। श्रीमन्, दुख होता है, जब देखा जाता है कि अरबों रुपए का सुक्रोज आग में फूंक दिया जाता है। गुड़ बनाने की दृष्टि से हो, चाहे क्रेशर की दृष्टि से हो, हम इस गन्ने से इतना लाभ नहीं उठा पाते हैं और उसमें जो सुक्रोज बाकी रह जाता है उसकी आग में ईंधन के नाम पर फूंक देते हैं तो यह देश की बहुत बड़ी क्षति है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस दृष्टि को सामने रखतेहुए पिछली सरकार ने जो मिलें लगाने का एक लक्ष्य बनाया था उसको शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाय और उन क्षेत्रों में जहां गन्ना अधिक होता है वहां मिलें बनाने का शीघ्र प्रयास किया जाय तथा भारत सरकार से कहा जाय कि उसके लिए हमें सहायता दें। माननीय मन्त्री जी उस क्षेत्र में रहती हैं जहां गन्ना अधिक पैदा होता है। बहुत से क्रेशर लगाए गए हैं और गुड़ और खांडसारी का काम भी अधिक है। लेकिन यह निर्विवाद है कि आज भी उसका लाभ किसान उत्पादक की दृष्टि से नहीं उठा पाते हैं। यह विकासशील देश के लिए उचित नहीं है। इस लिए मुझे आशा है कि मन्त्री जी इस तरफ ध्यान देंगे। मान्यवर, किसान परिश्रम करके गन्ना उत्पादन करता है यह विचार करके कि उसको अधिक लाभ होगा और चीजों की तुलना में, उत्पादन करने में। लेकिन जब उसको महीनों और वर्षों तक उसका मूल्य नहीं मिलता है तो वह निराश होता है। इसलिए सरकार का कर्त्तव्य है कि उसको किसी प्रकार समय पर उचित मूल्य दिलाए, यह सरकार के लिए है। आज भी हजारों कृषक ऐसे हैं जिनका करोड़ों रुपया मिलों पर शेष है और उन्हें नहीं मिल पाया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मन्त्री जी इस ओर भी ध्यान देंगी।

श्रीमन्, एक और महत्वपूर्ण बात मैं शासन के सामने आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि जब किसी देश में उद्योगों का विकास होता है तो निश्चित है कि वहां धन का लाभ होता है, लोगों को काम भी मिलता है। लेकिन वहीं वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण भी होते हैं। आज मिलों द्वारा शीरे का पानी बहाया जाता है वह नालों तथा नदियों में जाता है। उससे उस जगह रहने वालों का जीना दूभर हो गया है। एक बड़ी

[आचार्य धर्मदत्त वैद्य]

समस्या यह भी है कि जब कभी मिलें गन्दगी नदियों में बहाती हैं तो लाखों के मूल्य की मछलियां मर जाती हैं और गांवों के लोगों को कठिनाई होती है। उस जल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह प्रदेश जो नदियों का प्रदेश है और जिसके गांव से स्वच्छ नदी बहा करती थी आज वहां शीरा का सा पानी बहता है। जानवर पानी पीते हैं तो उनके पेट फूल जाते हैं और वह मर जाते हैं। लोग स्नान नहीं कर सकते हैं। नदी नालों के पास से निकलना दूभर हो जाता है। और प्रदेश का वह मछियारा वर्ग जो मछली का काम करता था, जिससे अपने परिवार का पालन-पोषण करता था उसका रोजगार समाप्त होता चला जा रहा है। श्रीमन्, यह कठिनाइयां गन्ना मिलों के सम्बन्ध में हैं जिस पर मुझे आशा है कि मन्त्री जी ध्यान देंगी। इस प्रकार गन्ने का सही उपयोग हो, जो किसानों का पैसा मिलों पर है वह समय पर मिले, जो जल और वायु प्रदूषण होते हैं इत्यादि कठिनाइयों का समाधान होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से पुन: अनुरोध करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

श्री ख्यालीराम शास्त्री (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय विरोधी सदस्य तथा इससे पूर्व माननीय सदस्यों ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने बहुत सी मिलों को पहले लाइसेन्स दिए और स्थापना की घोषणा की। तो इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि मेरे मुरादाबाद जिले में दो मिलों की घोषणा प्रधान मन्त्री ने और मुख्य मन्त्री जी ने किया लेकिन केवल वह चुनाव स्टंट रहा। घोषणा ही नहीं की बल्कि मुख्य मन्त्री महोदय ने वहां जहां पर न तो गन्ने की व्यवस्था है और न पैसे का इन्तजाम है शिलान्यास भी किया। अब वहां पर कुत्ते मूत रहे हैं। इसलिए वह केवल स्टन्ट मात्र था। मैं आपके द्वारा अपनी माननीय मन्त्राणी जी से निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष—

मन्त्राणी न कहें, मन्त्री कहिए।

श्री ख्याली राम शास्त्री—

कि वह इन मिलों को शीघ्र स्थापित करें। मुरादाबाद में गजरौला में एक शुगर मिल का शिलान्यास हो गया है, उसकी जल्दी से जल्दी स्थापना करवायें। उसके लिए शेयर या दूसरी कोई व्यवस्था करनी हो तो अपने अधिकारी वर्ग से वह करवावें। अगर कोई यह सन्देह है कि वहां गन्ने की कमी है तो उसके लिए सर्वे रिपोर्ट में भी यह है कि वहां काफी गन्ना है और एक नहीं दो मिलें काफी क्षमता की लग सकती हैं। दूसरा निवेदन यह है कि मैं मन्त्रीजी और उनके विभाग के अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि इस वर्ष गन्ने का काफी उत्पादन हो रहा है। लेकिन जो एक बड़ी समस्या आएगी वह उसके मूल्य की ओर ठीक समय पर पेराई की आएगी। गवर्नमेंट का ध्यान उस तरफ गया है और जो रिजर्व एरिया का क्षेत्र है उसको कम किया है और जो क्रेशर्स और शक्ति से चलने वाले कोल्हू हैं उनको लाइसेन्स देने में उदारता बरती है। लेकिन यह धीमी गति से चल रहा है। इसमें तेजी लाने की जरूरत है। तीसरी बात यह है कि गन्ने की कीमत बहुत कम है। जलाने की लकड़ी की कीमत 25 से 30 रुपए हो सकती है लेकिन गन्ने की कीमत 13 या 14 रुपया है। वास्तविकता तो यह है कि जो क्रशर्स हैं वह शुरू में 6-7 रुपया क्विंटल गन्ना लेते हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट पर जोर डालकर या जैसे भी हो गन्ने की कीमत बढ़वायें। क्रशर्स में किसानों की लूट होती है। इसलिए इस लूट से किसानों को बचाने के लिए जो रेट्स निर्धारित किए हैं उन पर मजबूती से अमल होना चाहिए। इसका एक तरीका यह हो सकता है कि अधिक से अधिक क्रेशर्स को लाइसेन्स दें और जहां मिल एरिया में गन्ना नहीं पेरा जा सकता वहां दें। इससे एक कम्पटीशन होगा और किसानों का लाभ होगा। इसका उदाहरण भी है। मुजफ्फरनगर और मेरठ में जहां क्रेशर्स के लाइसेन्स अधिक दे रखे हैं वहां मिल से भी ज्यादा कीमत किसानों को गन्ने की मिलती है। इसलिए क्रेशर्स को लाइसेन्स देने में उदार नीति बरतें। सरकारों की नीति इस उद्योग के बारे में स्पष्ट नहीं रही है। कांग्रेस सरकार की भी नीति कभी स्पष्ट नहीं रही। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि अब वह जमाना आने वाला नहीं है जब हमारे किसी मुख्य मन्त्री को दबाव में डाला जाय। गन्ना कीमत बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए। इन मिल मालिकों ने करोड़ों रुपए हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों को देकर उनका डिपुटेशन प्रधान मन्त्री और अन्य मन्त्रियों के पास भेजा। अब वह जमाना आने वाला नहीं है। हमारे प्रधान मन्त्री और अन्य केन्द्रीय मन्त्री इस बात को अच्छी तरह भांप गए हैं। इसलिए वे निर्भीक रहें और वहां पर काश्तकारों की कीमत बढ़ाने का प्रयास करें।

दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि आपकी स्पष्ट नीति नहीं है कि राष्ट्रीयकरण करेंगे तो कितने वर्षों में करेंगे और यदि नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। स्पष्ट नीति न होने के कारण मिलों पर बड़ा प्रतिकूल असर पड़ा है। एक समय था जब यह होता था कि एक पुर्जे की जगह वहां पर डबल पुर्जे होते थे। एक पुर्जा टूट गया तो बगैर मिल को दो मिनट भी बन्द किए दूसरा पुर्जा लग जाता था जिससे मिल अधिक से अधिक उत्पादन करती थी। आज स्थिति यह है कि कोई एक पुर्जा रखने के लिए तैयार नहीं है। चाहे मिल 48 घंटे, तीन दिन बन्द रहे। वे कहते हैं कि यदि कीमत लगायें तो इसका राष्ट्रीयकरण होने जा रहा है इसलिए जो वे पुर्जे लगे हैं उनकी अधिक से अधिक कीमत वसूल कर लें। अतः शासन की इस सम्बन्ध में नीति स्पष्ट होनी चाहिए ताकि इस उद्योग में मिल मालिक अधिक से अधिक पैसा लगायें और उत्पादन भी अधिक हो।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। गन्ना सोसाइटीज हैं। मेरे जिले से सम्बन्धित ही नहीं है और जिलों के साथी लोगों से बातचीत होती है। इन सोसाइटीज में स्थानीय क्लर्क हैं। मैं समझता हूं कि वे भ्रष्टाचार का एक अड्डा बने हुए हैं जो दस-दस साल, पन्द्रह-पन्द्रह साल एक ही स्थान में बैठे रहे हैं। तमाम वहां के दलालों से उनका सम्बन्ध रहा है और यदि कोई अधिकारी नया वहां पर जाता है तो उसे भी भ्रष्ट करने में टाइम नहीं लगाते क्योंकि उनके बने बनाए दलाल मौजूद हैं। आपने अपनी नीति में कभी ऐसा नहीं किया कि जो कर्मचारी इतने साल से एक ही स्थान में हैं, भ्रष्ट हो गए हैं उन्हें हटाया जाय। मैं निवेदन करता हूं कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए इन लोगों को वहां से हटाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर मन्त्री जी को बधाई देता हूं और प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अनुदान प्रस्तुत है गन्ना विकास मन्त्री जी द्वारा इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। इसमें यह भी अपेक्षित है कि जितनी धनराशि की इन्होंने मांग की है वह न्यूनतम है क्योंकि यह इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। इस पुस्तिका में कहा गया है कि 23 लाख कृषक इससे सम्बन्धित हैं। मालूम नहीं किस प्रकार यह पुस्तिका प्रकाशित हुई। मेरी राय तो ऐसी है कि लगभग एक करोड़ किसान इस प्रदेश का इस उद्योग से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बद्ध है। श्रीमन, एक ऐसा मेरुदण्ड, एक बैक-बोन है उद्योगों का कि जिसके सहारे छोटे-छोटे उद्योग पनपते थे और वे धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं। गांधी जी के देश में आजादी के बाद गन्ने से सम्बद्ध उद्योग समाप्त हो गया जैसे गुड़ खाण्डसारी। श्रीमन्, खाण्डसारी के उद्योग के बारे में अपने जनपद की बात कहता हूं जिसका इस प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है। पड़रौना जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं, श्रीमन्, वहां नौ चीनी मिलें हैं और प्रदेश में उसका निम्नतम स्थान है। देवरिया जनपद में पडरौना गन्ने का एक अकेला जनपद है और वहां दो चीनी मिलें हैं। देवरिया जनपद का पूर्व से ही खाण्डसारी उद्योग में एक प्रमुख स्थान रहा है। रामपुर कारखाना नामक स्थान पर खाण्डसारी का केन्द्र था। सरयू के सुदूरपूर्व नौकाओं और जहाजों के जरिए खाण्डसारी का व्यापार था लेकिन वह आज खत्म हो गया क्योंकि आपने यह प्रतिबन्ध लगा रखा है कि शकर के जो कारखाने हैं उनके अगल-बगल 5 किलोमीटर तक कोई क्रेशर नहीं लगा सकता। इस बन्धन के कारण जो कुटीर उद्योग हैं और गन्ना उत्पादक हैं उनके सामने भीषण समस्या पैदा हो गई है। सारी दुनिया में यह तसलीम-शुदा बात है कि किसी भी चीज का जब सौदा होता है तो उसका मूल्य पैदा करने वाला ही निश्चित करता है लेकिन हमारा यह देश ऐसा अभागा है कि वह किसान जो गन्ना पैदा करता है गन्ने के मूल्य को वह स्वयं निर्धारित नहीं कर पाता। करोड़ों रुपए शकर के कारखानों के जिम्मे पड़े हुए हैं। रिकवरी सर्टिफिकेट्स जारी होते हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं होता। पता नहीं वे रिकवरी सर्टिफिकेट्स चले कहां जाते हैं? छितौनी, घुघली तथा सिसवा बाजार अनेक शुगर मिलों की यही दशा है और नवाबगंज में तो जो नारंग शुगर मिल है वह बन्द होने जा रही है। असलियत यह है कि गन्ना और चीनी यहां का उद्योग नहीं है, राजनीति है। इसे राजनीतिक चंगुल से मुक्त किया जाना चाहिए।

मैं अपने माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जनता के सामने वायदे किए हैं और अब वह वक्त आ गया है कि इन चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। अगर इन चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं होता है तो हालत बदसे-बदतर हो जायगी। कोई बहाना नहीं चल पाएगा। चीनी मिलों का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रदेश की आर्थिक रीढ़ टूटने वाली है और बड़ी विचित्र समस्यायें उत्पन्न होने वाली हैं। 1 जनवरी, 1975 को जब परचेज टैक्स का प्रश्न उठा था तो मैंने एक आशंका व्यक्त की थी कि परचेज टैक्स का पैसा गन्ना किसानों के हित में नहीं लगेगा, श्रमिकों के हित में नहीं लगेगा और नौकरशाही उसका भयंकर दुरुपयोग करेगी। गन्ना संघ में करोड़ों का गोल-माल है। आप किसी बड़ी एजेंसी, सी0 बी0आई0 वगैरह के माध्यम से जांच करा लें। आज मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि वह परचेज टैक्स का पैसा कहां है और किसानों का उससे कौन सा हित हुआ है। उस

परचेज टैक्स को यू0 पी0 शुगर कारपोरेशन के सफेद हाथी द्वारा संचालित मिलों पर व्यय किया गया और उसके जरिए भयंकर गोल-माल हुआ। कहां लिंक रोड बनी ? यातायात की बात कही जाती थी। कितनी विचित्र दशा है। मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं कि सड़कें टूटी हुई हैं। भूख से व्याकुल किसान जब गन्ने की गाड़ियां लेकर मिल की ओर चलता है तो पिजावा स्थान पर जो पुल है पिछले 4, 5 वर्षों में वहां 300, 400 बैल घायल हो गए और 10, 15 लोग दब कर मर गए लेकिन लिंक रोड वहां नहीं बनी। ऐसी सैकड़ों ऊबड़-खाबड़ क्षति ग्रस्त सड़कें हैं। शहरों में ड्रिंक रोड बन रही है और गली-गली विदेशी मदिरा की दूकानें नजर आ रही हैं। जब तक इस समस्या का हल नहीं निकाला जायगा तब तक यातायात की कठिनाइयां दूर नहीं हो सकतीं और इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। करोड़ों रुपए का इस तरह से गोलमाल है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं। कहने के लिए सिबरही में एक ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा था लेकिन धरातल पर कब वह काम उतरेगा, इसका कोई पता नहीं। राजनीतिक प्रभाव से दूर रखकर जब तक व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जायगा तब तक कोई क्रान्तिकारी काम होने वाला नहीं है।

एक व्यक्ति ने अवश्य चमत्कार किया था। कोयम्बटूर में, सी0 वेंकटरमन जो महान वैज्ञानिक था, जो शुगर केन का भाग्य-विधाता था, वहां पैदा हुआ था। अंग्रेजों ने उसे खुली छूट दी, पूरी सुविधाएं दीं लेकिन आज तो एडवाइजरी कमेटीज बन रही हैं जिनमें विधायक रहेंगे, श्रमिक प्रतिनिधि भी रहेंगे कोई वैज्ञानिक रहेगा कि नहीं, कोई कृषि वैज्ञानिक रहेगा कि नहीं। इस देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। लेकिन एडवाइजरी कमेटी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। हमारे क्षेत्र में एक आदमी जिसको 50 साल का अनुभव है ठा0 मदन पाल सिंह जिनके पास विशाल बुद्धि है, उत्तर प्रदेश में शायद ही उनके टक्कर का कोई व्यक्ति हो लेकिन ऐसे लोगों की प्रतिभा का कोई सदुपयोग नहीं है। गन्ना और चीनी उद्योग के विकास में उनके अनुभव और प्रतिभा का लाभ शासन को उठाना चाहिए।

एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि यह जो गन्ना सहकारी समितियां हैं इनमें आवश्यक सन्तुलन कायम करना पड़ेगा। इन गन्ना सहकारी समितियों की स्थिति आप देखें, एक वित्तीय पोषण की व्यवस्था चली लेकिन वह सफल नहीं हुई। मैं तो कहना चाहता हूं कि यह सफल नहीं होगी जब तक इसे ठीक से नहीं देखा जायगा तब तक इससे किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। भूमि विकास बैंक के माध्यम से या दूसरी एजेंसियों से जो सहायता दी जाती है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है।

खाद के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जहां 14 गन्ना मिलें हैं वहां टापबोरर, शल्य कीट फैल गया है और लगभग डेढ़ लाख एकड़ भूमि में यह टापबोरर कीट लग गया है। पिछले साल जहां अवर्षण से वाटर लागिंग नहीं हुआ और उसके न होने से और जल निकासी के कारण बड़ा लाभ हुआ और रिकवरी अच्छी हुई। पिछले साल पश्चिमी जिलों के टक्कर में पूर्वी जिले गन्ने की फसल में बाजी मार ले गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब तक चीनी का विनियन्त्रण नहीं होगा तब तक फायदा होने वाला नहीं है। इसी विनियन्त्रण न होने से 5 लाख बोरे चीनी के बन्दरगाहों में गल गए।

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक]

और करोड़ों रुपए का नुक्सान भारत को हुआ। इसीलिए हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जावा सुमात्रा और मौरिशस से पिछड़ गए हैं। मौरिशस जहां हमारे पूर्वज गए हैं और जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश के और छपरा और आरा के लोग भी गए हैं वहां के गन्ने के सामनें हमारे गन्नें की स्थिति नगण्य है। यही नहीं हमारे देश में आंध्र के विजयवाड़ा से बहरामपुर के तीन सौ कि0मी0 के क्षेत्र में जो गन्ना खड़ा है वह ऐसा लगता है मानो मिर्जापुर का बांस हो। यही बात तामिलनाडु और महाराष्ट्र की है। हमारी भूमि उससे कम उपजाऊ नहीं है गंगा यमुना का यह प्रदेश जहां नदियां रसायन लेकर आती हैं लेकिन फिर भी हमारी स्थिति खराब है। वह इसलिए कि आपका अंकुश नहीं है यहां पर बड़ी मात्रा में घोटाला है। आपात्-काल में विज्ञापन पट लगे उसमें कई लाख रुपए गबन हुआ। 18–18 सौ रुपए के विज्ञापन पट खरीदे गए जबकि वह चार पांच सौ में बन जाते हैं तो इस तरह से 12 सौ रुपये एक विज्ञापन पट पर अधिक खर्च किया गया। मैं चाहूंगा कि आप इसकी जांच करें, जब तक चीनी का विनियन्त्रण नहीं होगा तब तक स्थिति नहीं सुधरने वाली है। गांव का गरीब उपभोक्ता चीनी के लिए तरसता है।

श्री अध्यक्ष––

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक––

आज जो गन्ना पैदा करता है वह चीनी के लिए तरस रहा है गांवों में जरा भी चीनी नहीं मिलती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह चीनी विनियन्त्रित हो। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री अरुण कुमार––

अध्यक्ष जी, इस कटौती के प्रस्ताव पर सदन के सम्मानित सदस्यों, पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने जो अपनी राय रखी है मैं उन सम्मानित सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और उनके सुझावों से अपने आप को भी कहीं-कहीं सम्बद्ध पा रहा हूं। इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 25 चीनी मिलों की बात कही गई थी, किन्तु इस सूची में केवल 12 चीनी मिलों की व्यवस्था दी गयी है। इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए सरकार से निवेदन है कि जो और भी चीनी मिलें रह गई हैं, उनको भी तत्काल खोलने की वह व्य-वस्था करें। राष्ट्रीयकरण और समाजीकरण की बात को जो सम्मानित सदस्यों ने दोहराया है, जिसे पिछली सरकार ने पुरजोर तरीके से केन्द्र सरकार के सम्मुख रखा था, हमारी मांग है कि राष्ट्रीयकरण की मांग को इस सरकार को अविलम्ब स्वीकार करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि जिन मान्यताओं की लड़ाई यहां से बैठकर उन्होंने लड़ी है और हम भी उससे जुड़े हुए हैं और जिसकी बुनियाद हमने बहुत पहले रख दी थी, उसको करने में अब उनको क्या बाधा है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय इसे स्वीकार करें और राष्ट्रीयकरण की मांग को दोहराएं।

एक सम्मानित सदस्य ने अनुसन्धान प्रक्रिया को तोड़ने की बात कही है, इससे सम्ब-न्धित शोध केन्द्रों को समाप्त करने की बात कही है ,उनसे मेरा अनुरोध है कि वह इसे जरा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गम्भीरता से सोचें। यह सही है कि 10 वर्षों से इन अनुसन्धान केन्द्रों ने किसी नए उन्नत-शील बीज की खोज नहीं की है। फिर भी इस कार्य में सक्रिय रूप से लगे रहना परम आवश्यक है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों की अपनी अलग-अलग समस्याओं का निराकरण किया जा सके। इन केन्द्रों को विभिन्न स्थानों की अपनी-अपनी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, वहां की जलवायु और धरती को देखते हुए गन्ने की उपयोगी किस्म तय करनी है, अतः इसको समाप्त करना ठीक नहीं है। बल्कि इसके कार्य को और तेज और सक्रिय करने की बात दोहरानी चाहिए।

किसानों के बकाए की बात जो तमाम सदस्यों ने—पक्ष और विपक्ष से, दोहराई है, उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सरकार उसमें सक्रिय पहल करे और जो श्रमिकों और किसानों के पैसे रुके हुए हैं, उसको तत्काल दिलाने की व्यवस्था में वह अपना सहयोग करे।

चीनी मिलों की व्यवस्था में, जहां तक श्रमिकों की साझेदारी रखने की बात कही गई है, यह बात हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम की एक रही है .....

एक सदस्य—

अब कहां 20 सूत्री कार्यक्रम है ?

(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार—

इसकी व्यवस्था मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच में अवश्य होनी चाहिए, जिससे श्रमिक अपनी जायज मांगें उनसे मनवा सकें। शब्द यही है, चीज यही है, आप कहने को दूसरे तरीके से कह सकते हैं, यदि आपको 20 सूत्री कार्यक्रम से इतनी घृणा है। गन्ना विकास विभाग की ओर से वितरित पुस्तक को देखकर मालूम होता है कि सरकार ने कोई अपनी स्पष्ट नीति, नई नीति नहीं घोषित की है। न चीनी के बारे में और न गन्ने के दामों के बारे में। सरकार की उनमें किसी नई और स्पष्ट नीति की झलक नहीं है और न पार्टी का ही ऐसा कोई स्वरूप दिखाई देता है। इसलिए मेरा खुद का प्रस्ताव अपने आप में जायज है और मैं अपने आपको इससे सम्बद्ध कर रहा हूं।

*श्रीमती चन्द्रावती—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रातःकाल से जो अनुदान मैंने प्रस्तुत किया है उस पर जो चर्चा हुई है और जिस पर कटौती का प्रस्ताव माननीय विरोधी दल से पेश किया गया और माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए, मैं उन सबके लिए आभार प्रकट करती हूं। मैंने उन सुझावों को बहुत ध्यान से सुना और उसके निराकरण के लिए भी कुछ सोचा। मान्यवर, यह विभाग, सही मानों में जैसा कि एक सम्मानित सदस्य ने कहा गन्ना विनाश विभाग है, यह गत सरकार की ही देन है। चीनी मिलों की बदइन्तजामी और घाटे की भी बात कही गयी। यह भी सत्य है। मैं इस चीज को पूरी तरह से सही मानती हूं कि जो बहुत से माननीय सदस्यों के विचार प्रकट हुए वह बहुत मानों में सही हैं। लेकिन इसमें जनता सरकार का दोष कुछ नहीं है। यह तो 30 वर्षों की गाढ़ी कमाई है जो हमारे सामने इस रूप में आई।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती चद्रावती]

मान्यवर, मैं एक किसान परिवार की और कृषक होने के नाते भी मेरा इस विभाग से सम्बन्ध रहा है। इस विभाग में जितना भी कृषकों और मजदूरों को दबाया गया उसके लिए यहां पर जरूर सही विचार प्रकट किए गए। इस विभाग में गड़बड़ घोटाला और विनाश की ही चीज चलाई गई। राष्ट्रीयकरण की एक दुहाई दी जाती है। इन्हीं दो कारणों से इस विभाग में खराबी पैदा हुई है। मान्यवर, गत सरकार ने यदाकदा राष्ट्रीयकरण की नीति कह कर उन मिल मालिकों को सचेत कर दिया था, उन्होंने सोचा कि अगर यह राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है तो हमको फिर क्या रह जायगा ? उन्होंने अपनी मिलों में कोई भी पैसा लगाना उचित नहीं समझा। मान्यवर, मैं इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि उन मिल मालिकों से भी गहरी रकम चन्दे के रूप में वसूल की जाती थी।

श्री श्यामधर मिश्र--

लेने वाले उधर ही अब भी हैं।

श्रीमती चन्द्रावती--

घबराइए नहीं, सब कुछ बता दूंगी। मान्यवर, और किसी ख्याल से नहीं कह रही हूं। मैं यथार्थता का दिग्दर्शन कर रही हूं। मान्यवर, भ्रष्टाचार, ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर कभी नहीं जा सकता। इसके भीतर जो विभागीय आदमी थे, अधिकारियों के द्वारा भी, किसानों को लूटने के लिए मजदूरों को खसोटने के लिए, भ्रष्टाचार किया गया। आए दिन किसानों के आन्दोलन चलते, मजदूरों के चीख-पुकार के आन्दोलन चलते, उन पर कोई सुनवाई नहीं की गयी। जैसे आज कहा जा रहा है कि किसानों और मजदूरों के हित का ध्यान इस सरकार को विशेष रूप से करना चाहिए, मैं उन माननीय सदस्यों को कहती हूं कि जब वह शासनारूढ़ थे तो उनके सामने भी वह अपनी बातों को पूरी तरह से रखते। यहां तक अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार था, ब्रीफ केस में रुपया अधिकारियों के ड्राइन्ग रूम में पहुंच जाता था और ब्रीफ केस वहां से बदल दिया जाता था। मैं यह बताना चाहती हूं कि भ्रष्टाचार कितनी गहराई में था।

मान्यवर, यह व्यवस्था इतनी खराब हो गयी है और इसकी क्या उचित दवा हो सकती है यह मान्यवर, आप भी सोच सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं कि थोड़े दिनों में इसका क्या उपचार हो सकता है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहती हूं और वह यह है कि व्यावहारिकता को विभाग में समाविष्ट किया जाये। जब तक व्यावहारिक दृष्टि नहीं समाविष्ट होगी तब तक विभाग की तरक्की नहीं होने वाली है। किसान खेत में रहता है और अधिकारी पंखे के नीचे रहते हैं। मैं अपनी पूरी सूझ-बूझ के साथ इस व्यावहारिक दृष्टि को लाना चाहती हूं। जब से मैं इस विभाग में आई हूं मैंने गन्ना विकास विभाग के अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई और मैंने कहा कि इस विभाग में बेईमान नहीं रहने चाहिए और अगर किसी का फील्ड में काम करने का जी नहीं होता. . .

(सदस्यों के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष--

टिप्पणी न कीजिए। शान्ति के साथ सुनिए।

श्रीमती चन्द्रावती—

जो भी अधिकारी होगा उसको पहले खेत में रहना होगा और बाद में पंखे की हवा में रहना पड़ेगा। ग्राम सेवक हमारे यहां फील्ड वर्क करते हैं, उनकी संख्या काफी बढ़ाई गयी है। खाद के वितरण के लिए भण्डार बनाए गए हैं, उनमें किसी में दीवाल टूटी थी और किसी में किवाड़ नहीं हैं तो इस प्रकार से ग्राम सेवक उनमें रहते नहीं थे। जो ग्राम सेवक वहां रहकर खाद का वितरण नहीं करेंगे, उनको नौकरी से निकाल दिया जायगा। इस तरह से व्यावहारिक दृष्टि को अधिक अपनाया जा रहा है और काग़जी कार्यवाही को कम किया जा रहा है।

एक सदस्य—

अपनी रफ्तार को बढ़ाइए।

श्री श्यामधर मिश्र—

क्या जवाब है, मान्यवर।

श्रीमती चन्द्रावती—

कहा जाता है किसान संस्थान को समाप्त किया जा रहा है। यह बात नहीं है, इन संस्थानों को समाप्त नहीं किया जा रहा है बल्कि इनके कार्य-क्रम को बढ़ाया जा रहा है। एक किसान संस्थान लखनऊ में है। उसके बारे में हम सोच रहे हैं क्योंकि वह बिलकुल बेकार है, और जो वहां पर अधिकारी हैं वह वेतन पा रहे हैं और ऐयाशी कर रहे हैं। किसान संस्थान के रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे नियमावली बनाने की बात कही गयी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन जो उन्होंने गन्ना विकास संस्थान के बारे में जो विचार व्यक्त किये तो मैं जानना चाहता हूं गहराई से कि उनको मैंने टेलीफोन पर ध्यान आकृष्ट किया था जब वह इस सम्बन्ध में नीति बनावें तो कोई परामर्श का समय निकालें। तो गन्ना विकास संस्थान क्यों बना इस सम्बन्ध में भी बात-चीत करना चाहता था और मैंने उल्लेख किया है। जो उन्होंने यह कहा कि यह सब ऐश के लिए किया, उन्हें इसकी गलत सूचना मिली है। इंडियन केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में है, इसका एक भाग कोयम्बटूर में है और बाकी लखनऊ में है ....

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। तिवारी जी आप जारी रखें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जब आप नेता विरोधी दल होइएगा तो अपने अधिकार का प्रयोग कीजिएगा। तो पांच भाग इंडियन केन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लखनऊ में मौजूद हैं। यहां पर रिसर्च में गन्ना संस्थान की स्थापना भारत सरकार की सलाह से इंडियन केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ हेडक्वार्टर पर की गयी जहां पर गन्ना पैदा करने वाले किसानों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा सके। तो इसमें कोई ऐश की बात नहीं है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर पुनर्विचार करें।

श्रीमती चन्द्रावती—

इस सम्बन्ध में मैं नेता विरोधी दल से बात कर लूंगी। यह जो नियमावली की बात है तो मान्यवर, वह बात सही है। इस सम्बन्ध में पुरानी सरकार ने कोई भी नियम नहीं रखे। अब मैं इस पर विचार कर रही हूं। मैं सदन को आश्वासन देना चाहती हूं कि लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इसके नियम बनाए जायेंगे।

गन्ना अनुसन्धान में तेजी लाने के लिए इस प्रदेश में दो विभाग हैं। एक भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है और दूसरा, प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाता है। रिसर्च वर्क के सम्बन्ध में ऐसी होड़ लगी रहती है कि वह उसके कार्य को गलत बताते हैं और वह उसके कार्यों को गलत बताते हैं। इस तरह से अनुसन्धान का कार्य हमारे प्रदेश में बहुत धीमा है। मेरा विचार है कि यदि योग्य वैज्ञानिक हमें उपलब्ध हो जाय तो हम इस दिशा में काफी प्रगति कर सकते हैं। इस वर्ष अभी हाल में कानपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ केन रिसर्च खुला है। मैं उसमें गई थी और मेरा कोयम्बटूर और इधर भी जाने का इरादा है ताकि उनके अनुसन्धान कार्य को देख कर तथा अच्छे वेतन देकर हम वैज्ञानिक तरीके इस क्षेत्र में लायेंगे तो हमारे प्रदेश का कार्य निश्चित रूप से बढ़ेगा। इस दिशा में मैं विशेष रूप से पूरी तरह जागरूक हूं।

अब रह गई खाण्डसारी इकाइयों की बात तो यह मेरे ध्यान में पूरी तरह से है। किसानों को न्यूनतम मूल्य दिलाने में पूरी सख्ती बरती जायगी और देखना होगा कि जो कम कीमत देते हुए पाए जायेंगे उनके विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही की जायगी।

गुड़ के उद्योग के बारे में यहां पर चर्चा चली। मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि गुड़ विभाग और खाण्डसारी विभाग यह दो ऐसे विभाग हैं जिनमें ग्रामीण जनता भाग ले सकती है और इससे बेरोजगारी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हमारी जो अन्य ग्राम विकास की जो योजनाएं हैं तो उनमें हम इस विभाग से बहुत सहयोग ले सकते हैं।

इस ओर मान्यवर, मेरा विचार है कि लाइसेन्स देने की जो इस समय नीति है, वह सभी जगह एक सी न बनाई जाय बल्कि मिलों की क्रशिंग कैपेसिटी के अनुसार उस मिल के लिए रिजर्व एरिया रखा जाय इस प्रकार से खाण्डसारी और गुड़ के लिए बहुत से लाइसेन्स दिए जायेंगे और इस सम्बन्ध में हमारी उदारता की नीति होगी।

इस तरह से मैं समझती हूं कि हमारे जो ग्रामीण भाई हैं, जो कि इस व्यवसाय में अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं, उनके लिए पूंजी आदि के लिए ऋण देने की व्यवस्था भी हमारे विचाराधीन है।

यह जो बात बताई है आपने अनुसन्धान के बारे में तो उसमें सी0ओ0एस0 611 और सी0ओ0एस0 718 गन्ने की नई किस्में निकलती हैं। इनके द्वारा यह साबित कर दिया गया है कि इनसे जो गुड़ बनता है वह अच्छा होता है और तौल में उसकी मात्रा भी बढ़ती है। तो इससे भी गुड़ का जो व्यापार है, वह अच्छा हो सकता है। इस ओर भी सरकार का ध्यान है।

आज यहां पर सहकारी चीनी मिलों की स्थापना के बारे में भी बहुत सी बातें कही गयीं। इस समय जो लाइसेन्स दिए गए हैं उनमें 5 सहकारी चीनी मिलें हैं, रसड़ा (बलिया), सठियांव (आजमगढ़), कायमगंज (फर्रुखाबाद), साठा (अलीगढ़), नादेही (नैनीताल) हैं। ये मिलें कार्यरत हो चुकी हैं और ये मिलें चल रही हैं। इनके अतिरिक्त 4 चीनी मिलें, अनूपशहर (बुलन्दशहर), बिलासपुर (रामपुर), बीसलपुर (पीलीभीत) और बदायूं सहकारी चीनी मिलों का निर्माण कार्य तीव्र गति से हो रहा है और इस वर्ष इन चीनी मिलों के कार्य आरम्भ करने की आशा है। इसके अतिरिक्त 6 चीनी मिलें रमाला (मेरठ), नानौता (सहारनपुर), गजरौला (मुरादाबाद), तिलहर (शाहजहांपुर), महमूदाबाद (सीतापुर) तथा बिलराया (लखीमपुरखीरी) के निर्माण का प्रश्न विचाराधीन है। बिलराया का लाइसेन्स भी मिल चुका है, लिखा-पढ़ी हो रही है।

यहां पर किसानों की बकाया के लिए भी चर्चा हुई। हमने 4 तारीख को शपथ ली थी और 7 तारीख को ही मैंने जो प्राइवेट मिल ओनर्स थे, उनकी एक मीटिंग बुलाई और उनसे यह कहा कि किसानों का जो बकाया रुपया है, उसको 31 जुलाई तक दे देना अनिवार्य है। उसके फलस्वरूप यह हुआ कि 4 करोड़ रुपया निजी मिलों का किसानों और मजदूरों को मिल गया। इस समय उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ देय राशि है जिसमें से 2 1/2 करोड़ रुपया अपनी सरकार के जिम्मे में आता है। 4 करोड़ रुपया दिलाया जा चुका है। चूंकि वित्त विभाग से धन रिलीज हो गया है, सरकारी भुगतान की व्यवस्था की जायगी।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

आप कब तक गरीब किसानों को भुगतान करा सकेंगी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जो बकाया धनराशि है, वह पिछली सरकार की ओर से है। तो जो प्रयत्न हो रहे हैं, इतनी जल्दी तो नहीं लेकिन शीघ्र ही भुगतान कराया जायगा। इस समय अगर सारी मिलों को रिप्लेस किया जाय तो 65 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

श्रीमन, ये चीनी मिल मालिक चन्दा लिए घूम रहे हैं।.....

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

उनको जेल में बन्द करवा दीजिए।

श्रीमती चन्द्रावती--

क्रशर के बारे में कहा गया कि उनकी संख्या कम हो गई है। मैं सदन को आश्वस्त किए देती हूं कि वह भी पूरी हो जायगी। इसमें यह भी बताया गया था कि परचेज टैक्स देने की व्यवस्था है, अगर कम्पाउण्ड प्रोसेस में आ जायं तो महीने में दिया जाता है। तो उसका इस योजना से निराकरण हो सकता है।

अन्त में मैं प्रार्थना करती हूं कि विरोध पक्ष से जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उसे वापस लेने की कृपा करें।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण कराना चाहता हूं। हमारे जिले में महोली मिल बन्द पड़ी हुई है। उस इलाके में तमाम गन्ना खड़ा हुआ है। पिराई का सीजन आ रहा है, लेकिन उसके चलाने की अभी तक भी कोई व्यवस्था नहीं हुई है।

श्रीमती चन्द्रावती--

महौली मिल की चिन्ता न करें, उसका अटैचमेंट कर दिया गया है और उसके लिए सरकारी व्यवस्था शीघ्र ही कराई जा रही है। मैं आश्वासन के साथ कहती हूं कि प्रदेश में कोई भी मिल खाली नहीं पड़ी रहेगी और कृषकों का गन्ना खराब नहीं जायगा और उसके लिए उचित व्यवस्था की जायगी। (व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठिए। अब आगे नहीं होगा।

श्री अरुण कुमार--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी का ध्यान. . .

श्री अध्यक्ष--

आप भाषण न दें। आप वापस लेते हैं या नहीं ?

श्री अरुण कुमार--

अभी मन्त्री महोदया ने मेरी सारी बात खुद ही स्वीकार कर लीं, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस कटौती को पूर्ण रूप से आप स्वीकार करें। हम इसे वापस नहीं लेते।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47--गन्ना विकास सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47--गन्ना विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,77,64,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 51 की जितनी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उनमें से मैंने श्री रियासत हुसैन के प्रश्न को स्वीकार किया है। वह है, "समस्त उत्तर प्रदेश तथा जिला मुरादाबाद में विशेषकर मलेरिया के भारी प्रकोप तथा स्वास्थ्य केन्द्रों पर मलेरिया की दवाओं के अभाव से उत्पन्न संकट"। उस पर वक्तव्य कब दीजिएगा ?

पर्वतीय विकास उप मन्त्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)—

श्रीमन्, एक सप्ताह बाद .....26 तारीख रख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

इस पर 24 तारीख को वक्तव्य दे दें।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं .....

(व्यवधान)

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप बैठ जायं।

सुन्दर लाल जी, मैं आपको बार-बार कहना चाहता हूं कि आप अनुशासन में रहें।

उन्नाव जनपद के ग्राम तमुरिया बुजुर्ग (नौसहरा) में चार हरिजनों के घरों को लूटे जाने एवं सफीपुर थाने के अन्तर्गत दो हत्याओं के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

आइटम नं0 9। अब दिनांक 8/9 सितम्बर को उन्नाव जनपद के थाना बांगरमऊ, ग्राम तमुरिया बुजुर्ग (नौसहरा) में चार हरिजनों के घरों को लूटे जाने एवं सफीपुर थाने के अन्तर्गत दो हत्याओं से उत्पन्न जनता में भय तथा आतंक के सम्बन्ध में श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत मुख्य मन्त्री का वक्तव्य होगा।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा और न पत्रकार लोग इसको प्रकाशित करेंगे।

नोट [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विधान सभा

पर्वतीय विकास उप मन्त्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)—

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार 8/9 सितम्बर की रात्रि में 3–4 बदमाश ग्राम तमोरिया बुजुर्ग (नौसेहरा) में आए और उन्होंने सर्वश्री कुम्बा हरिजन, श्रीमती अंगाना, गुलाब हरिजन तथा हिमांचल हरिजन के घरों में घुसकर उनका सामान चुराया। गुलाब हरिजन के जग जाने व शोर मचाने पर एक बदमाश ने उसे डंडा मारा। इस घटना की किसी भी व्यक्ति ने थाने पर सूचना नहीं दी। दिनांक 14 सितम्बर, 1977 को शासनादेश प्राप्त होने पर क्षेत्राधिकारी व परगना मजिस्ट्रेट उक्त गांव में गए। तब उन्होंने इसकी जानकारी हासिल की और उनके आदेशानुसार थाने पर धारा 392 भारतीय दण्ड विधान का अभियोग पंजीकृत किया गया। ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि वहां आतंक छाया हुआ है।

9 सितम्बर, 1977 को थाना सफीपुर क्षेत्र में दो हत्याओं की घटनाएं घटित हुईं। इनमें से एक हत्या की घटना कस्बा सफीपुर के अवस्थी होटल पर घटित हुई जिसमें पुरानी रंजिश के कारण राम दत्त शुक्ला की हत्या हुई है। उक्त अवस्थी होटल थाने से करीब तीन फर्लांग की दूरी पर है। घटना की सूचना होते ही थाने पर मौजूद फोर्स तुरन्त घटनास्थल पर पहुंची किन्तु अभियुक्तगण भाग चुके थे। पाया गया कि अभियुक्तगणों ने सड़क पर भागते हुए हथगोलों का प्रयोग किया था। इस घटना के सम्बन्ध में विधिवत् मुकदमा दर्ज होकर विवेचना की जा रही है।

दूसरी हत्या की घटना में ग्राम बुढ़वापुर, थाना सफीपुर के कालीचरण लोध ने उसी गांव के विश्राम को तमंचे से मार दिया। हत्या का कारण कालीचरण का विश्राम की औरत से नाजायज सम्बन्ध होना बताया जाता है। घटनास्थल से कालीचरण भाग गया। मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है।

जनपद उन्नाव की अपराध स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जिले में डकैती, राहजनी आदि के अपराधों में कुछ वृद्धि हुई है किन्तु यह कहना सही नहीं है कि अपराध स्थिति नियन्त्रण में नहीं है और असुरक्षा की भावना व्याप्त होती जा रही है। अपराध नियन्त्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो हमको सूचना माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा मिली उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह सदन को गुमराह करने की प्रवृत्ति सी चल पड़ी है, इसलिए जैसा कि बताया गया है कि इस गांव में डकैती न पड़ कर चोरी हुई, वह जग गया तो बदमाशों ने उसको डंडा मारा और सामान लेकर चले गए। यह रिपोर्ट दर्ज तब की जाती है जब क्षेत्राधिकारी, परगनाधिकारी जाते हैं। इसके बाद उसमें यह लिखा है कि तीन फर्लांग की दूरी पर घटना हुई। मान्यवर, यह घटना पौन फर्लांग की दूरी पर हुई है। दूसरी हत्या की घटना में ग्राम बुढवापुर, थाना सफीपुर के कालीचरण लोध ने उसी गांव के विश्राम को तमंचे से मार दिया।

श्री अध्यक्ष—

आप रुकिए। आप तो वक्तव्य पढ़ रहे हैं। आपको जो स्पष्टीकरण मांगना है, वह पूछिए। क्या प्रश्न आप करना चाह रहे हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1977 से लेकर अब तक उन्नाव जिले में कितने अपराध हुए जो थाने में दर्ज हुए ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, 1977 और 1976 के पूरे आंकड़े ही पढ़ देता हूं :—

डकैती 1976 में पूरे वर्ष में—64। 1977 में अब तक 90 पड़ी हैं। 399/402—1976 में 14 थीं और अब तक हमारे यहां 11 हैं। इस तरह से नकबजनी—561 कुल हुई हैं। 416—1976 में हुई थीं। इसी तरह तारों की चोरी की पिछले 1976 में 3 घटनाएं थीं। इस बार एक भी नहीं है।

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

सुन्दर लाल जी, आप बैठिए। आप बार-बार खड़े हो जाते हैं।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

मान्यवर, उसी थाने के अन्तर्गत कितनी डकैतियां और पड़ी हैं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्रीमन्, इसके लिए सूचना की आवश्यकता है क्योंकि इसमें नहीं मांगा गया था।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अभी आंकड़े दिखाए हैं 1976-77 के, उनमें से कितनी डकैतियों में मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्रीमन्, यह तो बहुत डिटेल्ड सवाल है, इसको सूचित कर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

आखिर इतनी डकैतियां हुयीं तो कितने पकड़े गए यह तो इस वक्तव्य के साथ आप को सूचना प्राप्त होनी चाहिए थी।

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्रीमन्, आपका आदेश हुआ है, प्राप्त कर लेंगे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 14 तारीख को जब सी0ओ0 और परगनाधिकारी वहां पहुंचे तो उन्होंने, जो मालूमात की, तो उस हरिजन ने, जिसके

[श्री रियासत हुसैन]

यहां चोरी हुई, तो उसने कुछ लोगों के नाम बताया ? अगर बताया तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

वहां किसी भी एक आदमी का नाम शक में नहीं बताया गया। यह जो चोरियां हुई हैं लोटा, चमचा आदि की जिसकी कुल कीमत 50 रुपए से कम होती है और यह स्थान थाने से 9 मील दूर था, कोई रिपोर्ट लिखाने नहीं गया था। जब हमारे सी0 ओ0 क्षेत्राधिकारी वहां गये, तो वहां के एस0 ओ0, श्री हरिस्वरूप सिंह यादव ने अपनी ओर से एफ0आई0आर0 लिखाई।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्नाव पुलिस कप्तान इन घटनास्थलों पर गए थे ? और गए थे, तो कब गए थे ? क्या उन्नाव के पुलिस कप्तान वही हैं जिनकी शिकायत पर वाराणसी से स्थानान्तरण हुआ था और 1 लाख 35 हजार की जो अनियमितता हुई है, उससे वह सम्बन्धित हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह स्थानान्तरण का प्रश्न तो सम्बन्धित नहीं है, लेकिन जो पहला प्रश्न है, उसका आप उत्तर दे दें।

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्रीमन्, पुलिस कप्तान घटनास्थल पर स्वयं गए थे।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मैंने पूछा है कि कब गए थे, हत्या होने के बाद कब गए थे ?

एक सदस्य—

सूचना ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

थोड़ा धैर्य रखिए, वह देख रहे हैं।

(हंसी)

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्रीमन्, उस घटना के तीन दिन बाद पुलिस कप्तान वहां गए थे।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, दोनों घटनाओं के बारे में मैंने पूछा है।

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो यह बताया कि हरिजनों के घरों में घुसकर चोरी हुई है तो केवल 50 रुपए की चोरी हुई है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह शरारतन हरिजनों को परेशान करने के लिए किया गया ? दूसरे 392 का मुकदमा क्यों दर्ज किया गया और चोरी का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया ?

श्री अध्यक्ष—

चोरी चाहे 50 रुपए की हो या 50 हजार रुपए की। मुकदमा तो एक ही चलेगा।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

392 दफा चोरी की नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

वह तो डकैती की है।

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, हरिजनों के यहां चोरी हुई है और बदमाशों ने डण्डा मारा इसलिए 392 में रिपोर्ट लिखी गयी।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जो इस सम्बन्ध में आंकड़े दिए हैं, वह फाइनेंशियल ईयर के हैं या कलेण्डर ईयर के हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इससे इसका क्या ताल्लुक है ?

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो घटनाएं हुई हैं जिसका उल्लेख वक्तव्य में किया गया है तो सरकार ने गिरफ्तारी करने के लिए क्या कार्यवाही की है और किस प्रकार के उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, पहले दोनों अभियोगों और महिला से सम्बन्धित घटना में जिसमें हत्या हुई है, इन चारों में 82/83 की कार्यवाही कर दी गयी है और बाकायदा एक पी0 ए0 सी0 की प्लाटून ने जाकर कई बार छापा मारा।

श्री अध्यक्ष—

जरा रुकिए। 10 मिनट समय, मैं सदन का और बढ़ाए देता हूं।

एक सदस्य—

मान्यवर, मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो हत्याएं हुई हैं क्या उसकी मजिस्टीरियल जाँच हुई ? कायदा यह है कि हत्या हो जाती है तो उसकी मजिस्ट्रेट द्वारा जांच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा कायदा नहीं है।

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्रीमन्, ऐसी कोई जांच नहीं हुई है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

मान्यवर, क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि चोरी नहीं हुई असल में डकैती हुई। लेकिन डर के मारे, इतना आतंक गालिब है, डर के मारे हरिजनों की हिम्मत नहीं पड़ी कि वहां जायं, क्या स्थिति है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्रीमन्, यह बिल्कुल असत्य है। जो एफ0 आई0आर0 है मैं पढ़े दे रहा हूं ताकि इस बात की सफाई हो जाय। श्रीमन्, यह बिल्कुल निराधार है कि कोई आतंक की स्थिति थी। 50 रुपए का सामान गया और थाना 9 मील दूर है इसलिए वह नहीं गए। हमारे क्षेत्राधिकारी स्वयं वहां पहुंचे।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मन्त्री जी ने कहा कि 3 दिन बाद वहां एस0 पी0 साहब पहुंचे तो यह देर क्यों हुई चूंकि सफीपुर से 17 मील दूर हेडक्वार्टर है ? क्या यह सत्य है कि जिस समय मर्डर शाम के साढ़े सात बजे हुआ, उस समय होटल में दो कांस्टेबिल मौजूद थे ? क्या इसके ऊपर आप कोई जांच करायेंगे ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्रीमन्, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य जानकारी देंगे तो उसको दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आपका कथन यह है कि उस समय होटल में क्या दो कांस्टेबिल मौजूद थे इसके सम्बन्ध में आप जानकारी प्राप्त करें।

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

ठीक है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, जो गुलाब सेहरा जी ने पूछा और जैसा कि वक्तव्य के अन्तिम पैराग्राफ में लिखा गया है कि उन्नाव की अपराध स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जिले में डकैती, राहजनी आदि के अपराधों में कुछ वृद्धि हुई है। तो तुलना यह तभी सही हो सकती है जबकि एक ही समय के आंकड़े हों। यदि आंकड़े दिए मार्च 31 तक और पिछले साल के कैलेण्डर ईयर के दिए दिसम्बर तक तो उसमें 3 महीने का फर्क तुलना में पड़ जाता है। इसलिए श्रीमन्, जो गुलाब सेहरा जी ने पूछा उसका उत्तर दिला दें।

श्री अध्यक्ष—

यह तो मान लिया है कि वृद्धि हुई है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वृद्धि मानी है, लेकिन कितनी वृद्धि हुई है।

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्रीमन, यह जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, वह जनवरी से लेकर अगस्त, 1976 तक हैं। इसी तरह जनवरी से लेकर अगस्त, 1977 तक के आंकड़े हैं।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

अध्यक्ष महोदय, जो हत्या के सम्बन्ध में विवाद हो रहा है, उसमें मैं सबसे पहले अपने मित्र का स्वागत करता हूं और मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि तीन दिन बाद सी0 ओ0 साहब और परगना अधिकारी घटना-स्थल पर क्यों गए ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

श्रीमन् मैंने निवेदन किया था कि वह दूसरे दिन अपने दौरे पर वहां पहुंच गए।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

श्रीमन्, व्यवस्था का सवाल है। कत्ल और डकैती हो जाय लेकिन सी0 ओ0 मौके पर जाते हैं तीन दिन बाद। तो यह जान-बूझकर टाला गया है।

(उत्तर के लिए मन्त्री को नहीं पुकारा गया।)

आचार्य धर्म दत्त वैद्य--

श्रीमन्, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 82 और 83 की कार्यवाही की जैसा कि कहा ? कितने लोगों के मकानों की कुर्की हो गयी है और पुलिस ने कितनों का सामान कब्जे में लिया है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

श्रीमन, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि 9 सितम्बर, 1977 को सफीपुर की घटना में तीन अभियुक्त और दूसरी घटना में एक व्यक्ति, इस प्रकार चार की 82 और 83 की कार्यवाही कर दी गयी है जिसका मतलब है कि घर की कुर्की कर ली गयी है।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

मान्यवर, मन्त्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में। मन्त्री जी ने आखिरी पैराग्राफ में बताया कि अपराध स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जिले में डकैती, राहजनी आदि के अपराधों में कुछ वृद्धि हुई है। तो अपराधों को जिले में रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, 17 मई, 1977 से 2 जून, 1977 तक एक प्लाटून पी0 ए0 सी0 बांगरमऊ, सफीपुर, बीघापुर, अचलगंज के थाना क्षेत्रों में रही। दिनांक 2 जून, 1977 से 7 जून, 1977 तक एक कम्पनी पी0 ए0 सी0 बांगर मऊ, सफीपुर, हसनगंज, औरास, पुरवा, अचलगंज व कोतवाली क्षेत्रों में रही। दिनांक 1 जुलाई, 1977 से 19 जुलाई, 1977 तक एक प्लाटून पी0 ए0 सी0 कोतवाली, अचलगंज, हसनगंज, बांगरमऊ क्षेत्रों में रही।

निरन्तर क्षेत्राधिकारी सप्ताह में दो दिन अपने क्षेत्र में जाते हैं तथा रात में वहीं रुके रहे हैं। पुलिस अधीक्षक निरन्तर भ्रमण कर रहे हैं। फलस्वरूप 31 अगस्त, 1977 तक 340 ऐसे अभियुक्त जिनको डकैती में लिखा गया था, 168 पकड़े जा चुके हैं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

माननीय मन्त्री जी ने घटना के सम्बन्ध में जो मौखिक उत्तर दिया है और जो लिखित है, उसमें विरोधाभास है। जो लिखित है उसमें यह है कि घटना की किसी भी व्यक्ति ने थाने पर सूचना नहीं दी। दिनांक 14 सितम्बर, 1977 को शासनादेश प्राप्त होने पर क्षेत्राधिकारी व परगना मजिस्ट्रेट उक्त गांव में गए। यानी शासन का आदेश प्राप्त होने पर 14 तारीख को गए। जबानी यह कहते हैं कि दौरे पर गए।

श्री सत्य देव त्रिपाठी---

मान्यवर, तीन घटनाओं को अलग-अलग देखना है। एक है चार हरिजनों के घरों में चोरी हुई। जब क्षेत्राधिकारी गए तब गांव वालों ने सूचना दी।

श्री अध्यक्ष---

इसमें यह लिखा है कि क्षेत्राधिकारी अपने आप नहीं गए, शासनादेश पर गए। इन का प्रश्न है कि 9 तारीख को घटना हुई, 14 तारीख को क्षेत्राधिकारी गए, यह आदेश सरकार ने किस सूचना के आधार पर दिया ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी---

शासन के यह आदेश हैं कि पूरे जिले में जो भी हरिजनों पर जुल्म हो रहे हैं उसका सेल बनाकर जाकर देखें। इसके पूर्व कोई भी सूचना जिन हरिजनों के घरों में चोरी हुई बताई गई है, पुलिस स्टेशन पर नहीं आई।

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं जो उत्तर है वह इससे मेल नहीं खाता। उसमें आपने यह कहा है कि 14 तारीख को शासनादेश प्राप्त होने पर क्षेत्राधिकारी गए। इसके मायने यह है कि सरकार को किसी अन्य सूत्र से सूचना मिली होगी।

श्री सत्य देव त्रिपाठी---

आज दिनांक 14 सितम्बर, 1977 को हरस्वरूप सिंह यादव, एस0 ओ0 हमराह श्री जगदीश सिंह, क्षेत्राधिकारी तृतीय उन्नाव व परगना मजिस्ट्रेट के ग्राम, तमोरिया बुजुर्ग (नौशहरा) में वसिलसिले जांच विधान सभा प्रश्न बाबत ग्राम तमोरिया गए।

श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)---

अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जानकारी दी है कि बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए वहां पर पी0 ए0 सी0 पोस्ट कर दी गयी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अपराधों के बढ़ जाने का कारण वहां के पुलिस अधिकारियों की ढिलाई है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई जानकारी मन्त्री जी ने प्राप्त की है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष---

मैं सदन का समय सवा पांच तक बढ़ा रहा हूं।

श्री सत्य देव त्रिपाठी---

श्रीमन्, सरकार पूरी तरह यह जानकारी प्राप्त कर रही है। अगर किसी प्रकार की शिथिलता पाई गई तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय मुख्य मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में। जब पुलिस वहां गई तो हरिजनों ने अपनी रिपोर्ट की। क्या हरिजनों से यह जानने की कोशिश की गयी कि उन्होंने इतने दिनों तक रिपोर्ट क्यों नहीं की ? दूसरा पी0 ए0 सी0 वहां पर जिले में घूम रही थी तो उसके घूमने के बावजूद वहां पर क्राइम हुआ है, इसके बारे में शासन क्या कर रहा है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मैंने पहले ही निवेदन किया कि अगर वहां पर किसी तरह की ढिलाई पुलिस के द्वारा बरती जा रही है तो उसकी जांच कर के शासन कार्यवाही करेगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, इस लिखित वक्तव्य में कहा है कि अभियुक्तगणों ने स क पर भागते हुए हथगोलों का प्रयोग किया। तो क्या इस बात की जांच कराई गयी कि हथगोले कहां के बने हुए थे ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

श्रीमन्, विवेचना जारी है। विवेचना के दौरान ये सब चीजें आयेंगी।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

यह बात स्पष्ट हो गयी है कि 9 तारीख की घटना और 4 तारीख को जब विधान सभा में यह प्रश्न उठा उसके बाद शासनादेश हुआ। तो चार-पांच दिन की जो लापरवाही पुलिस प्रशासन में हुई, उसकी जांच ऐंन्टी करप्शन के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कराई जायगी ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मैंने कई बार माननीय सदस्यों के सामने निवेदन किया कि 9 तारीख की इस घटना के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी पुलिस स्टेशन को नहीं दी गयी।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो गांव के हरिजनों के वहां चोरी हुई है, क्या वहां हरिजनों के अलावा और भी कोई रहते हैं या केवल हरिजन ही रहते हैं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

श्रीमन, उसमें और भी व्यक्ति रहते हैं। ब्राह्मण भी हैं।

श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मन्त्री जी स्पष्टत: यह बात बतायेंगे कि होटल वाली घटना की एफ0 आई0 आर0 का समय क्या था ? जब हेडक्वार्टर में वायरलेस लगा है तो इसकी हेडक्वार्टर में प्राप्ति का समय क्या था ? इसमें डिले हो जाने का क्या कारण था ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मु0 इ0 नं0 218/ धारा 302 ता0 हि0 थाना सफीपुर, जिला उन्नाव चिक नं0 205 धत0 घटना 9 सितम्बर, 1977 समय करीब 8 बजे रात। तारीख सूचना 9 सितम्बर, 1977 समय 20 बजकर 20 मिनट।

श्री रियासत हुसैन—

स्पेशल रिपोर्ट हेडक्वार्टर में कब प्राप्त हुई और फिर किस समय एस0 पी0 मौके पर गए ? विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो बता दिया कि 8 बजे का समय था।

श्री रियासत हुसैन—

रात में एफ0 आई0 आर0 लाज हुई। उसकी स्पेशल रिपोर्ट हेडक्वार्टर में कब प्राप्त हुई ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्रीमन्, इसकी जानकारी के लिए सूचना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

आप इसको दोहराइए नहीं, प्रश्न है कि गांव के चौकीदार ने रिपोर्ट क्यों नहीं की ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

तीन घटनायें हैं तो किस घटना से गांव के चौकीदार का सम्बन्ध है ?

श्री अध्यक्ष—

हरिजन वाली से ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

हरिजनों के सम्बन्ध में चौकीदार ने कोई एफ0 आई0 आर0 या सूचना पुलिस स्टेशन को नहीं दी।

श्री श्याम नारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)—

चुस्त प्रशासन का धर्म होता है कि कत्ल जैसे जघन्य अपराध होने पर एस0 एस0 पी0 या एस0 पी0 तत्काल घटना स्थल पर पहुंचते हैं लेकिन मन्त्री महोदय ने बतलाया कि तीन दिन के बाद वे पहुंचे। तो इतनी देरी से पहुंचने के लिए एस0 पी0 महोदय के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

(उत्तर के लिए मन्त्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री अध्यक्ष—

समय समाप्त हो गया। अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 16 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
20 सितम्बर, 1977।

नत्थी 'क'

[देखिए नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 171 पर]

संलग्नक

क्रम-सं0	सम्बन्धित विभाग	स्वीकृत योजना का सारांश	कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1	सिंचाई	मथुरा एवं आगरा जनपदों में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान हेतु गोवर्धन ड्रेन के पुन: निर्माण के लिए 34.3 करोड़ रुपये की योजना तथा इसके समानान्तर ड्रेन बनाने की दूसरी योजना 14.39 करोड़ रुपए की बनायी गई है। इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा का होडल क्षेत्र भी शामिल है। यदि हरियाणा सरकार होडल क्षेत्र की योजना में सम्मिलित नहीं होती है तो लागत में लगभग 3 करोड़ रुपये की कमी हो जाएगी। उस दशा में लालपुर बांध को सुदृढ़ कराना पड़ेगा। दोनों योजनाओं को स्वीकृत करते हुए यह निश्चय किया गया कि केन्द्रीय सरकार के माध्यम से इनको केन्द्रीय जल आयोग तथा हरियाणा एवं राजस्थान की सरकारों को प्रेषित किया जाय। यह भी निश्चय हुआ कि केन्द्रीय कृषि मन्त्री, श्री जगजीवन राम से अनुरोध किया जाय कि वे तीनों राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की एक बैठक बुला लें। केन्द्रीय सरकार से यह भी अनुरोध किया जाय कि इस वर्ष की बाढ़ के पानी से डिस्चार्ज के आधार पर योजनाओं की लागत व्यय को तीनों राज्यों के बीच में विभाजित कर दिया जाय।	इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग द्वारा चार-चार प्रोजेक्ट बनाकर स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग को भेजे हैं। केन्द्रीय जल आयोग/केन्द्र सरकार से स्वीकृति अपेक्षित होने के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष सभा

1	2	3	4
2	सिंचाई	सिंचाई विभाग द्वारा 1.50 करोड़ रुपए की लागत की कोसी आटेरियल ड्रेन की योजना स्वीकृत की गयी।	सिंचाई विभाग द्वारा जुलाई, 1977 के अन्त तक 1,62,943 रुपए का कार्य कराया जा चुका है। इस वर्ष (1977-78) में नाले के निर्माण हेतु 12 लाख रुपए प्राधिकृत किया गया है।
3	राजस्व	मथुरा जनपद में टेस्ट वर्क के लिए राजस्व विभाग द्वारा स्वीकृत 10 लाख रुपये की धनराशि से नालों की सफाई का कार्य किया जाए तथा श्रमदान द्वारा जन सहयोग भी प्राप्त किया जाय।	राजस्व विभाग ने कार्यों को सम्पन्न करने के लिए जिलाधिकारी, मथुरा को 10 लाख रुपए व्यय करने के आदेश दिनांक 8 फरवरी, 1977 को जारी किए थे।
4	सिंचाई	7.50 करोड़ रुपए की चम्बल लिफ्ट सिंचाई एवं बाह पिनहट की संयुक्त योजना तथा 4.53 करोड़ की लागत की लोजगनेर डैम योजना स्वीकार की गयी।	अनुमानित लागत 9.80 करोड़ रुपए है। प्रारम्भिक प्राक्कलन का अध्ययन किया जा रहा है। इसी प्रकार जगनेर डैम जिसकी लागत 4.53 करोड़ रुपया है के प्रारम्भिक प्राक्कलन का अध्ययन किया जा रहा है।
5	सिंचाई	आगरा कैनाल तथा मांट ब्रांच, कैनाल के आधुनीकरण की योजना को अद्यावधिक बनाकर केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति प्राप्त की जाय तथा 30 लाख रुपए की लागत की आगरा कैनाल के आधुनीकरण की योजना की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् इस व्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी जाय।	आगरा नहर के आधुनीकरण की जो योजना चल रही है उसमें गत वर्ष 5.46 लाख रुपए से एक रेगुलेटर बनाया गया तथा झील तैयार करने व आगरा नहर के बाएं किनारों को पक्का करने के कार्यों को किया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

			आधुनीकरण परियोजना का प्राक्कलन बनाकर केन्द्रीय जल आयोग की तकनीकी सहमति हेतु भेजा गया है। सहमति अपेक्षित है।
6	स्वायत्त शासन	मथुरा नगर के लिए 20 लाख रुपया की पेयजल योजना स्वीकृति की गयी। जल निगम इस योजना के कार्यान्वियन करने हेतु नए नलकूपों के निर्माण आदि के कार्य को तुरन्त प्रारम्भ कर दें।	स्वायत्त शासन विभाग ने योजनाओं की स्वीकृति जल निगम को दे दी है। इस योजना में 6 नए नलकूपों तथा तत्सम्बन्धी कार्यों के निर्माण का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत 5 नलकूपों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। छठें नलकूप का छिद्रीकरण असफल रहा है।
7	स्वायत्त शासन	वृन्दावन नगर की 27.16 लाख रुपए की पेयजल योजना स्वीकृत की गयी। जल निगम को निर्देश दिया जाए कि इस योजना को शीघ्र कार्यान्वित कर दें ताकि वृन्दावन की पेयजल समस्या का शीघ्र समाधान हो सके।	इसके अन्तर्गत 4 नलकूपों राइजिंग मेन, तथा 25 कि0मी0 वितरण प्रणाली एवं अवर जलाशय के कार्य प्रस्तावित हैं। छंठीकरण ग्राम में नलकूपों के छिद्रण का कार्य किया गया था लेकिन संतोषजनक मात्रा में जल उपलब्ध नहीं हो सका। अत: अब जमुना नदी के किनारे नलकूपों का निर्माण प्रस्तावित है। बरसात के कारण कार्यस्थल पर रिंग मशीन नहीं पहुंचाई जा सकी है। वहां पर नवम्बर में छिद्रण कार्य प्रारम्भ होगा। जून, 1977 तक लगभग 76.25 कि0मी0 वितरण प्रणाली का कार्य पूरा किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल

1	2	3	4
8	स्वायत्त शासन	मथुरा वृन्दावन नगर की पेयजल समस्या के लिए आगरा कैनाल से 300 क्यूसेक पानी लेने की 3 करो . रुपए अनुमानित लागत की योजना बनाई जाएगी। इस योजना के कार्यान्वियन में जो व्यय होगा उसमें तेल शोधक कारखाने का अंशदान भी वसूल किया जाय। -	मथुरा तेल शोधक कारखाने ने उत्तर प्रदेश जल आयोग को सूचित किया है कि वे इस योजना के पक्ष में नहीं हैं। तेल शोधक कारखाना अपनी अलग से जल सम्पूर्ति योजना कार्यान्वित कर रहे हैं। अत: योजना का पुनरीक्षण आवश्यक होगा।
9	आवास-सांस्कृतिक कार्य	वृज भूमि विकास प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इस प्राधिकरण को प्रारम्भिक पूंजी के रूप में रिवाल्विंग फन्ड 50 लाख रुपया स्वीकृत किए जायें जिसमें से 25 लाख रुपया की पहली किस्त चालू वर्ष में दे दी जाय। जिन योजनाओं के लिए बैंकों से ऋण मिल सकता है उसके लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु प्राधिकरण सक्षम होगा।	वृज भूमि विकास प्राधिकरण का गठन 25 मार्च, 1977 को हो चुका है तथा वर्ष 1976-1977 में 25 लाख रुपया का ऋण स्वीकृत किया गया है।
10	पर्यटन	मथुरा में एक 5 स्टार होटल या वृहद् काटेज टूरिस्ट काम्प्लेक्स भी बनाए जाएं जिसके लिए शासन द्वारा प्रतीक मूल्य पर भूमि उपलब्ध कराई जाए।	इस मामले में पर्यटन विभाग तथा पर्यटन निदेशक एवं जिलाधिकारी, मथुरा के बीच पुन: विचार-विमर्श चल रहा है।
11	आवास-पर्यटन	मथुरा में एक नई धर्मशाला का निर्माण स्वीकृत किया गया इस हेतु 5 लाख रुपए की धनराशि टोल टैक्स से उपलब्ध कराई जाए।	इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

12	सार्वजनिक निर्माण	मथुरा जनपद में निम्नलिखित सड़कों का निर्माण किया गया :—	इन कार्यों में अनुमानित लागत 54 लाख रुपया है। शासन की स्वीकृति 31, मार्च 1977 को जारी हुई।

(1) पत्सों-महरौली-मुडसेशर	..	8 कि0मी0
(2) सादावाद-मुरसान	..	7 कि0मी0
(3) बाजना-मानागढ़ी	..	8 कि0मी0
(4) वठन-कामा	..	7 कि0मी0
(5) नरीगांव-नैशनल-हाई-वे-2	..	2 कि0मी0
(6) बलदेव-मई	..	8 कि0मी0
(7) सहपऊ-महरारा	..	3.5 कि0मी0
योग		43.5 कि0मी0

13	विद्युत्/सिचाई/कृषि	जनपद आगरा में 500 नलकूपों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।	विद्युत् परिषद् ने 364 अतिरिक्त निजी नलकूपों/पम्पिंग सेटों के उर्जन सम्बन्धी कार्य पूरा कर लिया है।
14	उद्योग	आगरा में ऊनी कालीनों पर क्वालिटी चिन्ह लगाने की योजना स्वीकृत की गयी।	यह योजना उद्योग विभाग के विचाराधीन है।

1	2	3	4
15	सार्वजनिक निर्माण	जनपद आगरा में निम्नलिखित सड़कों का निर्माण स्वीकृत किया गया — (1) पचोखरा-नारखी रोड 10.8 कि0मी0 (2) टेढ़ी बगीया-जलेसर मार्ग .. 16 कि0मी0 (3) फतेहाबाद-फिरोजाबाद रोड .. 12.7 कि0मी0 (4) देवरी-हरादतनगर मार्ग .. 7 कि0मी0 योग .. 46.5 कि0मी0	इन कार्यों की अनुमानित लागत 61.54 लाख रुपए हैं। शासन की स्वीकृति 31 मार्च, 1977 को जारी हुई।
16	सार्वजनिक निर्माण	जनपद आगरा में फतेहाबाद-फिरोजाबाद रोड पर जमुना नदी पर पैन्टून ब्रिज का निर्माण स्वीकार किया गया।	इसकी अनुमानित लागत 7 लाख रुपए है। शासन की स्वीकृति 31 मार्च, 1977 को जारी हुई।
17	स्वायत्त शासन	अलीगढ़ नगर पेयजल सम्पूर्ति के लिए दो नलकूपों एवं टंकियों के लिए 15 लाख रुपया की योजना स्वीकृत की गयी। जल निगम इस कार्य को तुरन्त सम्पादित कर दे।	दो नलकूपों का छिद्रण कार्य पूरा किया जा चुका है तथा डेवलपिंग का कार्य शेष है। 5000 मीटर में से 2100 मीटर वितरण प्रणाली का कार्य पूरा किया जा चुका है। अवर जलाशय के निर्माण हेतु निविदा पुनः आमन्त्रित कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

18	सार्वजनिक निर्माण ..	1—अलीगढ़ नगर से गुजरने वाली सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के सुधार एवं विस्तार हेतु 5 लाख रुपया वर्तमान वित्तीय वर्ष (1976-77) में स्वीकार किया गया। 2—निम्नलिखित सड़कों का निर्माण स्वीकार किया गया — (1) कैरोली-वरवाना .. 10 कि0मी0 (2) गोपी-मिलावली .. 11 कि0मी0 (3) हसायन-कानऊसांकरा .. 3 कि0मी0 (4) हाथरस-दाऊजी कोटा .. 12 कि0मी0 (5) जट्टारी-पिसावा मार्ग .. 7 कि0मी0 योग 43 कि0मी0	इन कार्यों की अनुमानित लागत 63.33 लाख रुपए है। शासन की स्वीकृति 31 मार्च, 1977 को जारी हुई।
19	चिकित्सा	मैनपुरी में संयुक्त चिकित्सालय भवन के निर्माण कार्य कार्यान्वित करने हेतु एक लाख रुपया वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपलब्ध है तथा शेष धनराशि का प्राविधान अगले वर्ष के आय-व्यय में कर दिया जाय। वर्तमान अस्पताल के स्थान का उपयोग बाजार बनाने के लिए किया जाय तथा इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अलग से योजना प्रस्तुत करें।	निर्माण कार्य के लिए जनवरी, 1973 में 34.717 लाख रुपया की स्वीकृति दी गई थी। वर्ष 1974-75 में निर्माण कार्य रोक दिया गया था। वर्ष 1976-77 में 1 लाख रुपए की स्वीकृति दी गयी लेकिन इसी बीच भवन तीन मंजिल बनाए जाने के शासन के निर्णय से चिकित्सा निदेशालय ने पुनरीक्षित नक्शा बनाने हेतु भेज दिया है।
20	कृषि	जनपद मैनपुरी के सूकर विपणन हेतु मन्डी स्थल की प्रस्तावित योजना सिद्धान्तत: स्वीकार की गई।	यथानुसार कार्यवाही की जाएगी।

1	2	3	4
21	सार्वजनिक निर्माण	जनपद मैनपुरी की निम्नलिखित सड़कों का निर्माण स्वीकार किया गया:— (1) उखन्ड-उरावर का छूटा भाग (नगला खंगर से उरावर तक)। .. 9 कि0मी0 (2) सिरसागंज-गपड़ी (मदनपुर से रापडी तक)। .. 8 कि0मी0 (3) लामुवा-प्रतापर रोड से खेरगढ़ .. 5 कि मी0 (4) लामुवा-परतापुर .. 6 कि0मी0 (5) आमार-मदनपुर .. 2·4 कि0मी0 (6) करहल-धिरौर का छूटा भाग 5 कि0 मी0 } 10 कि0मी0 (7) बरनाहल-कीरतपुर .. 5 कि0मी0 योग .. 40.4 कि0मी0	इन मार्गों की अनुमानित लागत 44.55 लाख रुपया है। शासन की वित्तीय स्वीकृति 31 मार्च, 1977 को जारी हुई है।
22	स्वायत्त शासन	एटा जल सम्पूर्ति के लिए 45 लाख रुपए अनुमानित लागत की पुनर्गठन योजना स्वीकृत की गयी। इस योजना को जल निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाय।	7 नलकूपों में से 3 नलकूपों का छिद्रण पूर्ण किया जा चुका है तथा उनका विकास शेष है। 2 नलकूपों का छिद्रण कार्य प्रारम्भ कर दिया है। वितरण प्रणाली का लगभग 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

अनंत विधान सभा

23	उद्योग	कासगंज (जनपद एटा) में 15 एकड़ का औद्योगिक आस्थान की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।	आस्थान की स्थापना हेतु भूमि चयन करने एवं उसके अर्जन की आवश्यक कार्यवाही करने के लिए उद्योग निदेशक को आदेश जारी किए गए हैं।
24	सार्वजनिक निर्माण	एटा जनपद में निम्नांकित सड़कों का निर्माण स्वीकार किया गया:— (1) अलीगंज-घटींगरा .. 13 कि0मी0 (2) सादाबाद-जलैसर से करहला तक 1.6 कि0 मी0 (3) बरेनी-ऊंचागांव .. 3.5 कि0 मी0 (4) जलैसर-दक्करनपुर .. 5 कि0 मी0 (5) जलेसर—आगरा .. 1.2 कि० मी० (6) आमापुर-सिद्धूपुरा का छूटा भाग .. 8 कि0 मी0 योग 43.1 कि0 मी0 (7) रामपुर-मरकना सड़क को पूरा करने के लिए स्वीकृति भी दी गई।	इन मार्गों की अनुमानित लागत 69.93 लाख रुपया है। शासन की वित्तीय स्वीकृति 31 मार्च, 1977 को जारी हुई है।
25	सार्वजनिक निर्माण	अलीगंज-घटींगरा मार्ग पर काली नदी में पुल का निर्माण स्वीकार किया गया।	इसकी अनुमानित लागत 40 लाख रुपया है। शासन की वित्तीय स्वीकृति 31 मार्च, 1977 को जारी हुई है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर अगले पृष्ठ 1839 पर)

नकल चिक द0 अ0 सं0 117 मु0 अ0 सं0 126 धारा 399/402/307 भा0 दं0 वि0 आ0 मु0 थाना दशाश्वमेघ, वाराणसी।

तारीख घटना 19-3-76 समय 1.30 बजे रात,

तारीख सूचना 19-3-76 समय 3.30 बजे रात,

घटनासील—मुहल्ला सिद्धगिरीबाग फासला 5 फर्लांग पच्छिम,

नाम वादी—निरीक्षक दशाश्वमेघ श्री रमाकान्त मिश्रा,

नाम प्रतिवादी—गणेश दूबे पुत्र जयशंकर दूबे मु0 सराय गोवर्धन, थाना चेतगंज, वाराणसी।

व चार पांच नफर और देखकर पहचाना जा सकता है।

तफतीश द्वारा—स0 इं0 श्री रामदवर मिश्रा होगी।

मैं निरीक्षक रमाकांत मिश्रा अनुसार सूचना मौखिक मुखवीर बहवाला रपट नं0 रो0 आ0 दो रोजा पर सूचना मिली कि गनेश दूबे का गैंग आज रात में कनक महल म0 नं0 डी 53/97 कालोनी राणा प्रताप लम्सा रोड पर डकैती डालेंगे कि इस सूचना पर मैं निरीक्षक रमाकांत मिश्रा व सब इन्सपेक्टर श्रीमान् उप पुलिस अधीक्षक, पी0 सी0 सिंह द्वितीय नगर व हमराहियान कर्मचारी गण व गवाहान व मुखबीर खास के लगभग 00-30 बजे रात कनक महल के पास पहुंचकर गवाहान व हमराहियान व मुखबीर से बातचीत करके पुन: उनके कर्त्तव्यों को समझाया गया व हिदायत मुनासिब करके फोर्स व गवाहान को दो पार्टियों में विभक्त किए गए। प्रथम पार्टी में श्रीमान् पी0 सी0 सिंह, उप पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय, एस0 आई0 श्री काशीनाथ सिंह, एस0 आई0 श्री रविन्द्र प्रताप यादव—एस0 आई0 श्री उमेशचन्द मिश्रा, एस0 आई0 श्री अनिरुद्ध कुमार मिश्रा, एस0 एस0 आई0 श्री नियाज अहमद, हे0 कान्स0 302 मुखवीर, का0 1432 इन्द्रासन उपाध्याय, का0 1592 त्रिभुवन राय, कान्स0 1590 सिंहासन मिश्र, कान्स0 1467 पंचमराम, कान्स0 562 धर्म देव पांडेय व गवाहान श्री रमाशंकर उर्फ बच्चू स0/आ0 श्री रामदुलार व शिवनारायन स0/आ0 बनवारी व श्री रामजी स0/आ0 खड़बड़ मु0 छोटी गेबो एवं द्वितीय पार्टी में मैं निरीक्षक रमाकांत मिश्रा, एस0 आई0 राजदेव पाण्डे, स0 इं0 एख्लाक अहमद, एच0 सी0 सूर्यकुंअर सिंह अपनी निजी बन्दूक 12 बोर के साथ व का0 स0 505 उदयनाथ यादव मय बी0 एल0 पी0 व 19 राउन्ड कारतूस के साथ का0 214 चन्द्रवली राय व का0 अनिरुद्ध तिवारी, का0 448 मुरलीधर सिंह, कान्स0 1050 राम प्रताप सिंह, का0 1642 श्री किशुन राय व सरस्त कान्स0 129 देवेन्द्रकांत पाण्डेय, का0 1405 राम नगीना व गवाहान श्री रामचन्दर स0/आ0 निपुल मु0 जद्दू मन्डी व श्री कामता स0/आ0 पनारू मु0 राणा प्रताप कालोनी, श्री अतुल कुमार पांडेय स0/आ0 रामनिरंजन पाण्डेय म0नं0 60/2 मु0 छोटी गैबो, थाना दशाश्वमेघ, वाराणसी मय मुखवीर के मामूर किए गए और उचित निदेश के बाद प्रथम पार्टी श्री पी0 सी0 सिंह,

उप पुलिस अधीक्षक, नगर, द्वितीय कजरीवाल के मकान में दक्षिण हाते में तथा द्वितीय पार्टी मैं स्वयं रमाकान्त मिश्रा कनक महल के मकान के कोने पर मकान के पच्छिम डेढ़ बजे हाता जिसमें सूनसान सन्नाटा है स्थान में बैठे हुए कुछ व्यक्तियों की आवाज मालूम हुई कि जिसको पुलिस पार्टी आसानी से सुन रही थी कि उन्हीं डकैतों में से एक ने कहा गुरू समय हो गया है, देर करने की जरूरत नहीं है, देर होने पर सफलता नहीं मिलेगी। कनक महल बड़ा धनी आदमी है, माल अधिक मिलेगा, बाजा ठीक है, असलेह कारतूस काफी हैं। इसके बाद गुरू ने कहा कि समय हो गया है, अपना-अपना बाजा ठीक कर लो चलो लूटा जाय यह कहते हुए अपने स्थान से उठ पड़े कि मुनासिब हिदायत का0 उदयनाथ यादव ने बेरो लाइट पिस्टल का फायर किया, मैंने चैलेन्ज किया कि पुलिस पार्टी मौजूद है, तुम लोग घिर गए हो, अगर कोई अपने स्थान से हटेगा तो गोली मार दी जाएगी कि इतने में उधर से मेरे तरफ फायर किया। डाकूआन की गोलियां मुझे तथा हे0 कान्स0 सूर्यकुमार सिंह के बाल-बाल लगते बची और बगल से सनसनाती हुई गोलियां निकलने लगीं। हम लोग जमीन पर आड़ लेकर मोर्चा बनाकर फायरिंग किए कि इतने में प्रथम पार्टी की तरफ से श्री पी0 सी0 सिंह, उप पुलिस अधीक्षक व स0 इं0 श्री काशीनाथ सिंह ने दो फायर किए कि डाकू लोग उनके तरफ भी फायर करना शुरू कर दिए। वे लोग बाल-बाल बच गए और जमीन पर मोर्चा लेकर मैं निरीक्षक अपनी रिवाल्वर से कुल तीन फायर व हे0 कान्स0 सूर्य कुंवर सिंह ने अपनी निजी 12 बोर बन्दूक से तीन फायर आत्मरक्षार्थ एवं डाकूदल की गिरफ्तारी हेतु किया गया थोड़ी देर बाद डाकू दल की तरफ से कोई आवाज न आने पर पुन: वी0 एल0 पी0 का फायर करते हुए हाता की तलाशी ली गई तो गनेश दूबे जो नगर का कुख्यात व हत्यारा लूटेरा है, गोली खाकर मरा हुआ पाया गया उनके पास एक रिवाल्वर 38 बोर की पड़ी हुई है तथा घटनास्थल पर बीड़ी सिगरेट के टुकड़े पड़े हुए हैं। उनके चार पांच साथी थे पच्छिम तरफ से दीवाल फांदते हुए भाग गए जिन्हें बेरी लाइट पिस्टल की रोशनी में देखा गया, पहचाना जा सकता है। मौके पर स0 इं0 श्री उमेश चन्द मिश्रा, हे0 कान्स0 मुखदेव चौबे, कान्स0 पंचमराम, कान्स0 1249 देवेन्द्रकांत पान्डेय मय मस्कट व कारतूस को छोड़कर आया है। मुकदमा लिखकर आवश्यक कार्यवाही किया जाय।

ह0 निरीक्षक श्री रमाकांत मिश्र, दिनांक 19-3-76

लेखक

हे0 का0 भगवान सिंह 19-3-76

नोट—नकल मुताबिक असल के है।

ह0 अस्पष्ट दिनांक 19-3-76

प्रमाणित

ह0 अपठनीय

ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक,

(वाराणसी)।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 192 पर।)

जिला एटा के थाना सिद्धूपुरा, जैथरा, सकीट, अलीगंज व गंजडुडवारा के अन्तर्गत 1975 में आपातस्थिति के दौरान जमा कराए गए, वापस किए गए, न वापिस किए गये बन्दूक व लाइसेन्स का विवरण—

क्रम-संख्या	थाना	जमा कराए गए बन्दूक व लाइसेन्स की संख्या	बन्दूक व लाइसेन्स की संख्या जो वापस किए गए	बन्दूक व लाइसेन्स की संख्या जो वापस नहीं किए गए
1	2	3	4	5
1	सिद्धूपुरा	1	..	1
2	जैथरा	..	..	..
3	सकीट	..	..	..
4	अलीगंज	..	..	..
5	गजडुडवारा	4	1	3

पी०एस०यू०पी०—एल० 321 वि० सभा (711)—1978—8431

उत्तर प्रदेश विधान सभा